खण्ड-393, अंक-2
बुधवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1911
(27 सितम्बर, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1989)

खण्ड 393 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–112
जनपद मिर्जापुर में गिरती कानून व्यवस्था तथा हत्याओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
गाजीपुर जिलान्तर्गत विकास खंड जखनिया में बेंसू नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद लखनऊ की सदर बाजार के मोहल्ला हाता रामदास बगिया में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराउ क्षेत्र में पेयजल संकट तथा हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
गाजीपुर जिलान्तर्गत विकास खंड बाराचवर में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद ललितपुर की तहसील महरौनी में बने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र चालू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद बस्ती में परियोजनाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण के पश्चात् चार्ज न देने तथा घोटाला करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
श्री राम गोविन्द चौधरी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को उठाने का प्रयास	116
वित्तीय वर्ष 1989-90 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	123
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	123
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	123
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	123
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 (पटल पर रखा गया)	123

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 123
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 123
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1989 ..
(पटल पर रखा गया) .. 123
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 123
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अध्यादेश, 1989 ..
(पटल पर रखा गया) .. 124
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 124
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 124
उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) 124
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश,
1989 .. .. (पटल पर रखा गया) 124
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 124
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद की वार्षिक रिपोर्ट 1984-85,
1985-86, 1986-87, एवं 1987-88 (पटल पर रखी गयी) .. 124
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली,
1988 .. .. .. (पटल पर रखी गयी) 125
दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक
प्रतिवेदन, 1985-86 (पटल पर रखा गया) 125
दि यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक आर्थिक
चिट्ठा वर्ष 1984-85 .. (पटल पर रखा गया) .. 125
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (पटल पर रखी गयी) .. 125
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौवनवां संशोधन) नियमावली, 1989
(पटल पर रखी गई) .. 125
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्टम् संशोधन) नियमावली, 1989
(पटल पर रखी गई) .. 126
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 126
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989
(पटल पर रखा गया) .. 126
भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 ..
(राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना) 126
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, .. 127
(राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना) 1989 127
(राज्यपाल की अनुमति की सूचना)
उत्तर प्रदेश चल चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989
(राज्यपाल की अनुमति की सूचना) .. 127

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 .. ..
(राज्यपाल की अनुमति की सूचना) 127
न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 .. ..
(राज्यपाल की अनुमति की सूचना) 127
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना) 127
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 ..
(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) 128
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 128
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 .. ..
(पुरः स्थापित किया गया) 129
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989
(पुरः स्थापित किया गया) 130
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 .. ..
(पुरः स्थापित किया गया) 130
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 .. ..
(पुरःस्थापित किया गया) 131
उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 .
(पुरः स्थापित किया गया) 131
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 ..
(पुरः स्थापित किया गया) 131
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 को इस राज्य में अंगीकृत किये जाने का संकल्प (स्वीकृत) .. 132
नत्थियां 134

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	बिनोद कुमार श्री	पीलीभीत
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
दिनेश जौहरी, डा०	बरेली	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ	संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
मोती राम सांगुड़ी, श्री	नैनीताल		

प्रतिलिपि प्रति

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1989 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाली चीनी की चोर बाजारी

**1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय पूरे प्रदेश में खुले बाजार में चीनी का भाव 12/- रुपये प्रति किलो हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मिलने वाली चीनी की चोरबाजारी में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और इसे रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां, सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में कहीं-कहीं चीनी के मूल्य 12/- प्रति किलो हो गये है । अलग अलग जगहों पर अलग-अलग कीमतें है । लेकिन सरकारी सस्ते गल्ली की दुकानों पर कालाबाजारी की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे विशेष अभियान चलाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच करवायें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं, मान्यवर, दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि चोर बाजारी रोकने के लिए जो निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये है, विशेष अभियान चलाने के लिए, वे क्या है, और दूसरा प्रश्न यह कि उसके फलस्वरुप चोर बाजारी रोकने में कितने प्रतिशत सफलता सरकार को मिली है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाली चीनी की दर में और बाजार में बिकने वाली चीनी की दरों में जब बहुत अन्तर होता है तब काला बाजारी की आशंका पैदा हो जाती है । जैसे ही हमने देखा की चीनी के भाव 6-6.50 रुपये प्रति किलो से बढ़कर, 12-13 रुपये प्रति किलो हो गये है, वैसे ही हमने जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो कोटा इन सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए आवंटित होता है वह उन्हें समय से उपलब्ध हो जाय तथा उसका सही-सही वितरण भी हो जाय । हमारे इन आदेशों का परिणाम यह हुआ है कि चीनी का जो आवंटन था वह समय से उपलब्ध होने लगा है और उसका वितरण भी समय से होने से सामान्य बाजार में चीनी के भाव में काफी कमी आई है । जो चीनी 12-13 रुपये में बिक रही थी वह बिक रही थी वह अब 10 रुपये प्रति किलो पर आ गयी है और लखनऊ में तो उसका भाव 9 रुपये और 9.50 रुपये पर आ गया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों में चीनी की कीमतों में मंहगाई कितने प्रतिशत बढ़ी है ? दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेशों में जो चीनी बेची है, वह किस भाव पर बेची है तथा विदेशों से चीनी मंगाने की जो बात है, वह किस भाव आयेगी अर्थात उस चीनी का मूल्य क्या होगा और जो आपने चीनी बेची है वह किस भाव पर बेची है ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न तो यह पूछा है कि चीनी का भाव कितना बढ़ गया . . । मान्यवर, आपको जानकारी भी होगी कि 6 महीने पहले मई जून में चीनी का भाव 6 व साढ़े छः रुपए प्रति किलो था । 10 दिन पहले चीनी का भाव 12 से 12·30 रुपए प्रति किलो पहुंच गया । दूसरा, यह पूछा गया कि चीनी किस भाव पर विदेशों में भेजी गयी, यह तो केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाता है कि विदेशों में चीनी भेजी जाय । कोई फ्लैट रेट तो उसका तय नहीं होता है । आपको भी जानकारी होगी कि जो 2 लाख मीट्रिक टन चीनी आने वाली है, उसका भाव क्या होगा, यह भी हमको मालूम नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार को यह पहले से ही मालूम था कि नहीं कि चीनी का अभाव होगा या कमी होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, हमारे सम्मानित नेता जनता दल ने जो एक प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्व का है । श्रीमन्, चीनी का अभाव नहीं है अपितु चीनी की मांग बढ़ी है और खपत बढ़ी है । जैसे-जैसे रहन-सहन का स्तर ऊंचा हुआ तो जो लोग गुड़ का सेवन करते थे, खांडसारी का सेवन करते थे, श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं योजना आयोग की सेवा करूं, वहां मैंने देखा कि जो हमारे एक्सपर्टस हैं,, विद्वान हैं, अर्थशास्त्र व चीनी की खपत के बारे में जिनको ज्यादा जानकारी है, उनके सारे अंकड़े गलत साबित हुए, गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाने की वजह से चीनी की मांग बढ़ गई । दूसरा मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही व्यापक है। एक बात यह भी है कि खांडसारी और गुड़ का उत्पादन बढ़ा, जिसकी वजह से जो चीनी ज्यादा उत्पादित की जा सकती थी, वे चीनी मिलें भी खांडसारी व गुड़ की तरफ डाइवर्ट हो गईं, क्योंकि इस सदन ने खांडसारी व गुड़ के उत्पादन पर कोई नियंत्रण न लगाने का निश्चय किया था, इसकी वजह भी है कि चीनी का जो उत्पादन सम्भव हो सकता था, वह नहीं हुआ । लेकिन चीनी का अभाव नहीं है । इस स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों की एक बैठक बुलाई और यह निर्णय लिया कि खुले बाजार में जिस दर से चीनी पहुंचाई जायेगी, हमें पूरी शक्ति से और इस सदन के सहयोग से यह प्रयास करना होगा कि हमारे व्यापारी भाई उसी कीमत पर चीनी बेचें, उससे ज्यादा कीमत पर न बेचें । दूसरा, यह कि हमारे सम्मानित नेता यह जानते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किस दर पर चीनी दी जाय । हर राज्य सरकार में केन्द्र द्वारा ही चीनी का दाम तय किया जाता है । जैसा कि आपको विदित ही होगा कि 10 लाख टन चीनी खुले बाजार में दी जा रही है, इतनी चीनी की खपत पहले कभी नहीं हुई थी । सही दाम पर चीनी मिले, इसके लिए हमें सम्मानित नेता जी का भी सहयोग अपेक्षित है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी किसी भी गम्भीर सवाल को हल्का कर देने में आज से नहीं शुरू से ही माहिर हैं । जहां उन्होंने यह कहा कि केन्द्र सरकार का सवाल है, मैं कहता हूं कि यह केन्द्र सरकार का सवाल नहीं है, यह हम सब यहां पर जो बैठे हैं और प्रदेश की जनता का सवाल है । लखनऊ हो चाहे हल्द्वानी हो, सबको चीनी की आवश्यकता है । केन्द्र सरकार से अपने को जोड़ना आपके सरकार की कमजोरी है, बेवकूफी है और सरकार के अपनी असफलता को छिपाने की बात है । दूसरा यह है कि जहां यह स्वीकार करते हैं कि कमी नहीं है, खपत बढ़ी है, अगर आवश्यकता का पता चल गया था कि आवश्यकता बढ़ी है, तो आपको अभाव की जानकारी क्यों नहीं हो पायी ? जब रु0 6.50 से बढ़कर रु0 13.00 और रु0 14.00 चीनी पहुंची है, यह स्वीकार किया है माननीय मंत्री जी ने कि 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है, तो फिर इस मंहगाई का कारण क्या है ? सरकार ने या सरकार के प्रतिनिधियों ने चीनी मिल मालिकों से चुनाव के लिए कितना रुपया लिया है ? मेरी जानकारी है कि पूरे हिन्दुस्तान से 160 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने चीनी मिल मालिकों से लिया है, यही महंगाई का कारण है । यदि यह कारण नहीं है तो कारण क्या है ? आपके पास चीनी की कमी नहीं है उसके बाद भी अगर 13 रु0 और 14 रु0 प्रति किलो चीनी बिकती है तो हमारा आरोप है कि सरकार ने 160 करोड़ रु0 चीनी मिल मालिकों से लेकर यहां की जनता के साथ विश्वासघात किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न दो भागों में है । एक भाग में तो आरोप है, दूसरा भाग प्रश्नों का है ।

(व्यवधान)

जहां तक आरोप का सम्बन्ध है, मैं पूरी शक्ति के साथ इस बात का खण्डन करता हूं कि किसी चीनी मिल मालिक से कोई पैसा चुनाव के लिए नहीं लिया गया है, इसकी मुझे जानकारी है । सारे के सारे जो भाव तय होते हैं मार्केट को देखकर तय होते हैं । जैसा कि अभी माननीय नेता, सदन ने कहा कि चीनी की मांग बढ़ी है । चीनी की मार्केटिंग जैसी होती आयी है, उसका अध्ययन कर लें । चीनी की कीमत मालिकों के मार्केट एजेण्टों के द्वारा तय की जाती थी और कभी-कभी ज्यादा भाव लेने में वे सफल हो जाते थे । इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रतिबन्ध लगाकर निर्धारित किया है कि रु0 7.70 में चीनी उपलब्ध करायें । उसी के अनुसार 9 रु0 प्रति किलो में चीनी पूरे प्रदेश में उपलब्ध है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी से मैं दो जानकारी चाहूंगा । एक तो जब आप जान गये थे, जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि चीनी का उत्पादन जितना आप सम्भावित समझते थे, नहीं हो पाया और आपको जानकारी थी कि खपत बढ़ रही है, उस स्थिति में चीनी विदेश को क्यों भेजी गयी ? दूसरी बात, अगर आपने चीनी मिल मालिकों से अपनी पार्टी

के लिये चन्दा नहीं लिया है तो क्या कारण है कि 1977 में आपकी सरकार ने ही चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति भारत सरकार से की और एक बार नहीं तीन बार की, आज उस प्रस्ताव पर खामोश बैठ गये हैं ? अगर चन्दा नहीं लिया तो राष्ट्रीयकरण के अपने ही प्रस्ताव पर भारत सरकार को बल न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी है, जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, अभी 60 प्रतिशत से अधिक चीनी मिलें तो सरकार की ही हैं । जहां तक राष्ट्रीयकरण की बात है कितनी बची ही हैं निजी क्षेत्र में ? अभी प्रश्न इस बात का है कि किस प्रकार नई-नई चीनी मिलों को स्थापित कर सकें इस प्रदेश में । राष्ट्रीयकरण से किसानों की सेवा नहीं कर सकते हैं । देखना यह है कि कैसे चीनी मिलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तभी सही मूल्य किसानों को देना सम्भव होगा ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

पैसा तो रिछारिया साहेब ने दिलवाया है, उन्होंने ही सौदा तय कराया है उन्हीं से पूछा जाय कि कितना रुपया चन्दा में लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय अंचल जी, अगर इसी तरह से आप बोलते रहे तो पूरा समय ऐसे ही निकल जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले साल चीनी 6–7 रु0 किलो थी और गन्ना 30 रु0 क्विन्टल खरीदा गया और कोई कास्ट में बढ़ोत्तरी नहीं हुई, फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने कोई पैसा नहीं लिया है तो 6 रु0 के मूल्य पर खुले बाजार में बिकने वाली चीनी क्यों अब 15 रु0 में बिक रही है ? उसके बाद आपने दूसरी बात कही कि चीनी पूरे प्रदेश में उपलब्ध है, मेरा दावा है कि आप सदन की एक कमेटी बना दीजिये जिसमें तीन आदमी कांग्रेस पार्टी के हों और दो विपक्ष के हों, वह कमेटी प्रदेश के किसी भी जिले के ग्रामीण अंचल में चली जाय और यह बतला दें कि ग्रामीण अंचल के किसी आदमी को एक पाव चीनी मिल रही हो । अगर इस सरकार में दम है तो वह मेरे दावे को स्वीकार करे और ग्रामीण अंचल में मा0 सदस्यों की कमेटी को भेजकर सर्वेक्षण करा कर देख ले कि कहीं भी गांव में किसी आदमी को अगर एक पाव भी चीनी मिल रही हो । अभी नेता सदन ने कहा कि ग्रामीण अंचल में लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ गया है, मैं कहता हूं कि ग्रामीण अंचल में लोग फिर गुड़ बनाने के लिए मजबूर हो गये हैं । यह मेरा दावा है कि अगर आप प्रदेश में 9 रु0 किलो चीनी बिकवाते हैं तो आप घोषणा करें कि गन्ना भी आप 40 रु0 क्विंटल में खरीदेंगे जैसा कि हरियाणा सरकार ने किया है कि 45 रु0 में गन्ना खरीदा है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने अभी ग्रामीण अंचल की बात कही तो मैं इस सम्बन्ध में उनको जानकारी देना चाहता हूं कि 52 हजार मै0 ट0 का वहां का कोटा है जिसमें से 34 हजार क्विन्टल केवल ग्रामीण अंचलों को उपलब्ध कराया जाता है । तीस हजार दूकानें ग्रामीण अंचलों में हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हर गांव सभा में एक दुकान अवश्य होगी । इस तरह से 76 हजार गांव सभाओं में अक्तूबर तक दुकानें खोली जायेंगी चीनी देने के लिये । जहां तक दुकानों के चयन का प्रश्न है कि किसको दुकान दी जाय, तो यह बात गांव सभा को तय करने के लिए दी गयी है कि वह किस आदमी पर विश्वास करती है, उसी के प्रस्ताव के अनुरूप इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में विराजमान हैं वह हमें यह बतलायें कि जब गन्ना की कीमत 30 रु0 है गन्ना की कीमत, मजदूरी की कीमत व ढुलाई की कीमत, डीजल की कीमत किसी के दाम नहीं बढ़े हैं तो फिर क्या कारण है कि साढ़े पांच रु0 किलो से बढ़ कर चीनी की कीमत आज 12 या 13 रु0 हो गयी है और जबकि अभी दशहरा और दीवाली के त्योहार आने वाले हैं तब तक तो शायद इसके दाम 15 रु0 किलो तक पहुंच जायेंगे । इस पर यह कहा गया, जैसा कि अभी मा0 नेता मुलायम सिंह जी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख रु0 रिश्वत में लिया है । मान्यवर, मैं भरोसा करता था कि मा0 मुख्य मंत्री जी क्योंकि वे इस सरकार के मुखिया हैं, इस रिश्वत की बात को मना करेंगे कि यह नहीं ली गयी है परन्तु इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और मा0 हुकुम सिंह जी से उत्तर दिलवा दिया । लेकिन मान्यवर, चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने चीनी मिल मालिकों से रिश्वत ली है इसलिए इस प्रश्न का जवाब स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी ने न देकर मा0 हुकुम सिंह जी से कहा दिया कि आप दे दीजिए वरना क्या कारण हो सकते हैं कि चीनी के मूल्य में एकदम से अप्रत्याशित वृद्धि हो और वह भी इतनी तेज गति से । पिछले 60 वर्षों में भी ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है, इस वृद्धि का सिवाए एक ही कारण होने के दूसरा कारण नहीं है । यह तो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न यह है कि जैसा कि आपने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गये हैं कि चीनी का जो कोटा ग्रामीणांचलों को दिया जा रहा है, उनका सही वितरण हो, परन्तु वास्तव में इस वितरण में हो क्या रहा है, गांवों का जितना कोटा होता है, उस पर यह कांग्रेस के लोग कुण्डली मारे बैठे रहते हैं और दूसरे सप्लाई आफिसर जो पहले रिश्वत सैकड़ों में लेता था अब भी प्रथा वह जारी है, लेकिन अब यह रिश्वत भी बढ़ गयी है जो पहले सैकड़ों में थी अब हजार दो हजार के रूप में हो गयी है, इन्हीं सारे कारणों से चीनी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी व्यवस्था करने जा रही है क्या पूर्व की भांति साढ़े पांच रु0 के भाव से फिर चीनी बिकवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

दो बातें माननीय नेता विरोधी दल ने कहीं एक तो पहली बात उन्होंने यह कही कि चीनी के दाम बहुत बढ़े और इस सम्बन्ध में कुछ आलोचनाएं कीं मैं तो इनसे यह उम्मीद करता था कि जिस गति से तेजी आयी थी उसी गति से सरकार ने नियंत्रण की कार्यवाही की. . .

श्री सत्यपाल सिंह–

क्या नियंत्रण की कार्यवाही की, कुछ नियंत्रण हो पाया ?

श्री हुकुम सिंह–

और शीघ्र ही मिल मालिकों से मिल-बैठकर बात की और 9 रु0 किलो तक बाजार भाव जिस तेजी से आया, मैं उम्मीद करता था कि आप प्रशंसा करेंगे और जहां तक शिकायतों को दूर करने की बात है इसके लिए हमने निर्णय ले लिया है कि चीनी के वितरण का अधिकार गांव सभाओं को होगा, गांव सभाओं का जिसमें विश्वास हो, उसका चयन कर लें। इस प्रकार से जो अधिकार एक चुनी हुई गांव सभा को दिए जाने चाहिए, वह दिए जा रहे हैं। आप 5.50 पै0 प्रति किलो चीनी के दाम की बात कर रहे हैं, मैं तो 5.25 रु0 की ही बात कह रहा हूं और जो फ्री-सेल की चीनी है, खुले बाजार की उसके भाव 9.00 प्रति किलो के होंगे।

चन्दों के बारे में आजकल शौक आप लोगों को लगता है बहुत हो रहा है इस सिलसिले में मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह पार्टी महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाली पार्टी है, इसमें एक किस्म के चन्दों पर न पहले कभी विश्वास रहा है और न भविष्य में रहेगा।

(शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, एक अत्यन्त विनम्र आग्रह मैं माननीय नेता विरोधी दल से करना चाहूंगा कि आरोप व प्रत्यारोप तो आप बाहर भी लगाते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल के पद की जो गरिमा और महिमा है, जो चीफ मिनिस्टर का अल्टरनेटिव माना जाता हो, अब हों या न हों यह तो अलग की बात है, मैं उनसे किसी भी परिस्थिति में यह आशा नहीं करता. . . . (शोर) मैं तो उनसे हमेशा यह अपेक्षा करता रहा हूं और करता रहूंगा कि वह हमेशा नेता विरोधी दल बने रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन इसी प्रकार से करते रहें. . . (हंसी) मुझे बहुत खुशी होगी. . .

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं जल्दी ही यह सीट खाली करने वाला हूं आपके लिए, और मैं इसके लिए बराबर दुआ भी कर रहा हूं। (हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दुआ तो करते ही रहना चाहिए एक दूसरे के लिए लेकिन जितनी दृढ़ता के साथ आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ और इतने लाख रु0 सरकार ने लिये, यह भी नहीं कि पार्टी ने लिए चन्दे के रूप में नहीं, कहना चाहिए यह बात आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं विनम्र आग्रह करूंगा. . . (शोर) और न ही आपने यह बात स्पष्ट

की कि कहां लिए, कब और किससे लिये ? (शोर) तो आप इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभ नहीं है । सारे देश में चीनी मिलें हैं । कई राज्यों में, जिस दल में आप हैं, उनकी सरकारें हैं । वहां भी चीनी मिलें हैं । हर राज्य में हैं, वहां पर चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, कुछ चीनी मिलें हैं । तो आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभ नहीं है । मैं चाहूंगा कि जो आरोप नेता विरोधी दल ने लगाये हैं, कम से कम उनको तो नहीं लगाना चाहिए, जो नितान्त असत्य, सत्य से परे और भ्रामक हों ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न में दो चीजें हैं । एक तो यह है कि 12 रुपये किलो में चीनी बिक रही है और दूसरे चीनी की चोर बाजारी हो रही है, तो मूल्य वृद्धि का क्या कारण है, यह बात नहीं आयी है । सरकार इस मूल्य वृद्धि का कारण क्या बताती है । कन्ट्रोल रेट से दाम बढ़ गये हैं, इसका क्या कारण है ? खाद्य मंत्री जी ने कहा कि दामों में नियंत्रण पाया जा रहा है और भाव 10 रुपये में आ गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आज भी चीनी 14 रुपये में बिक रही है । मैं इसका कारण जानना चाहूंगा । नैपाल और बंगला देश में 40 रुपये किलो शक्कर है । मंत्री जी ने इसका कारण दिया था कि नैपाल और बंगला देश में तस्करी बड़ी पैमाने पर हुई है । अगर यह सही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री हुकुम सिंह–

दाम क्यों बढ़े हैं, इसको मैंने पहले ही कहा है कि चीनी के जो दाम बढ़े हैं, वह अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं । जब खपत ज्यादा बढ़ गयी तो उसके दाम बढ़ने स्वाभाविक हैं । उसको मैंने नियंत्रित किया है । नैपाल में और बंगला देश में चीनी के दाम अधिक हैं । इनको सीमा भारत से मिली हुई है । जब दो देशों के भाव में अन्तर होगा तो लोग इस बात का फायदा उठाते हैं । एक ही कमोडिटी के भावों की बात नहीं है, दूसरी कमोडिटी के भावों की भी यही बात है । पूरे विश्व में आप देखें कि चीनी के भाव अधिक हैं, केवल भारत में ही चीनी के भाव कम हैं । आप 8 रुपये और 10 रुपये की बात कर रहे हैं, आप अन्तर्राष्ट्रीय भावों को देखें । हमारी सरकार ने भावों को रोकने के प्रयास किये हैं, इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इतने महत्व के प्रश्न का उत्तर सरकार ने बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से दिया है । मुझे पता नहीं है कि वह जनता की प्रतिनिधि है या नहीं है । जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने और खाद्य मंत्री जी ने दिया है, उससे बड़ा असन्तोष हुआ । मैं जानना चाहूंगा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी का कितना उत्पादन हुआ ? कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनके कारण खपत या डिमान्ड इतनी ज्यादा बढ़ गयी है । जब कम चीनी का उत्पादन हुआ है और खपत इतनी अधिक बढ़ी है, तो इसको दृष्टिकोण में रखते हुए आपकी सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि चीनी के भाव न बढ़ें । जिला केन्द्रों पर चीनी सुलभ नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि दुकानें खोल देने से चीनी नहीं मिलने लगेगी । जो आपकी

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वहां पर 3 महीने से चीनी नहीं मिल रही है । चीनी मोहर्रम में नहीं मिली, दसहरे में भी मिलने की सम्भावना नहीं है । उसको सुनिश्चित करने के लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1988–89 में उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन का लक्ष्य 26 लाख 65 हजार मीट्रिक टन था और उत्पादन हुआ 23 लाख 1 हजार मीट्रिक टन और पूरे देश का चीनी का उत्पादन का लक्ष्य 98 लाख मीट्रिक टन था और उत्पादन हुआ 88 लाख मीट्रिक टन । मान्यवर, आपने चिन्ता की बात कही कि त्योहार दशहरा और दीवाली आने वाली है उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमने केन्द्रीय सरकार के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया है कि निर्धारित कोटे के अतिरिक्त एक-एक किलो चीनी दी जायेगी । इस प्रकार अक्टूबर के महीने के कोटे के अतिरिक्त चीनी का आवंटन किया जायेगा । भारत सरकार ने वायदा भी किया है कि फ्री सेल की चीनी 80 हजार मीट्रिक टन वह हमें उपलब्ध करायेंगे जिसके आवंटन की हमने व्यवस्था कर दी है । इस तरह से अक्टूबर के महीने में प्रदेश में चीनी की कहीं कमी होने वाली नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि खांडसारी की तरफ ध्यान न देने के कारण चीनी के उत्पादन में कमी हुई है । यह सही है कि आपका 98 लाख का उत्पादन का लक्ष्य था और इस वर्ष 87.5 लाख टन उत्पादन हुआ । लेकिन आपके पास 24.31 लाख मीट्रिक टन स्टाक में था । इस प्रकार 112 लाख मीट्रिक टन चीनी आपके पास इस वर्ष उपलब्ध थी । आपकी पिछले साल जो मांग थी वह 93.85 लाख मीट्रिक टन थी और आपका लक्ष्य था 99 लाख मीट्रिक टन का । इससे भी अधिक चीनी आपके पास उपलब्ध थी । फिर भी चीनी के दाम कैसे ज्यादा बढ़ गये । चीनी उपलब्ध थी । पिछले साल जो स्टाक था उसको लेकर 112 लाख टन चीनी आपके पास होते हुए भी आपने क्या किया ? आप यह मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं कि चीनी की चोर-बाजारी हुई है और यह चीनी नैपाल और बंगला देश तथा अन्य सरहदी इलाकों में गई है ? क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा किसानों को चीनी पर्याप्त मिले ? मान्यवर, हमारे यहां एक कहावत है कि "चाम के घेड़ को कुकुर रखवार" । उसी प्रकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आप इस चीनी का आवंटन करवा रहे हैं जो स्वयं कालाबाजारी कर रहे हैं । इस पर आप कोई अंकुश लगायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी । जो लेवी की चीनी हमें मिलती है उसका हम कैसे आवंटन कर सकें । इसमें कुछ शिकायतें भी रही हैं । इसका कारण यह रहा है कि जिले की समितियां तय नहीं हो पाती थीं कि किसको कितनी चीनी दी जाय और किस किस दुकान को कितनी दी जाय । इस कारण से इसमें एक

मौलिक संशोधन किया गया और प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर उनको अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने विश्वास के आदमियों को इसमें लें । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से ग्रामीण अंचलों में चीनी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

(नेता विरोधी दल तथा विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस प्रश्न पर 35 मिनट दे दिये हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिए 35 मिनट दिये हैं । अगर आप चाहते हैं, माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं कि पूरे प्रश्नों के समय को इसी प्रश्न पर लिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, एक अन्तिम प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब काफी हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

सरकार चीनी के मूल्य नियंत्रण में असफल रही है (व्यवधान) हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

हम भी निर्दलीय विधायक इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राम आसरे वर्मा निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार की इस नीति के विरोध में हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(शोर एवं व्यवधान के मध्य)

(श्री मुलायम सिंह यादव भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री सत्यपाल सिंह–

सरकार चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफल रही है, हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं ।

(नेता विरोधी दल श्री सत्यपाल सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम भी इनके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, हम 11 बजे से खड़े हो रहे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। सरकार चीनी के मूल्यों की वृद्धि नहीं रोक पा रही है। हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(श्री जयदीप सिंह बरार भी सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, विपक्ष हमेशा गलत आरोप लगाता है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 हरदेव जी आप कृपा कर बैठें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके ऊपर माननीय सदस्य लदे हैं माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठें (व्यवधान) माननीय सदस्य हरदेव जी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। कृपया बैठें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, चीनी वाले महत्वपूर्ण विषय पर हम नियम 49 में चर्चा की मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिए। अगला प्रश्न लेता हूं। प्रश्न संख्या 2 (सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर) आगे नत्थी 'ख' लेता हूं प्रश्न सं0 1...।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पुकारा लेकिन आप नहीं थे। (व्यवधान) ठीक है।

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने पर) माननीय मंत्री जी आप बैठें (व्यवधान) आप सुनिये पहले डा0 बंगाली सिंह का प्रश्न सं0 2 ले रहे हैं।

योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों की उपेक्षा कर आरोपित उप आबकारी आयुक्त को संयुक्त आबकारी आयुक्त बनाया जाना एवं गलत पदोन्नति के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

**2–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-7-89 से 20-8-89 के बीच योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों की उपेक्षा कर एक ऐसे उप आबकारी आयुक्त को संयुक्त आबकारी आयुक्त बनाया गया है जिसके खिलाफ कानपुर एवं इलाहाबाद में तमाम घपलों के साथ ही करोड़ों रुपये राजस्व की क्षति का आरोप है और जिसे उसने स्वयं स्वीकार किया है इन घपलों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं ?। क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त अधिकारी के खिलाफ अभी विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो इन गलत पदोन्नति के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, उप आबकारी आयुक्त ने खुद स्वीकार किया है । कानपुर और इलाहाबाद में उप आबकारी आयुक्त ने करोड़ों रुपये की हानि की है उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं जी नहीं, जी नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने सरकार की करोड़ों रुपये की हानि की हो उस अधिकारी का प्रमोशन कैसे हो गया?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया है कि इस तरह कुछ नहीं हुआ है ।

डा0 बंगाली सिंह–

जिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने कानपुर और इलाहाबाद में सरकार की करोड़ों रुपये की हानि की है उसके उत्तर में मंत्री जी कहते हैं जी नहीं, जी नहीं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी से जैसी चर्चा है 5 लाख रुपया लेकर प्रमोशन किया है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अधिकारी का नाम नहीं बताया किस अधिकारी को वह बता रहे हैं ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शारदा सहायक खण्ड-8, लखनऊ में कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के बावजूद प्रोन्नति दिया जाना

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में शारदा सहायक खण्ड-8, लखनऊ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा फीडर चैनेल के पुल बनवाने हेतु गिट्टी की आपूर्ति के लिए एक ही ठेकेदार के नाम 10,16,838 रु0 की धनराशि के 22 अनुबन्ध बनाकर घोर वित्तीय अनियमितताऐं कर सरकार को लाखों रुपये का घोटाला किया गया और इस घोटाले के विरुद्ध टी0ए0सी0 जांच में उक्त अधिशासी अभियन्ता को पूर्ण रूप से दोषी पाये जाने एवं इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की स्पष्ट अनुशंसा के बावजूद कोई कार्यवाही न कर उन्हें लगातार प्रोन्नतियां दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)–

शारदा सहायक खण्ड–8, लखनऊ में कार्यरत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 1972-73 में की गयी तथाकथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर विचार करने के उपरान्त शासन के

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-10-84 द्वारा संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी गयी थी। इस चेतावनी के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त प्रत्यावेदनों तथा प्रमुख अभियन्ता की आख्या एवं संस्तुति पर विचार करने के उपरान्त यह पाया गया कि रु0 10,16,838 की धनराशि के 22 अलग-अलग अनुबन्ध स्वीकृत करने में प्रक्रियात्मक त्रुटियां अवश्य की गई थी किन्तु इससे शासन को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई। अतएव उन्हें वर्ष 1984-85 के लिए दी गयी चेतावनी को शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 1989 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

सम्बन्धित अधिकारी के सुसंगत सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही उन्हें नियमानुसार समय-समय पर उच्च पदों पर प्रोन्नतियां दी गयी हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक की आख्या क्या थी और उसके बाद उनको दी गयी चेतावनी के खिलाफ जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुए उस पर प्रमुख अभियन्ता की क्या टिप्पणी थी?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, जैसा उत्तर से विदित है कि 19-10-84 को अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी गई थी लेकिन चेतावनी के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार करने के उपरान्त पाया गया कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी थी इस-लिए चेतावनी को निरस्त कर दिया गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने आख्या के संबंध में पूछा था कि वह क्या है और आख्या पर लिए गये निर्णय के खिलाफ प्रत्यावेदन पर प्रमुख अभियंता की क्या टिप्पणी थी यह पूछा था, इसका उत्तर दिला दें?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अनियमितताओं के संबंध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक तथा तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (शारदा) की आख्याओं के बाद जो संस्तुति की गयी थी उसमें यह है कि अधिशासी अभियंता ने उक्त खण्ड की रिजर्व स्टाक लिमिट का उल्लंघन किया गया और स्टाक के कार्य की आगणन अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृत नहीं कराया। इस प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के नियम 182 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किया।

दूसरे उन्होंने निविदा आमंत्रित करने से पूर्व अधीक्षण अभियंता से दरें स्वीकृत नहीं करायी।

तीसरे अधिशासी अभियन्ता को केवल पांच लाख रुपये तक का अनुबन्ध करने का अधिकार था, जिसके विरुद्ध उन्होंने 10,16,838 रुपये के 22 अनुबंध छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके किये। यह सब अनियमितताएं उन्हीं की थी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 में शत-प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की नीति

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 में शत प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि शत प्रतिशत सिंचाई के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वे नहरें, रजबहे बाधक हैं जिनकी टेल में कभी भी पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि इन नहरों की कमाण्ड एरिया में सरकारी ट्यूबवेल लगाने पर भी विचार नहीं हो सकता ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?

श्री मुईद अहमद—

प्रदेश में शत प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति के लिए सिंचाई जल का बेहतर उपयोग, सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई प्रबन्ध का सुधार करना, पानी को व्यर्थ नहीं करना, नदियों, कुओं आदि भूमिगत जल के उपयोग को संयोजित करने की नीति है ।

जिन नहरों के अन्तिम छोर पर विभिन्न कारणों से निरन्तर पानी पहुंचने में कठिनाई होती है, कृषकों के अनुरोध पर नहरों के कमाण्ड से प्रभावित क्षेत्र को निकाल दिया जाता है और राजकीय नलकूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लगाने पर विचार किया जाता है।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

माननीय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में शत प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति हेतु वर्ष 88-89 में क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर के दूसरे पैरा को देखें जिसमें बताया गया है जिन नहरों के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र को नहरों के कमांड एरिया से निकाल दिया जाता है और ट्यूबवेल सरकार वहां लगवाती है. तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने किलोमीटर नहरें ऐसी हैं जिनके कमांड एरिया में पानी बिल्कुल नहीं या कम जाता है और ऐसे कितने क्षेत्रफल को कमांड एरिया से निकाल दिया गया है और कितने ट्यूबवेल लगाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, कृषकों के अनुरोध पर शासन की यह नीति है कि जिन नहरों के टेलों पर जल उपलब्ध नहीं है, वहां पर कृषकों की मांग होती है तो उस क्षेत्र को नहर के कमाण्ड एरिया से बाहर कर नलकूप लगाने की व्यवस्था होती है । यह व्यवस्था आमतौर पर नहीं होती है, जब उस क्षेत्र के कृषकों की मांग होती है, तभी होती है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

बहुत सी ऐसी नहरें हैं जिनके टेल पर आज 10-15 वर्ष हो गये हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचता है, तो क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि कितनी ऐसी नहरें हैं, जिनके टेल तक पिछले अनेक वर्षों से पानी नहीं पहुंचा है और उसमें कौन-कौन क्षेत्र आता है ? किसानों के जो प्रार्थना-पत्र जिला मुख्यालयों पर जाते हैं, उससे तो शासन को इसकी जानकारी होगी कि कितनी नहरें हैं, जिनके टेल पर 10-12 साल से पानी नहीं जाता है, सरकार इसकी जानकारी करा दें और उन पर सरकार की नीति के अनुसार कितने ट्यूबवेल लगाये गये हैं ? उत्तर प्रदेश में कृषकों के कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं, जिनमें कृषकों के अनुरोध पर सरकार ने ट्यूबवेल लगाए हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा व्यापक है । इसका इस तरह उत्तर नहीं हो सकता है । 79 हजार किलोमीटर लम्बी हमारी नहरें हैं । यह हमारी नीति है कि जिन नहरों के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है, वहां पर किसानों के प्रार्थना पत्र पर, अनुरोध पर नलकूप लगा दिये जाएं, जिससे पानी की सुगमता बनी रह सके । हमेशा नयी योजनायें स्थिति अनुसार बना करती हैं, जैसे गंगा नहर क्षेत्र में इटावा के बाद पानी की कमी बनी रहती थी, इसलिए वहां पर पंचनद योजना बनायी जा रही है, जिससे चम्बल के जल को गंगा जल में मिला दिया जाए, कानपुर के पास । जल की कमी खेती बढ़ने से होती है । नहरों के हेड पर जब खेती बढ़ती है, तब पानी की कमी होती है और जब कृषक अनुरोध करते हैं तो नलकूप लगा दिये जाते हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसा मंत्री जी ने कहा कि टेल पर पानी नहीं जाता है, तो ट्यूबवेल लगाये जाते हैं, लेकिन जहां मुख्य नहर में ही पानी नहीं जाता है, और कृषकों की जमीन लेकर नहर खोद दी गयी है और उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया है, उसके लिए वह क्या कर रहे हैं ? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरयू कैनाल योजना जो दसों वर्ष से बन रही है, इसकी जहां खुदाई हो रही है, उसको इसी वर्ष सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सरयू कैनाल नहर में सन् 1995 के अन्त तक पानी पहुंच जायगा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या शासन की नीति इस प्रकार बन रही है कि जो माइनर्स हैं और जिनके टेल पर पानी नहीं जाता है, वहां पर ट्यूबवेल के 5/5 क्लस्टर्स लगाकर खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं? वह उनके पानी को रजबहों में गिराकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह नीति है कि यदि टेल पर पानी नहीं पहुंचता है और किसानों की मांग होती है तो वहां पर नलकूप लगाये जाते हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि लखनऊ तहसील और मोहनलाल गंज तहसील शारदा सहायक की टेल पर हो जाने से, टेल पर पानी नहीं पहुंचता है, जिस प्रकार रायबरेली को शारदा सहायक से लाल रजबाहे से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है उसी प्रकार शारदा सहायक नहर से लखनऊ तहसील, मोहनलाल गंज तहसील और गोसाईंगंज/रजवाहे में पानी पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस पर माननीय विधायक जी ने एक पत्र भेजा है, यह सर्वेक्षण में है ।

श्री हृदय नारायन दीक्षित–

मान्यवर, कृषकों के अनुरोध पर ट्यूबवैल लगाए जाते हैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संबंधित कार्यालय ज्ञाप संख्या–758 टी/85 दि0 9-12-85 का यह पत्र है, इसमें माननीय सांसदों के सुझावों के अनुसार पांच ट्यूबवैल उनके क्षेत्र में लगाए जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय विधायकों के सुझावों पर कोई ट्यूबवैल लगाया जा सकता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय सांसद का क्षेत्र भी तो माननीय विधायक का क्षेत्र होता है ।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में ग्रामीण जनता को शहरी जनता के समकक्ष लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उसे विद्युत उत्पादन का एक तिहाई भाग भी सप्लाई नहीं किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाली मात्र 20 प्रतिशत जनता को कुल विद्युत उत्पादन का दो तिहाई से अधिक भाग खपत हेतु सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में ग्रामीण जनता को शहरी जनता के समकक्ष लाने के लिए सरकार क्या-क्या समयबद्ध कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को उनके लिए आवश्यक और स्वीकृत विद्युत आपूर्ति का प्रयास किया जाता है । यह आपूर्ति नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया । मैंने अपने प्रश्न में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तिहाई से भी कम विद्युत की सप्लाई की जाती है । हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और ग्रामीण जनता को शहरी लोगों के समकक्ष ले जाने की सरकार की नीति है, तो सरकार ने ऐसा कोई अपना प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को शहरी उपभोक्ताओं के बराबर बिजली उपलब्ध कराई जाए ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय बरार साहब जी ने पूरी जानकारी करने की कोशिश नहीं की, कृषि क्षेत्र में इस समय, कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र में आता है 1984-85 में 32.36 प्रतिशत बिजली का उपयोग हुआ है । 1987-88 में 40.53 प्रतिशत बिजली कृषि क्षेत्र को दी गई । 37.40 प्रतिशत बिजली दी गई यह कृषि उपयोग की बिजली दी गई है यह एक क्षेत्र के बारे में मैं बता रहा हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नलकूपों के आंकड़े गिना दिए । सारा प्रदेश जानता है किताबों के आधार पर 37.44 बता दें चाहे जो बता दें, मान्यवर, कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो यह बता दे कि ट्यूबवैल को कितनी बिजली दी गई ? वहां सिर्फ तीन चार घंटे बिजली दी जाती है । मेरी मूल भावना को समझते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी शहरी क्षेत्र को बिजली दी जाए उतनी ही ग्रामीण क्षेत्र को भी बिजली दी जाए ।

गांव का जो सैक्शंड लोड है वह शहरी क्षेत्र के सैक्शंड लोड से बहुत कम है । अगर गांवों को पूरे घंटे बिजली देंगे भी तब भी गांव के लोगों को 40 प्रतिशत से ज्यादा बिजली नहीं मिल पायेगी । इसलिये मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि क्या वह स्पष्ट निर्देश देंगे कि जितनी शहरी क्षेत्र को बिजली दी जाती है उतनी ही ग्रामीण क्षेत्र को दी जायगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी मैंने सिंचाई क्षेत्र की बात की थी इसके अलावा घरेलू उपयोग के लिये उद्योगों के लिये भी देहाती क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली दी जाती है । जहां तक बरार साहब का सवाल मैं समझ सका मेरे ख्याल से वह चाहते हैं कि जिस तरह से घरेलू उपयोग के लिये शहरों को बिजली दी जाती है उसी तरह से देहातों को दी जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

घरेलू उपयोग और नलकूपों दोनों के लिये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नलकूपों के लिये हमारे यहां जो औसत है तो मैं बताना चाहूंगा कि 1983-84 में साढ़े 8 घंटे बिजली दी जानी थी उसके बमुकाबले पौने 10 घंटे बिजली दी गयी । इसी तरह से 1983-84 में साढ़े 7 घंटे बिजली देनी थी जिसके मुकाबले साढ़े सात घंटे दी गयी । 1985-86 में साढ़े 9 घंटे बिजली देनी थी जिसके बमुकाबले साढ़े 10 घंटे बिजली दी गयी । 1986-87 में पौने 10 घंटे बिजली दी जानी थी जिसके बमुकाबले 11 घंटे बिजली दी गयी । 1987-88 में जो सूखे का वर्ष था, साढ़े 10 घंटे बिजली आपूर्ति की बात थी जिसके बमुकाबले साढ़े 12 घंटे बिजली दी गयी और पिछले वर्ष भी 10 घंटे की बात थी परन्तु देहाती क्षेत्रों को साढ़े 13 घंटे बिजली दी गयी । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रोपिंग के लिये 10 घंटे बिजली दी गयी । तो मान्यवर, पूरा प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुये ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपको भी ध्यान होगा, विगत सत्र में अनेक बार माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि किसानों को 12 घंटे बिजली देंगे और अखबारों में भी घोषणा की कि किसानों को 12 घंटे बिजली देंगे । अभी माननीय मंत्री जी ने जो 4 वर्षों का चार्ट पढ़ा उससे उनकी पकड़ अपने आप हो गयी । उन्होंने कहा कि 9 घंटे देना था 11 घंटे दिया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी संसदीय परम्पराओं को मानेंगे कि नहीं, जितनी बिजली देनी चाहिये उतनी बिजली कभी नहीं दी जाती है । आप जितने राजकीय नलकूप हैं उस पर जो कूप चालक हैं उनके चार्ट देख लीजिये । उसमें मिलेगा कि बिजली 2,3 घंटे आयी और आप कहते हैं कि 10 घंटे बिजली दे रहे हैं । आप कूप चालकों के रजिस्टर का मुआइना कर लें और अपने ट्रांसमिशन स्टेशनों से जितनी बिजली गयी है उसके रिकार्ड को देख लें तब सदन को अवगत करायें कि वास्तव में कितनी बिजली दी गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि गत वर्ष 10 घंटे बिजली देने की बात थी जिसके मुकाबले साढ़े 13 घंटे बिजली दी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने 10 घंटे के आधार पर आंकलन कर लिया कि हम इतनी बिजली देंगे लेकिन उतनी बिजली उपलब्ध ही नहीं हुयी कि दी जाय । मान्यवर, हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें । या तो इनका हिसाब गलत है या इनका आकंलन गलत है या इनका कथन [xxx] है । मान्यवर, कौन सी बात सही है यह मंत्री जी बताने का कष्ट करें ।

(उत्तर के लिये मा0 मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में 64 प्रतिशत बिजली दी जा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि बस्ती और सिद्धार्थ नगर के 99 प्रतिशत कृषि और ग्रामीण क्षेत्र है 8 महीने से ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत का विस्तार, विद्युत सुधार के सारे काम विद्युत उपकरणों के अभाव में ठप्प पड़े हुए हैं, क्या माननीय मंत्री जी शीघ्र उसकी पूर्ति कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने अभी 64 प्रतिशत बिजली देने की बात कही, मान्यवर, मैंने 37.44 प्रतिशत सिंचाई के लिए, इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग और जल संस्थान के पानी की टंकी वगैरह के लिए अलग से व्यवस्था की है ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय हरीश जी ने जो कठिनाई बताई उसको मैं दिखवा लूंगा ।

जनपद आगरा के ब्लाक अकाला में खारी नदी के किनारे स्थित सभी ग्रामों के कुओं के जल स्तर को ऊपर लाने की मांग

*3–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अकाला में खारी नदी के किनारे स्थित सभी ग्रामों के कुओं का जल नीचे चला गया है? यदि हां, तो खारी नदी को ग्राम रिठौरा, खोड़िया, जैगारा और चैकोरा के घाटों पर लघु बांध बनाकर बरसाती पानी को कुओं का जल स्तर ऊपर लाने के लिये रोकेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुईद अहमद–

जी हां । खारी नदी में प्रस्तावित स्थलों पर वर्षाकाल में जल की उपलब्धि, रोके गये पानी से जल प्लावन क्षेत्र, मिट्टी की जल रिसाव क्षमता एवं इस रोके गये जल से कुओं के जल स्तर पर प्रभाव के आकलन पश्चात् ही कोई प्रस्ताव बनाना सम्भव होगा । इसके लिए वर्षाकाल के उपरान्त विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा जनपद के अकोला ब्लाक में यह जो नदी पहुंचती है, इसका पानी खारी होने की वजह से वहां के सभी ग्रामों के कुओं का पानी का जल नीचे चला गया है, इसे माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जी हां कहकर स्वीकार कर लिया है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह जल स्तर उतर गया है, तो आपने उत्तर दिया है कि वर्षा काल के उपरान्त आप वहां पर विस्तृत सर्वेक्षण करायेंगे, इसके आधार पर कि जल की उपलब्धि क्या है और रुके हुए जल से जल प्लावन कितना हुआ है और मिट्टी में जल रसाव कितना है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अब तक वर्षा काल में कोई व्यवस्था की है कि वर्षा का पानी रुक जाय या आंकलन करने के लिए आपने कोई वर्षा ऋतु से पूर्व ऐसे कार्य किये हैं?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, खारी नदी का जल स्तर नीचे चला गया है, उसके लिए वर्षा काल के उपरान्त सर्वेक्षण कराया जाना सम्भव होगा । इसके अतिरिक्त पूर्व में खारी नदी पर ग्राम पिपानी, नगला, बिच, सिकन्दरपुर एवं भवनपुर के पास 4 बीयर बना कर बरसाती पानी रोक कर नदी का जल स्तर ऊपर उठाने की साध्यता रिपोर्ट बनाई गयी है । इससे नदी की पूरी ऊपरी लम्बाई में वर्षा का पानी एकत्रित होगा । इस साध्यता रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है । इसके उपरान्त ही आगामी निर्णय लिया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, वही घिसा-पिटा उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि सर्वेक्षण करवा रहे हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव श्री बी0एस0 पाण्डेय का पत्र मेरे पास है, यह पत्र 28 अप्रैल, 1986 का है । यह पत्र मान्यवर, ग्राम अकोला, जिला आगरा में खारी नदी पर बांध निर्माण के सम्बन्ध में था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री जी का घेराव न करें ।'

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि मामला इतना पुराना है और इस सम्बन्ध में अब साध्यता रिपोर्ट की बात करना सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करना अपने आपको विषय से अलग करना है । मान्यवर, मैं आपको हवाला दे रहा हूं । कि 28 अप्रैल, 1986 का पत्र है इसमें खारी नदी में बन्धा बनाने जाने की बात मैंने कही थी इसमें बी0एस0 पाण्डे का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे पास है, उसके बाद दूसरा पत्र 25 मई, 86 का है इसमें वही बात मौजूद है । यह प्रश्न मैंने पहले किया था यह प्रथम सत्र 1989 में इसका उत्तर मेरे पास है इसमें भी यह बात कही गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1986 से तो मेरे पास पत्र उपलब्ध हैं और यह मामला उससे भी पहले मैंने उठाया था और तब से लेकर आज तक आप बराबर सर्वेक्षण रिपोर्ट और साध्यता रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात करते हैं आखिरकार यह साध्यता रिपोर्ट कोई पवनपुत्र लेकर आयेगा ।' सन् 86 से लेकर आज तक वह साध्यता रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त न हो इसका क्या कारण है? यह साध्यता रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको कब तक प्राप्त हो जायेगी और अब तक प्राप्त न होने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, 4 बैराज खारी नदी पर बनाये गये हैं जिनका वर्णन आपको दे दिया गया है इसी बरसात में उनमें पानी रुकेगा, बरसात बीतने के बाद उसका क्या अंजाम होता है उसके सर्वेक्षण के बाद बांध बनाये जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो 4 बैराज बनाने की बात इन्होंने कही है मैं इसके सम्बन्ध में कह रहा था कि साध्यता रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई और अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि वह बन गये हैं । मान्यवर, मैंने इतना प्रश्न किया था कि बन गये हैं तो इन्होंने कहा कि बन गये हैं लेकिन मान्यवर, वह नहीं बने हैं इसलिए मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि उन्होंने किस आधार पर कहा है कि बन गये हैं और अगर बने गये हैं तो कब बने हैं उसकी तिथि क्या है और कब से पानी इकट्ठा हो रहा है, यह बता दें?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, खारी नदी पर ग्राम पिपानी, नगला विच, सिकन्दरपुर और भवनपुर के पास 4 वीयर बनाकर बरसाती पानी रोककर नदी का जल स्तर ऊपर उठाने की साध्यता रिपोर्ट बनाई गई है । इसमें बरसात के बाद इसका सर्वेक्षण होगा देखें क्या अंजाम इसका होगा उसके उपरान्त यह काम प्रारम्भ होगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह सवाल जिस क्षेत्र की जनता के लिए पूछा गया है यह उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय सिंचाई मंत्री को यहां तक ज्ञान नहीं है और वह उत्तर दे रहे हैं कि 4 बांध बन गये हैं । मैं एलान करता हूं कि यह माननीय मंत्री जी [xxx] बोल रहे हैं और एक भी बांध नहीं बनाया गया है ।'

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द [xxx] नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, असत्य लिख लिया जाय । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इस उत्तर को असत्य सिद्ध करने के लिए कोशिश करूंगा । मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि खारी नदी में प्रस्तावित स्थलों पर वर्षाकाल में जल की उपलब्धि देखेंगे, रोके गये पानी से जल प्लावन क्षेत्र देखेंगे, मिट्टी का जल रिसाव देखेंगे कि कहां रिसाव होता है मिट्टी में और इस रोके गये जल से कुओं के जल स्तर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करेंगे और सर्वेक्षण करायेंगे । मैं कह रहा हूं कि कोई काम नहीं किया है, न पानी रुका है, न जल रिसाव का आकलन लिया है । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी निश्चित रूप से इन चारों स्थानों पर बांध बनाकर जल को रोकने का कार्य कब से प्रारम्भ करा देंगे और उसकी एजेंसी क्या होगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस वर्षा के बाद यह कार्य प्रारम्भ हो जायगा और इस पर चार बांध बनेंगे, जिसके बाद भविष्य में इस पर बांध बनवाने की बात मुकर्रर होगी ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह साफ हो गया कि मंत्री जी ने कहा कि चार जगह बांध बन गये हैं और अब कह रहे हैं कि चार जगह बनेंगें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुझसे भूल हुई । मैंने कहा कि चार जगह बांध स्वीकृत हुए हैं, जो वर्षाकाल के बाद निर्मित होंगे और उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है, कितना जल रुकता है इसका क्या असर होता है कुओं पर, इसको देखने के उपरान्त बांध बनवायेंगे, जिनकी आपने चर्चा की है ।

श्री अध्यक्ष–

मुनासिब यह होगा कि सिंचाई मंत्री बदन सिंह जी और राणाजी के साथ एक दौरा बना लें, ताकि समस्या खत्म हो जाय ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके साथ दौरा बनाने के लिये कह रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी की जानकारी में ला दूं कि जो बातें आप जानना चाहते हैं कि पानी के रिसाव और पानी के भराव से वाटर लेबिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कहना चाहता हूं कि अकोला में एक पुराना रपटा बना है सड़क का, वहां एक छोटा सा अवरोधक बनाया गया है, जिससे वहां कुओं का वाटर 4-5 फीट बढ़ गया है, इसलिये परिणाम जानने के लिये उसका अध्ययन करा लें और जानकारी कर लें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

निश्चित रूप से इससे समस्या हल होगी, कुओं का वाटर लेवल बढ़ेगा और खारा पानी मीठा हो जायगा इसलिये वहां की अपरिहार्य और अनिवार्य मांग है कि इस सम्बन्ध में जितने बैराज बन सकें, उनकी स्वीकृति प्रदान की जाय, क्या स्वीकृति प्रदान करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इसमें कोई विवाद नहीं है कि उस क्षेत्र के जल की कमी को दूर करने का यह एक साधन है । अतएव इसमें जो बांध बनाएंगे, जो प्रस्तावित हैं, उनका अंजाम क्या होता है, अगर वह जैसा कहते हैं कि कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और पानी मीठा मिलेगा, वैसा होगा तो अवश्य इस योजना को कार्य रूप दिया जायगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुझाव दिया है कि मंत्री जी आपके साथ उस क्षेत्र का दौरा कर लें ।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उपखण्ड तृतीय बासी में बन्जरहा कटान स्थल पर बाढ़ निरोधक कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जाना एवं उनका भुगतान न किये जाने के कारण

*4–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उप खण्ड तृतीय बांसी में सन् 1986 में बन्जरहा कटान स्थल पर बाढ़ निरोधक कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये हैं ? यदि हां, तो उसका अभी तक लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि टी0 ए0 सी0 और विभागीय अधिकारियों की जांच के पश्चात् 9 प्रतिशत कटौती करके भुगतान करने का सुझाव दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुईद अहमद–

जी हां ।

इस स्थल पर कार्यों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है तथा कार्य से सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान में गये हुये हैं । अतः ठेकेदारों का लगभग 20.40 लाख रुपये का भुगतान करना अभी संभव नहीं हो पाया है ।

कार्यस्थल का निरीक्षण दिनांक 16-10-86 को टी0 ए0 सी0 द्वारा किया गया था । जांचोपरान्त उनके द्वारा निम्नलिखित कटौती ठेकेदारों से करने हेतु संस्तुति की गई है :–

1–पिचिंग लूज है तथा गहराई शून्य से लेकर 5 से0 मी0 कम है । अतः इस कमी के कारण लगभग 6 प्रतिशत वसूली वांछित होगी ।

2–एप्रन में वायड है तथा माप में भी शून्य से लेकर 7 से0 मी0 तक कमी पाई गई है । अतः इस कमी के कारण 9 प्रतिशत की वसूली इस मद में वांछनीय है ।

टी0 ए0 सी0 द्वारा 7 अनुबन्धों का ही परीक्षण किया गया तथा उसी के आधार पर 22 अनुबन्धों का वसूली मेमो बनाकर अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खण्ड-1 को वसूली हेतु भेजा गया। उसके आधार पर वसूली की जा चुकी है।

2–इसके उपरांत बंजरहा कटान स्थल के कार्यों की जांच विभागीय अधिकारियों से कराई। प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि :–

1–पीचिंग व एप्रन में क्रमशः 6 व 9 प्रतिशत अधिक वायड है।

2–एप्रन डालने का ठेकेदारों का भुगतान न किए जाने की संस्तुति जांच समिति ने की है।

3–13 अदद पुराने डम्पनर्स तथा कटर के निर्माण में निर्गत 8275.45 घन मी0 पत्थर की मात्रा सामान्य से काफी अधिक जांच समिति द्वारा बतलाया गया है।

अतः यह कहना कि टी0 ए0 सी0 व विभाग द्वारा 9 प्रतिशत कटौती करके भुगतान करने हेतु संस्तुति की है, सत्य नहीं है।

टी0 ए0 सी0 तथा विभागीय जांच के अतिरिक्त सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जांच की जा रही है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच का निष्कर्ष अभी अपेक्षित है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बजकट्टा कटान पर 16-10-86 के बाद भी टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच की गयी और क्या दोनों जांचों में भिन्नता है? यदि हां, तो किस जांच को सही मान रहे हैं? सिंचाई ड्रेनेज खण्ड बस्ती, गोरखपुर के कई खण्डों की सतर्कता अधिष्ठान से जांच की जा रही है और ....

श्री अध्यक्ष–

आप माईक पर आकर बोलें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

भगवतापुर, कैथवालिया, कुरंजा, वैधवला, लखना तथा जोगिया कटान का भुगतान भी किया गया है। क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है और सारी जांच जो पहले हुई है उसको रोक दिया गया है। सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है और कोई भुगतान नहीं हुआ है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, दो प्रश्न मैंने किये थे एक तो यह है कि एक ही स्थल पर टी0 ए0 सी0 द्वारा दो बार जांच की गयी और दोनों की रिपोर्टों में भिन्नता है तो किस को सही माना है। दूसरे, ड्रेनेज खण्ड बस्ती में और अन्य उप खण्डों में किन-किन स्थानों की सतर्कता अधिष्ठान की जांच चल रही है, अन्य उपखण्डों में कार्य के विरुद्ध भुगतान भी कर दिया गया है।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह कहां के भुगतान की बात कह रहे हैं ?

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, ड्रेनेज खण्ड बस्ती की बाते कह रहा हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, ड्रेनेज खण्ड बस्ती पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे थे, इस खण्ड का कोई काम ठीक से नहीं हुआ है । सम्पूर्ण प्रकरण की पुनः जांच करायेंगे इंजीनियर्स और ठेकेदार मिलकर सारा रुपया निकाल लेते हैं । टी0 ए0 सी0 भी वहां गयी थी उसकी भी रिपोर्ट सही नहीं है सम्पूर्ण प्रकरण की, जो इस प्रश्न के माध्यम से उठाया गया है, उच्चस्तरीय जांच कराने के बाद ही पेमेंट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच हो रही है अगर उसमें कोई और प्रकरण बाकी होगा तो वह भी जोड़ दिया जायेगा ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे मंत्री जी कि भगवतापुर, कैथवीया, कुरजा, वैधवा, लखनाघहर, जोगिवां कटान की भी सतर्कता अधिष्ठान से जांच चल रही है । मान्यवर, मापी की कापी एम0 बी0 की कापी की सत्य प्रतिलिपि लगाकर भुगतान करा दिया गया है ? यह किसने किया है और क्यों किया है यह दिखवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर जहां सतर्कता अधिष्ठान की जांच हो रही है वहां भुगतान नहीं हो सकता ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या मेरी बात को सही मानकर मंत्री जी भुगतान के मामले की जांच करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । अब आप लोग बैठें ।

जनपद बांदा अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के आधुनिक साधनों की स्थायी व्यवस्था के लिए योजना

*5–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा अंतर्गत सूखाग्रस्त कर्वी तहसील क्षेत्र व उससे सटे क्षेत्रों में सिंचाई के आधुनिक साधनों की स्थायी व्यवस्था के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बांदा के अंतर्गत कर्वी तहसील क्षेत्र व उससे सटे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए चिल्लीमल पम्प नहर क्षमता वृद्धि तथा राजापुर पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना प्रस्तावित है ।

नोट :–नत्थी ग के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

चिल्लीमल पम्प नहर बांदा जनपद में यमुना नदी पर स्थित है । इसकी वर्तमान क्षमता 120 क्यूसेक्स है, जिसको बढ़ा कर 300 क्यूसेक्स किया जाना प्रस्तावित है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 1600.00 लाख रु0 होगी, जिसके अंतर्गत पक्का पम्प हाउस, 117.48 कि0 मी0 लम्बी नहरें तथा नहरों की लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है । इस योजना के निर्माण से कुल 16,413 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी एवं खरीफ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का अनुमान है ।

राजापुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि परियोजना की प्रारम्भिक साध्यता रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है ।

नोएडा दादरी रोड पर निर्माणाधीन कतिपय कालोनियों की भूमि को नोएडा की अधिसूचित भूमि मानकर रोके जाने का कारण

*6–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा दादरी रोड पर निर्माणाधीन विक्रान्त बिहार, अमित एन्कलेव, पिंक सिटी, संध्या बिहार, जे0 वी0 जे0 एन्कलेव, बन्दना वाटिका, गार्डन सिटी/अमित सिटी श्रुति बिहार, रामा कृष्ण सहकारी आवास समिति लि0 तथा गेंदा एन्कलेव आदि बहुत सी कालोनियों के निर्माण की उत्तर प्रदेश शासन से विधिवत् अनुमति ले ली गई है ? यदि हां, तो दिनांक 5-11-88 को नोएडा द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना द्वारा उपरोक्त कालोनियों की भूमि को नोएडा की अधिसूचित भूमि मानकर रोके जाने का क्या कारण है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त कालोनियों के निर्माण को शासन तुरन्त रोकने के आदेश देगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*7–श्री अशोक बाजपेयी, श्री भोपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री रमा शंकर कौशिक, श्री यदुनाथ सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री भगौती सिंह–

[1ले शुक्रवार में नियम 38 (2) के ता0 प्रं0 सं0 2 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में तहसील स्तर पर एक बड़ा कारखाना लगाये जाने की योजना

*8–श्री अमिताभ अनिल दुबे–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक तहसील स्तर पर एक बड़ा कारखाना लगाये जाने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वाराणसी मंडल की तहसीलों में कौन-कौन से कारखाने लगाये जाने वाले हैं ? इन कारखानों को लगाये जाने का काम कब शुरू किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद के अन्तर्गत ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण एवं उक्त परियोजना में अधिगृहीत किसानों की भूमि का मुआवजा

*9–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के अंतर्गत ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना प्रारम्भ होने में विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त परियोजना में अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा सभी किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? मुआवजा भुगतान में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

ज्ञानपुर पम्प नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 से प्रगति पर है । इस पर पक्के पम्प हाउस, पूरी मुख्य नहर तथा लगभग 60 प्रतिशत अन्य राजवाहा अल्पिकाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा पंप नहर चला दी गई है ।

जी नहीं ।

ज्ञानापुर पम्प नहर योजना के अन्तर्गत निर्मित तथा निर्माणाधीन नहरों के लिए जनपद इलाहाबाद में 495 एकड़, वाराणसी में 1860 एकड़ तथा मिर्जापुर में 218 एकड़ भूमि ली गई है ।

अध्याप्ति भूमि का मुआवजा देने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद को 68·50 लाख रुपया, वाराणसी को 598 लाख रुपया तथा मिर्जापुर को 28 लाख रुपये की धनराशि दी गई है । उनसे प्राप्त अभिलेखों के आधार पर उनके द्वारा इलाहाबाद जनपद से 68·50 लाख रु0 वाराणसी जनपद में 480 लाख रुपया तथा मिर्जापुर जनपद में 10 लाख रुपये की धनराशि बांटी जा चुकी है । जनपद वाराणसी में 118 लाख रु0 तथा मिर्जापुर में 18 लाख रुपया उनके पास शेष है । मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा एवार्ड घोषित होने के उपरान्त वितरित किया जाता है ।

भूमि अध्याप्ति संबंधी मुआवजे के लिए कई विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी होती है । मामले में शीघ्रता के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ।

जाड़ौल परवाना जनपद बुलन्दशहर में उद्योग क्षेत्र खोलने के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

*10–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री के आदेशानुसार जाड़ौल परवाना जनपद बुलन्दशहर में उद्योग क्षेत्र खोलने के संबंध में जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर ने अपनी संस्तुति सहित उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया है? क्या उद्योग निदेशालय कानपुर ने अपनी संस्तुति शासन को उपरोक्त उद्योग क्षेत्र को स्थापित करने हेतु दी है? क्या यह सही है कि जिला प्रशासन बुलन्दशहर ने 11 ग्रामों के भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी रीजनल मैनेजर यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 गाजियाबाद को प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर ने एक प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 20-10-87 द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कानपुर को भेजा और उसकी प्रतिलिपि शासन को भी भेजी।

जी नहीं । उद्योग निदेशक ने कोई संस्तुति न कर यह सूचना दी कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास नियम द्वारा सभी सम्भावनाओं का सर्वेक्षण कराकर किया जावा है अतः उक्त प्रस्ताव के सबंध में नियम से कार्यवाही करनी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

[बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड बंकी व देवा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु चयनित गांव

*1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 87-88 व 88-89 में जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड बंकी व देवा में कौन-कौन से गांव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु चयनित किये गये थे? क्या उन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब और यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में जनपद बाराबंकी में विकास खण्ड बंकी व देवा में निम्न ग्राम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित किये गये थे और इन सभी ग्रामों का विद्युतीकरण उनके सामने अंकित दिनांक को कर दिया गया है :–

विकास खंड बंकी

(1) वर्ष 1987-88	
1--टेराकला	15-8-87
2--बेरहरा (गोदहा)	20-11-87
3--सेहारा	30-11-8
(2) वर्ष 1988-89	
1--सराय बुधेड़ी	31-3-89
विकास खण्ड देवा	
(1) वर्ष 1987-88	
1--सराय अकबराबाद	31-3-88
2--भिटौली कला	31-3-88
3--पाटमऊ	15-2-89
(2) वर्ष 1988-89	
1--जसनवारा	20-2-89
2--टेरा खुर्द	31-3-89

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्थान द्वारा चुनार सीमेन्ट फैक्टरी मिर्जापुर में उत्पादन बन्द करने के आदेश

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री मिर्जापुर में भारतीय मानक संस्थान द्वारा कितनी बार निम्न स्तर की सीमेन्ट उत्पादन के कारण उत्पादन बन्द करने का आदेश दिया गया तथा क्या मानक के अनुरूप उत्पादन में सुधार किया गया? यदि नहीं, तो उत्पादन चालू रखने का औचित्य क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भारतीय मानक संस्थान द्वारा चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में उत्पादन बन्द करने के आदेश दो बार दिये गये थे जिसका मुख्य कारण फैक्ट्री की प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु उपलब्ध उपकरणों का पर्याप्त न होना था। उक्त कमी को फैक्ट्री द्वारा दूर किया जा चुका है। सितम्बर, 1986 के बाद भारतीय मानक संस्थान के अधिकारियों द्वारा सामयिक रूप से निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है तथा चुनार में उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता लगातार ठीक पाई गई है। स्पष्ट है कि उत्पादन में सुधार किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बरेली मण्डल के राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत को, प्रदेश के पिछड़े हुए पूर्वी क्षेत्र के समकक्ष लाने के लिए प्रस्ताव

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के अन्त तक पूर्वी क्षेत्र बरेली मंडल तथा मुरादाबाद मंडल के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का क्रमशः 58.61 प्रतिशत, 39.91 प्रतिशत तथा 46.14 प्रतिशत क्षेत्रफल की सिंचाई राजकीय सिंचाई साधनों द्वारा हो रही थी? यदि हां, तो बरेली मंडल के राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत को, प्रदेश के पिछड़े हुए पूर्वी क्षेत्र के समकक्ष लाने के लिए राज्य सरकार ने आठवीं योजना में योजना आयोग भारत सरकार अथवा उसके द्वारा गठित कार्यकारी दल को कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने की रूपरेखा बनाई है ? यदि हां, तो क्या? इन प्रस्तावों के अनुसार प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् बरेली मंडल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हो जाएगा? क्या बरेली मंडल को इस सम्बन्ध में तत्काल पूर्वी क्षेत्र के समकक्ष लाने हेतु सरकार इंडो-डच नलकूप परियोजना तथा विश्व बैंक परियोजना के फेज–3 में कम से कम दस क्लस्टर आवंटित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हाट निरीक्षकों को वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति

*4–श्री सन्तोष चतुर्वेदी–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974 में भर्ती किये गये हाट निरीक्षकों को वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति दी जा चुकी है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1970 एवं इसके पूर्व के नियुक्त सभी हाट निरीक्षकों को अभी तक

पदोन्नति नहीं दी गई है ? यदि दी गई है, तो क्या नामवार पूरी सूची सदन के पटल पर रखेंगे जिसमें यह भी स्पष्ट अंकन हो कि किन-किन कारणों से पदोन्नतियां रोकी गई हैं? पदोन्नति से वंचित उक्त हाट निरीक्षकों को राहत देने हेतु तत्काल पूर्व अनुमन्य तिथि से ही पदोन्नतियां दिये जाने हेतु मंत्री जी आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

वर्ष 1974 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये हाट निरीक्षकों को जो निर्धारित शर्तें पूरी करते थे, और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये थे, केवल उन्हीं को वरिष्ठ हाट निरीक्षक के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ रूप से पदोन्नति दी गई थी।

जी नहीं। वर्ष 1970 तथा उसके पूर्व नियुक्त सभी हाट निरीक्षकों की पदोन्नति पर चयन समिति द्वारा विचार किया गया और जो उपयुक्त पाये गये उन्हें भी पदोन्नति दे दी गयी थी।

इस वर्ग के जो हाट निरीक्षक चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये थे उनकी सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

जो हाट निरीक्षक चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये थे आगामी चयन में उन पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 134 पर)

शिवानी बिहार, कल्याणपुर, खुर्रमनगर लखनऊ के व्यक्तियों को नये घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

*5–श्री कमाल अहमद रिजवी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी बिहार कल्याणपुर खुर्रमनगर लखनऊ के जिन 21 व्यक्तियों के नये घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1989 तक लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम इंदिरा नगर लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, को विद्युत कनेक्शन न दिए जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि उपर्युक्त मामले में श्री महेन्द्र मुदगल सदस्य, संयुक्त सलाहकार एवं विधि परामर्शदात्री समिति उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के पत्र पर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत इंदिरा नगर में एस0 डी0 ओ0 प्रथम (श्री सुभाष चन्द्र) को आवश्यक कार्यवाही हेतु जनवरी, 1989 में आदेश प्रदान किये हैं? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन दिए जाने में विभाग को क्या आपत्ति है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ के 21 व्यक्तियों के नए विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र जनवरी, 1989 में प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त आवेदकों को कनेक्शन देने के लिए लगभग 20 पोल की 11 के0 वी0 लाइन तथा 11/0.4 के0 वी0 का सब-स्टेशन के निर्माण के अतिरिक्त एक 100 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर भी लगाना आवश्यक है। इस कार्य में रु0 83,800 का व्यय अनुमानित है जिसका इस्टीमेट संबंधित सहकारी समिति को दिनांक 31-8-89 को

प्रेषित किया जा चुका है । इस धनराशि को समिति या स्वयं आवेदकों द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् ही कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा।

श्री महेन्द्र मुदगल सदस्य, संयुक्त सलाहकार एवं विधि परामर्शदात्री समिति उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, का पत्र प्राप्त हुआ है, किन्तु इस धनराशि के जमा होने के पश्चात् ही कनेक्शन देने की दिशा में कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

चूंकि इस्टीमेट की धनराशि जमा होने के पश्चात् ही कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा अत: विद्युत परिषद् द्वारा विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में जनपद वार विद्युतीकरण हेतु ग्रामों व हरिजन बस्तियों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

*6–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्ष 1989–90 की अवधि में प्रदेश में जनपद वार विद्युतीकरण हेतु ग्रामों व हरिजन बस्तियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में एल0 टी0 मेन्स 2698 ग्रामों तथा 2554 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है ।

देवरिया जनपद के छोटी गंडक नदी के किनारे के ग्रामों में आबादी की भूमि व कृषि योग्य भूमि का कटान व इसको रोकने की मांग

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के छोटी गंडक नदी के किनारे हरैतिमपुर कोटवा चकदेहया भिसवा, कोन्हवलिया बाबू रा, कोन्हवलिया भरवराम, मैनपुर मदारी पट्टी, तरकुलवा, बरवा सेमरा की आबादी तथा कृषि योग्य भूमि के विगत वर्षों और वर्तमान में हो रहे गम्भीर कटाव को देखते हुए सरकार उसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन गांवों की हजारों एकड़ कृषि भूमि कट कर नदी में विलीन हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका सर्वे कराया है ? कटान को रोकने हेतु की गयी कार्यवाही में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में अंकित किसी भी ग्राम में आबादी की भूमि नहीं कट रही है । वर्षा ऋतु में बाढ़ की अवधि में कृषि योग्य भूमि का मामूली कटान होता है । इस प्रकार के कटान को रोका जाना तकनीकी व आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है ।

बस्ती जिले में राप्ती नदी के दायें तट पर बने बांसी-पनघटिया बांध में कतिपय गांवों की ली गई भूमि तथा भूस्वामियों को मुआवजा न दिये जाने के कारण

*8–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में राप्ती नदी के दायें तट पर बने बांसी-पनघटिया बांध में बंजरहा टीकुर, डुमरिया बुजुर्ग, डड़िया खुर्द, चोरई ताल आदि गांवों की कितनी-कितनी भूमि बांध में ली गयी है ? बांध का निर्माण कब हुआ है तथा अब तक भू-स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

बस्ती जिले में राप्ती नदी के दायें तट पर बने बांसी-पनघटिया बांध में पड़ने वाले ग्राम बंजरहा टीकुर, डुमरिया बुजुर्ग, डड़िया खुर्द तथा चोरई ताल गांवों की क्रमशः 13, 93, 3, 80, 4, 96, 4, 65 एवं 30, 30 एकड़ भूमि ली गई है ।

प्रश्नगत बांध का निर्माण वर्ष 1977–78 में हुआ ।

प्रश्नगत ग्राम बंजरहा के 9.30 एकड़ भूमि से सम्बन्धित कृषकों के मुआवजे का भुगतान जिसका भू-प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को प्रेषित किया गया था, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा किया जा चुका है तथा ग्राम बंजरहा के ही रकबा 4.63 एकड़, डुमरिया बुजुर्ग 4.96 एकड़ एवं डड़िया खुर्द 4.65 एकड़ भूमि जिसके भू-प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती को प्रेषित किया गया था, की धारा 4/1 व 6/1 का विज्ञापन हो चुका है तथा राजकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती द्वारा संबंधित कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जायेगा । ग्राम टीकुर रकबा 3.80 एकड़ भूमि बंधे के निर्माण हेतु चकबन्दी विभाग द्वारा सामूहिक कटौती करके विभाग को प्राप्त हुई है जिसके मुआवजे के वितरण का प्रश्न नहीं उठता है । ग्राम चोरई ताल का भू-प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को प्रेषित किया जा चुका है जिस पर कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और उनके निराकरण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र भेजा गया है ।

श्री सरजू प्रसाद सरोज, सदस्य विधान सभा का अभियन्ताओं के सम्बन्ध में टेक्निकल सेल से जांच कराने विषयक शिकायती पत्र

*9–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य विधान सभा, श्री सरजू प्रसाद सरोज का शिकायती पत्र सं0–7089-90 दिनांक 19-12-88 जो दउवकली पम्प नहर के सहायक अभियंता तृतीय के अंतर्गत चिरनो राजबहा, तराँटी राजबहा एवं रापापुर राजबहा तथा अन्य विभागीय अभियन्ताओं के संबंध में टेक्निकल सेल से जांच कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उसकी टेक्निकल सेल से जांच करायी गयी ? जांचोपरान्त कौन-कौन से अभियन्ता दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री सरजू प्रसाद सरोज, सदस्य विधान सभा के दिनांक 19-12-88 के तीन शिकायती-पत्र जिस पर कोई पत्रांक अंकित नहीं है प्राप्त हुये हैं जिनके साथ श्री बाढ़ू सिंह यादव ब्लाक प्रमुख बिरनो व श्री केशव सिंह, सदस्य जिला परिषद् के संयुक्त दिनांक रहित शिकायती पत्र नत्थी हैं ।

समस्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच का कार्य सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक को सौंपा गया जिसमें से बिरनो राजबहा से संबंधित शिकायती-पत्र की जांच आख्या तो अभी प्राप्त नहीं हुई है परन्तु तरेटी व सम्भापुर राजबहा से संबंधित जांच आख्या मुख्य प्राविधिक परीक्षक से प्राप्त हो गयी है, जिस पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग की आख्या/संस्तुति मांगी जा रही है व इसके प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर में मगहर से छताई पुल तथा छताई पुल से कौड़ी राम तक आमी नदी पर तटवर्ती बांध की योजना

*10–श्री त्रियुगीनारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे गोरखपुर जनपद में मगहर से छताई पुल तथा छताई पुल से कौड़ी राम तक आमी नदी पर 40 किमी0 लम्बा तटबन्ध बनाने के लिए 161 करोड़ रुपया की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

मगहर से छताई पुल तथा छताई पुल से कौड़ीराम तक आमी नदी के बायें किनारे पर तटवर्ती बांध की एक योजना तैयार की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत बांधों कुल लम्बाई 70.50 किमी0 थी तथा योजना की लागत 762.70 लाख रु0 थी । बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 74वीं तकनीकी सलाहकार समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण के लिए छताई पुल से कौड़ीराम तक 44.6 किमी0 लम्बे तटबन्धों की योजना जिसकी लागत 463.00 लाख है, अनुमोदित हुयी ।

योजना पर आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की सेक्टोरल योजना के अन्तर्गत माह 12/88 से कार्य प्रारम्भ किया गया है । छताई पुल से नीचे बांये तरफ 1.900 किमी0 लम्बे बांध का निर्माण कर लिया गया है । इसके आगे बन्धे का निर्माण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश के कारण रुका हुआ है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित, विधायक का गाजियाबाद में जहरीली शराब कांड से संबंधित पत्र

*11–श्री श्रीप्रकाश सिंह व श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हृदय नरायन दीक्षित, विधायक का आबकारी के संबंध में एक शिकायती पत्र सं0–55/ज0पा0/89, दिनांक 20-1-89 जो कि गाजियाबाद में जहरीली शराब कांड से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में कई आरोप लगाये हैं जिनकी जांच कराई गई । प्रथम आरोप यह है कि वर्ष 1989 के प्रारम्भ में ही मेरठ चार्ज के अन्तर्गत दिनांक 7-1-1989 को गाजियाबाद में एवं 10-1-1989 को मेरठ जनपद में दो:दो व्यक्तियों की मृत्यु विषाक्त पेय के सेवन से हो गई । गाजियाबाद के मामले में मजिस्टीरियल जांच कराई गई, जिसमें आबकारी विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया । मेरठ के मामले में मृतकों के शव पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है । बिसरा संकलित कर लिया गया पुलिस जांच जारी है । प्रारम्भिक जांच में इन मृत्युओं का शराब की दुकानों से सम्बद्ध होना नहीं पाया गया । तथापि एहतयाती कार्यवाही के रूप में आस-पास की देशी मदिरा की दुकानों के नमूने लिये गये ।

शिकायती पत्र में दूसरा आरोप यह है कि मेरठ चार्ज की लगभग सभी फार्मेसीज पूरा स्प्रिट ब्लैक करती हैं । इस आरोप में किसी दुकान विशेष की शिकायत नहीं की गई है । माह अगस्त, 1989 में मेरठ चार्ज की समस्त फार्मेसियों की जांच अन्य चार्ज के अधिकारियों से कराई गई थी परन्तु जांच में स्प्रिट की चोरी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

तीसरा आरोप मोहनमीकिन के विरुद्ध स्प्रिट के खुले व्यापार संबंधी है । यह आरोप भी जांच से प्रमाणित नहीं हुआ ।

चौथा आरोप उप आबकारी आयुक्त मेरठ के कार्यालय के हेड क्लर्क श्री के0के0 शर्मा के विरुद्ध शिकायत संबंधी है जो जांच में प्रमाणित नहीं हुआ ।

पांचवां आरोप सिम्भावली में विषाक्त पेय से हुई मौतों के लिए दोषी आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी है । सिम्भावली के मामले की मजिस्टीरियल जांच कराई गई थी जिसमें आबकारी विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया ।

उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में अवैध शराब ले जाने वाले यात्री एवं वाहन चालकों आदि के खिलाफ कार्यवाही

*12–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा–72 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में अवैध शराब ले जाने वाले यात्री जो बस में यात्रा करते हैं, के न पकड़े जाने पर क्या वाहन स्वामी एवं चालक, उपचालक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस हेतु अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेंगे ताकि वाहन स्वामियों चालकों का उत्पीड़न न हो ? क्या बस में सवार होते समय यात्रियों के सामान को आबकारी विभाग के कर्मचारी निरीक्षण करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्टेट ट्यूबवेल के स्थान चयन में सांसदों की राय के अनुसार ही ट्यूबवेल लगाने की सरकार की नीति

*13–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टेट ट्यूबवेल के स्थान चयन में सांसदों की राय के अनुसार ही ट्यूबवेल लगाने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार विधायकों की भी राय लिये जाने पर सरकार फैसला ले रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद प्लान के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले स्टेट ट्यूबवेल का स्थान चयन शासनादेश संख्या–3179 सब/81-23-सि-3, दिनांक 30 जून, 1981 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिसमें जनपद के प्रत्येक माननीय सांसद तथा विधायक सदस्य मनोनीत हैं, के सुझावानुसार नलकूप लगाये जाने की शासन की नीति है । कार्यालय ज्ञाप संख्या 6758टी/85-23-सि-5-86 टी डब्लू/72, दिनाक 9-12-85 द्वारा उपरोक्त शासनादेशों को उस सीमा तक संशोधित किया गया कि प्रत्येक सांसद के क्षेत्र में 5 नलकूपों के निर्माण के लिये केवल सांसद की संस्तुति ली जायेगी । इसके उपरान्त नलकूपों के निर्माण के लिये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

भूतत्व एवं खनिज निदेशालय उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्त भूवैज्ञानिकों से क्षेत्रीय कार्य न लिये जाने का औचित्य

*14–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि भूतत्व एवं खनिज निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत पदों पर भूवैज्ञानिक मुख्यालय पर तैनात किये गये हैं तथा उनसे क्षेत्रीय कार्य नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और कौन इसके लिए दोषी है ? क्या पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर नियुक्त भूवैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय कार्य हेतु भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0 प्र0 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत पदों पर नियुक्त भूवैज्ञानिकों में से कुछ की समय समय पर तैनाती मुख्यालय पर रहती है परन्तु वे सभी पर्वतीय क्षेत्र से ही संबंधित कार्य करते हैं । मुख्यालय पर इनकी तैनाती होने का कारण यह है कि उनके द्वारा किये गये खनिज अन्वेषण कार्य से संबंधित आंकड़ों एवं नमूनों का मूल्यांकन एवं परीक्षण मुख्यालय पर किया जाता है अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के पदों पर नियुक्त भूवैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्य हेतु नियमित रूप से प्रति-वर्ष क्षेत्र में जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के घाटे में चल रहे निगमों की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग

*15–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 के सभी निगम दिसम्बर, 1988 के अन्त तक करोड़ों रुपये के घाटे में चल रहे थे ? यदि हां, तो इसकी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन घाटों को कम करने के लिए कोई चरणबद्ध योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

स्वायत्तशासी निगमों के विभिन्न कार्य एवं प्रकृति के दृष्टिगत उनके घाटे को कम करने के लिये शासन द्वारा कोई चरणबद्ध योजना बनाया जाना सम्भव नहीं है । अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा परिषद् के अधीन कार्यरत समस्त स्टोर मुंशी पद धारकों को सहायक भण्डारपाल के पद पर पदोन्नति के आदेश

*16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने आदेश सं0–5150-कार्मिक-9(बी)/87-50 एन0 बी0/73, दिनांक 28-11-1987 परिषद् के अधीन कार्यरत समस्त स्टोर मुंशी पद धारकों को सहायक भण्डारपाल पद पर पदोन्नत करने का आदेश किया है ? यदि हां, तो परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर अलीगढ़ पनकी ताप विद्युत परियोजना कानपुर एवं वाराणसी जोन में कार्यरत स्टोर मुंशी पदधारकों की पदोन्नति अभी तक सहायक भण्डारपाल पद पर न किये जाने के क्या कारण है ? इनकी पदोन्नति किस तिथि तक कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

संदर्भित आदेश सं0–5150-कार्मिक-9 (बी)/87-50 एन0 बी0/73, दिनांक 28-11-1987 के अनुसार जो स्टोर मुंशी चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने पर सहायक भण्डारपाल के पद के उपयुक्त पाये जायेंगे उन्हें रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नत किया जायेगा । उपयुक्त स्टोर मुंशियों की प्रोन्नति हेतु सहायक भण्डारपाल के पद उपलब्ध न होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार नये पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया है । हरदुआगंज परियोजना पर 33 पद तथा पनकी परियोजना पर 9 पद सहायक भण्डारपाल के स्वीकृत किये गये हैं एवं स्टोर मुंशियों के रिक्त होने वाले पदों को समाप्त किये जाने के आदेश किये गये हैं ।

हरदुआगंज परियोजना में स्टोर मुंशियों को सहायक भण्डारपाल बनाये जाने के आदेश भी निर्गत कर दिये गये हैं । पनकी परियोजना पर सहायक भण्डारपाल के पद सृजित हो चुके हैं । इन पर चयन की कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी ।

वाराणसी क्षेत्र का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है ।

ग्राम आशा खेड़ा तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण अग्निकाण्ड में क्षति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा उस पर कार्यवाही

*17–श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13-4-1987 को ग्राम आशा खेड़ा तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुए अग्निकाण्ड में लगभग 30 ग्रामीणों की काफी क्षति हुई है जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-11-88 एवं 10-3-89 मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं और उक्त मामले में मुख्य विद्युत निरीक्षण, उ0 प्र0 शासन ने विद्युत परिषद् को दोषी बताते हुए क्षतिपूर्ति किए जाने की संस्तुति भी की है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी तथा क्षति पूर्ति कब तक करायी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी कर्मचारियों को दण्डित भी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के ब्लाक धुघली के गांव मंगलपुर पटखौली में बिजली विभाग की लापरवाही से भीषण अग्निकाण्ड व क्षतिपूर्ति न कराये जाने के कारण

*18–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले के ब्लाक धुघली के गांव मंगलपुर पाटखौली में गत माह जो भीषण आग लगी और उसमें करीब एक करोड़ की क्षति हुई उसका कारण बिजली विभाग की लापरवाही रही है ? यदि हां, तो अग्निपीड़ितों को क्षतिपूर्ति विद्युत परिषद् द्वारा अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से प्रभावित ग्राम गोकुला व मखदूम नगर के किसानों के बकाये का भुगतान

*19–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से प्रभावित ग्राम-गोकुला के किसानों का चार लाख व ग्राम मखदूम नगर के किसानों का करीब 10 लाख रुपया बकाया भूमि प्रतिकर, परियोजना द्वारा भुगतान न करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय लखनऊ से स्थगन आदेश ले लिया गया है ? क्या उक्त स्थगन आदेश के रहते तथा उच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन होते हुए माह जून-88 में ग्राम गोकुला के किसानों को करीब 3 लाख रुपया उक्त बकाया में से भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या ग्राम मखदूम नगर के किसानों को बकाया करीब 10 लाख रुपया भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । ग्राम गोकुला एवं मखदूम नगर को अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी फैजाबाद के द्वारा निर्धारित दर पर वितरित कर दिया गया था । उक्त निर्धारण के विरुद्ध कुछ कृषकों द्वारा जिला जज फैजाबाद ने न्यायालय में याचिका दायर की । माननीय जिला जज ने प्रभावित कृषकों में निर्णय दिया । इस निर्णय की अनुसार ग्राम गोकुला व मखदूम नगर के किसानों को क्रमशः रु0 3.92 लाख तथा 8.95 लाख अतिरिक्त प्रतिकर देय था । जिला जज, फैजाबाद के निर्णय के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये थे ।

माह जून/जुलाई, 1988 में गोकुला के कृषकों को जिला जज, फैजाबाद के निर्णय के अनुसार रु0 3.92 लाख अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ।

ग्राम मखदूमनगर से संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के दिनांक 19-4-89 को पारित आदेशों के अनुसार जिला जज द्वारा घोषित अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि (विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वितरित व्यय धनराशि घटाकर) पंजाब नेशनल बैंक में दिनांक 12-7-89 को दो वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा कर दी गयी है ।

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

औद्योगिक विकास निगम लि0, सूरजपुर, जनपद गाजियाबाद द्वारा अनुबंध पत्र के अनुसार भूमि का अधिग्रहण व निवासियों को नौकरी की अनिवार्यता

*20–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विकास निगम लि0 सूरजपुर, जनपद गाजियाबाद द्वारा अपने अनुबंध पत्र में जिन ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है वहां के लोगों को नौकरी में लेना एक अनिवार्य शर्त है ? यदि हां, तो किन ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? उनके निवासियों को किस-किस कारखाने में कितने और किस-किस को नौकरी दी गयी है ? यदि ऐसा नहीं है, तो अनुबंध की शर्तों की अवहेलना के फलस्वरूप कारखानों के लाइसेंस रद्द करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

शारदा सहायक पोषक नहर के किनारों पर सीपेज से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा

1–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पोषक नहर के किमी0 120 से किमी0 141 के बीच नहर के दोनों किनारों पर सीपेज क्षेत्र में कोई कमी हुई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कभी अधिकारियों द्वारा इस समस्या की जांच मौके पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

शारदा सहायक पोषक नहर के कि0मी0 120-00 से कि0मी0 141-00 के बीच दोनों किनारों पर सीपेज से प्रभावित क्षेत्र 195 हेक्टेयर से घट कर 116 हेक्टेयर रह गया है ।

इस समस्या की विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर मौके पर जांच एवं समीक्षा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक पोषक नहर के बाराबंकी ब्रांच रेगुलेटर से लेकर रेन्दुआ पल्हरी पुल तक रख-रखाव, मरम्मत आदि हेतु व्यय किया गया धन

2–श्री राम चन्द्र तरश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक पोषक नहर के बाराबंकी ब्रांच रेगुलेटर से लेकर रेन्दुआ पल्हरी पुल तक पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग नहर के रख-रखाव, परियोजना रख-रखाव, केन्द्रीय सहायता, लाइनिंग तथा लाइनिंग की मरम्मत हेतु कितना पैसा शासन द्वारा दिया गया तथा कौन-कौन सा काम कराया गया और उन पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई खण्ड, लखनऊ के अंतर्गत जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक पोषक नहर के बाराबंकी ब्रांच रेगुलेटर से लेकर रेन्दुआ पल्हरी पुल तक गत तीन वर्षों में रख-रखाव, परियोजना रख-रखाव, केन्द्रीय सहायता, लाइनिंग तथा लाइनिंग मरम्मत हेतु मदवार धन का आवंटन इस ब्रांच विशेष के लिए नहीं था, बल्कि खण्ड के सभी कार्यों के लिए निम्न विवरण के अनुसार शीर्षकवार धन का आवंटन किया गया था :–

क्रम-संख्या	वर्ष	सामान्य अनुरक्षण मद	निर्माण मद	केन्द्रीय सहायता	(ला0 रु0 में)
1	86-87	1.20	287.00	--	
2	87-88	11.00	550.00	--	
3	88-89	10.50	310.60	--	

उपरोक्त प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत बाराबंकी ब्रांच रेगुलेटर से रेन्दुआ, पल्हरी पुल के मध्य विभिन्न कार्य मदों में व्यय का विवरण निम्न प्रकार है--

(लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	वर्ष	सामान्य अनुरक्षण मद में व्यय	पी-मेन्टेन्स पर व्यय पुरानी लाइनिंग मरम्मत को छोड़कर	केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व्यय	पुराने लाइनिंग की मरम्मत पर व्यय	लाइनिंग कार्यों पर व्यय
1	86-87 ..	0.40	12.9305	--	0.0695	92.75
2	87-88 ..	2.95	8.5524	--	0.0476	1.05
3	88-89 ..	2.60	11.2962	--	0.1290	--

जनपद गोण्डा में विकास खण्ड गैसड़ी पचपेड़वा के उप खण्ड प्रथम सिंचाई खण्ड, गोण्डा से उप खण्ड द्वितीय सिंचाई खण्ड, गोण्डा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

3–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-1-89 जनपद गोण्डा में विकास खण्ड गैसड़ी पचपेड़वा के उप खण्ड प्रथम सिंचाई खण्ड, गोण्डा से उप खण्ड द्वितीय सिंचाई खण्ड, गोण्डा के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

गोण्डा जनपद के तहसील-बलरामपुर एवं तुलसीपुर में 8 जलाशय हैं । इनमें से सिंचाई खण्ड गोण्डा के 2 उप खण्डों के अधीन चार-चार जलाशय हैं । वर्षा काल में 8 जलाशयों की देख रेख एक सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना उपयुक्त नहीं है । प्रथम उप खण्ड, सिंचाई खण्ड, गोण्डा जो गोण्डा में स्थित है, उसके अधीन गैसड़ी, पचपेड़वा विकास खण्डों में स्थित 4 जलाशयों के रख रखाव कार्य हेतु दो अवर अभियन्ता तैनात हैं । उनके मुख्यालय भगवानपुर एवं पचपेड़वा में हैं जोकि इन जलाशयों के समीप है । जो निर्माण कार्य समय-समय पर इन दो उप खण्डों द्वारा कराये जाते हैं उनका विभाजन कार्यों के आकार अनुसार समय-समय पर किया जाता है । इस क्षेत्र में जो कार्य गोण्डा स्थित अवर अभियन्ता द्वारा कराये जा रहे थे उन्हें अब इसी क्षेत्र में पदस्थापित अवर अभियन्ता द्वारा कराये जाने के आदेश कर दिये गये हैं ।

रोहेलखण्ड कैनाल डिवीजन जिला बरेली में नहरों के क्षतिग्रस्त पुल एवं पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

4–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहेलखण्ड कैनाल डिवीजन जिला बरेली में कौन-कौन सी नहरों के कौन-कौन से पुल क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं ? उक्त पुल कब कब क्षतिग्रस्त हुए तथा आज तक उनकी पूर्ण मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण हेतु क्या-क्या कदम उठाये गए हैं ? क्या मंत्री जी इन पुलों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण वित्तीय वर्ष 1989-90 में कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन क्षतिग्रस्त पुलों से प्रभावित ग्रामों के लिए ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई व्यवस्था तत्काल करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

रोहेलखण्ड नहर प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रणाली है । पुलों पर भारी वाहनों के

चलने के कारण क्षति हुई है । कुल 71 नग पुल क्षतिग्रस्त हुये है जिनकी नहरवार तालिका क्षति होने का वर्ष दर्शाते हुये संलग्न है । पुनर्निर्माण का कार्य धनाभाव के कारण नहीं कराया जा सका । मुख्य विकास अधिकारी बरेली से भी धन की मांग की गई किन्तु धन उपलब्ध नहीं हो सका ।

पुर्ननिर्माण का कार्य वांछित धनराशि की उपलब्धता के आधार पर अगले वर्षों में कराया जाना प्रस्तावित है ।

छोटी अल्पकाओं पर ह्यूम पाईप डाल कर अस्थाई व्यवस्था प्रस्तावित है । बड़ी नहरों पर उपरोक्तानुसार पुर्ननिर्माण का कार्य चरणों में कराना प्रस्तावित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138 पर)

जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में विद्युत व्यवस्था तथा आपूर्ति सुनिश्चित रखने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों की मांग

5—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में विद्युत व्यवस्था तथा आपूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु वर्तमान समय में आवश्यकता से बहुत कम स्टाफ है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में किस किस स्तर के कितने कितने कर्मचारी इस नगरपालिका क्षेत्र में कहां-कहां कार्यरत हैं ? कितने तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इनकी नियुक्तियां कब तक पूर्ण करा दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी, नहीं । अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योग शून्य जिलों की संख्या एवं पांच वर्षों के दौरान औद्योगीकरण के नाम पर व्यय किया गया धन

6—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले उद्योग शून्य घोषित हैं ? इनमें प्राथमिकता के आधार पर विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने औद्योगीकरण नाम पर कितना-कितना धन व्यय किया ? आगामी वर्षों में इन जिलों में कौन-कौन से मुख्य उद्योग लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रदेश में उद्योग शून्य घोषित जनपदों की संख्या 11 है । इन जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं पर जनवरी 1989 तक निम्नलिखित धनराशि व्यय की जा चुकी है :–

उद्योग शून्य जनपदों का नाम	(लाख रुपये में) व्यय की गई धनराशि
1–कानपुर देहात	271-02
2–हमीरपुर	204-52
3–फतेहपुर	256-84
4–बांदा	32-02
5–जौनपुर	288-80
6–जालौन	249-85
7–सुल्तानपुर	268-07
8–पौड़ी गढ़वाल	35-23
9–चमोली	35-56
10–टिहरी गढ़वाल	––
11–उत्तरकाशी	––
कुल धनराशि ..	1641-91

आगामी वर्षों में प्रश्नगत जनपदों में **वृहत्त एवं मध्यम क्षेत्रों के** अन्तर्गत निम्नलिखित **मुख्य** उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है :–

आटोमोटिव बैट्रीज, फिनिश्ड लेदर एवं लेदर बोर्ड, सिन्थेटिक डिटरजेन्ट, एल्युमीनियम पाउडर एवं पेस्ट, स्वेत श्याम एवं रंगीन टी0 वी0 सेट्स, बाल बियरिंग, एल्युमीनियम फायल, सूती कपड़ा एवं सूत, क्लोट ग्लास, आडियो एवं विडियो टेप्स, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स रिफाइन्ड वेजेटेबिल आयल्स, प्लास्टिक का सामान, फ्लेन एवं कारूगेटेड शीट्स, प्रिटिंग एवं कोटिंग आफ टिन प्लेटस, डुप्लेक्स बोर्ड, एलाय कास्टिंग, एच0 डी0 पी0 ई0 बावेन सेक्स, आटोमोबायल टायर एवं ट्यूब्स, सेरेमिक्स टायल्स एवं सेनेटरी वेयर्स, इण्डस्ट्रियल हार्ड आयल, साइकिल, इण्डस्ट्रियल अल्कोहल, व्हीट प्रोडक्ट्स, औद्योगिक मशीनरी, आलू के चिप्स एवं अन्य उत्पाद, डिस्पोजेबिल सिरिंजेज एवं नीडिल्स, एलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेण्टस, ग्लूकोस एवं डेक्सट्रोज आदि ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कतिपय जनपदों में ओला पड़ने से फसल को नुकसान होने के कारण किसानों के नलकूपों के बिजली के बिलों को माफ करने की मांग

7–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1986-87 व 1987-88 और 1988-89 में जिन जनपदों और उनकी तहसील के क्षेत्र में जहां पर रबी की खड़ी पकी फसल में भीषण ओला पड़ा और जिससे फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ तथा इस कारण किसान नलकूपों के बिजली के बिल के भुगतान नहीं कर सका है क्या सरकार ऐसी भीषण दैवी आपदा को ध्यान में रखते हुए नलकूप काश्तकारों के बकाया बिजली बिलों को जनहित में माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ओला पड़ने के कारण फसल को हुई क्षति के संबंध में बिजली के बिल भुगतान न करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों के मण्डलीय लिपिकों के स्थानान्तरण के आदेश

8–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों के वर्ष 1988 में स्थानान्तरित मण्डलीय लिपिकों में से लखनऊ स्थित मण्डलीय कार्यालयों के कितने लिपिकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और किन-किन को नहीं ? अब तक कार्यमुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं तथा स्थानान्तरित कर्मचारियों को किस तिथि तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों के वर्ष 1988 में 33 मण्डलीय लिपिकों के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये थे जिनमें से 14 लिपिकों को कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा शेष 19 कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया था । चूंकि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश सं0-1437/ई-4क दिनांक 7-10-88 द्वारा समस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-4-89 तक के लिए स्थगित कर दिये गये थे तथा बाद में आदेश संख्या-2569/ई-4क दिनांक 20-4-89 द्वारा समस्त आदेश जिनसे संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया था निरस्त कर दिये गये हैं । अतः अब स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकें व मुद्दों पर विचार

9–श्री मोहम्मद मसूद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सिंचाई सलाहकार समिति की जनवरी, 1988 से अब तक कितनी बार और कब-कब मीटिंग हुई और किन-किन मुद्दों पर समिति ने अपना सुझाव दिया और शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ स्थित बारा बिरवा नहर के पास देशी शराब के ठेका को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

10–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बारा बिरवा नहर के पास स्थित देशी शराब की कोई दुकान है जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन सायंकाल शराब पीने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कानपुर रोड एवं सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मार्ग पर जाने के लिए आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या आबकारी मंत्री जी आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 में उक्त ठेका अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

लखनऊ नगर स्थित बारा बिरवा देशी मदिरा दुकान विगत कई वर्षों से उसी परिसर में स्थित है और इस दुकान के परिसर में शराब सेवन करने वालों के बैठने की उचित व्यवस्था है । दुकान सड़क से काफी दूर स्थित है जिससे मार्ग आवागमन में बाधा का प्रश्न नहीं उठता । आबकारी नियमों के अनुसार प्रश्नगत दुकान की स्थिति ठीक पाई गई है ।

उन्नाव जनपद समेत कई जनपदों में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार उपभोग किये जाने का मामला एवं उस पर कार्यवाही

11–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद समेत कई जनपदों में विभागीय अधिकारियों की सांठ गांठ से औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार उपभोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1988-89 में इस प्रकार के कितने अवैध कनेक्शन उन्नाव, रायबरेली व लखनऊ में पकड़े गये हैं ? क्या यह सच है कि वितरण खण्डों द्वारा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन देने में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली इस्टीमेट की धनराशि (चार्जेबुल टू कन्जूमर) को गलत व नियम विरुद्ध तरीके से परिषद् के ऊपर (चार्जेबुल टू बोर्ड) डालकर परिषदीय राजस्व की हानि की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1989 के द्वारा सचिव ऊर्जा को की गयी इस आशय की शिकायत की जांच उच्चाधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या है ? दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उन्नाव जनपद समेत किसी भी जनपद में विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार उपभोग करते हुए कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । इसके विपरीत उन्नाव, रायबरेली एवं लखनऊ जनपदों के विभागीय अधिकारियों ने अपने प्रयासों एवं पुलिस प्रवर्तन दल के सहयोग से वर्ष 1988-89 में 15 मार्च, 1989 तक जनपद उन्नाव, रायबरेली व लखनऊ में स्वीकृत भार से अधिक भार उपभोग करते हुए पकड़े जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	जनपद का नाम	पकड़े गये औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या
1	उन्नाव	36
2	रायबरेली	8
3	लखनऊ	4

विद्युत वितरण खण्डों द्वारा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन देने में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली स्टीमेंट की धनराशि (चार्जेबुल टू कन्जूमर) नियमानुसार ही ली जा रही है न कि गलत एवं नियम विरुद्ध तरीके से परिषद् के ऊपर (चार्जेबुल टू बोर्ड) डालकर

परिषदीय राजस्व की हानि की जा रही है । पत्र प्राप्त हुआ है, जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

12–श्री गोपी नाथ वर्मा–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के पद व कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के पदों को कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 में उच्चीकृत किये जाने की मांग

13–श्री नंगा राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के कुल कितने पद वर्तमान में हैं ? क्या यह सही है कि नियमानुसार इन कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के ही पद होने चाहिए ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के पदों को कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के पदों में उच्चीकृत करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रज्जन यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम करारी, ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के सिंचाई एवं जानवरों के पानी पीने के लिए तालाब को गहरा कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

14–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र श्री रज्जन यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम करारी, ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ सिंचाई एवं जानवरों के पानी पीने के लिये तालाब को गहरा कराने के सम्बन्ध में 16 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई के लिए तालाब गहरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-1-87 के साथ श्री परशुराम आदि निवासी ग्राम करारी, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा का पत्र प्राप्त हुआ था । तालाब गहराई का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । इसकी सूचना मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, झांसी ने अपने पत्र दिनांक 14-7-1987 द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता को दे दी थी । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्पादकता वृद्धि मद के अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं अपनी योजना ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत कराकर तालाब गहरा कराने का कार्य करा सकते हैं । इस योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में रुपया 18894.00 माह जून, 1989 में ग्राम सभा करारी विकास खण्ड नरैनी को अवमुक्त किया जा चुका है ।

सिंचाई विभाग सुल्तानपुर में मस्टर रोल श्रमिकों का विवरण

15–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग सुल्तानपुर में किस-किस सन् से खण्ड वार कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर किन-किन पदों पर कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सुल्तानपुर में स्थित सिंचाई विभाग के खण्डों में वर्तमान में कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों का विवरण खण्डवार संलग्न † है ।

सरजू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर बहराइच द्वारा माल की खरीद व लेबर के पेमेंट के बारे में खान अब्दुल वदूद खां सदस्य विधान परिषद् के पत्र पर कार्यवाही

16–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सरजू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर बहराइच द्वारा वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक माल की खरीद व लेबर के पेमेंट के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-1112 सचिव, सिंचाई विभाग को तारीख 13-10-88 का मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । प्रश्न प्राप्त होने पर इस पत्र के बारे में माननीय सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां से जानकारी की गई और उनसे पत्रांक 1112 दिनांक 6–10/13-10-1988 प्राप्त किया गया ।

विधायक महोदय के उक्त पत्र में वांछित विन्दुवार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 140 पर)

जनपद रामपुर में कोसी नदी के तल में रेलवे पुल तथा राष्ट्रीय मार्ग-24 पर निर्मित सड़क के पुल के बीच के हिस्से पर लगे सफेदे के पेड़ों को कटवाने की मांग

17–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर में कोसी नदी के तल में रेलवे पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर निर्मित सड़क के पुल के बीच के हिस्से पर हजारों की तादाद में सफेदे के पेड़ लगा दिए गये हैं तथा वह इस समय काफी बड़े हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन पेड़ों से नदी के पाट में जल प्रवाह को कोई रुकावट पैदा हुई है? यदि नहीं, तो क्या नदी के शेष भाग में भी ऐसा वृक्षारोपण किया जायेगा ? यदि रुकावट पैदा हुई है तो इस गलत स्थान पर वृक्षारोपण करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?क्या बाढ़ के समय जल प्रवाह में इस रुकावट के अंदेशों तथा उसके सम्भावित दुष्परिणामों को देखते हुए मंत्री जी इन पेड़ों को तत्काल कटवाने का आदेश देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राम पुर नगर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित कोसी नदी के पुल व रेलवे पुल के मध्य नदी को चैनलाइज कर दोनों किनारों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग/रेलवे द्वारा एम्बेकमेन्ट बनाये हुए हैं जो इन्हीं विभागों की सम्पत्ति है व नियंत्रणाधीन है । इस एम्बोंकमेन्ट व नदी के मध्य खसरा नं0 72, 73, 74/1 व 261/2 पर वृक्षारोपण किया गया है, परन्तु इन खसरा नम्बरों की स्वामी श्रीमती हीरा देवी एवं मेसर्स हीरा इलेक्ट्रोड हैं । जिस भूमि पर सड़क तथा एम्बोंकमेन्ट है उन पर कोई पेड़ नहीं लगे हुए हैं । उक्त स्थल पर खसरा नं0 74/2, 75/1, 76/3, 261/1, 264/1, 265/2 में

†छापा नहीं गया ।

सड़क तथा एम्बेकमेन्ट दर्शित हैं । इन पर कोई पेड़ नहीं लये हुए हैं । मेसर्स हीरा इलेक्ट्रोड की भूमि पर उक्त पेड़ काफी बड़े तथा घने हो गये हैं जिससे नदी तल में पानी की धारा आंशिक भाग में संकुचित हो गयी है तथा उक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के पुल का एक बियर स्कावरिंग से प्रभावित हो रहा है । जिसके विषय में सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा जा रहा है ।

लखनऊ के ग्राम गोड़वा (रहीमनगर पिड़ियाना) में सई नदी पर लिफ्ट पम्प नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

18–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के ग्राम गोड़वा (रहीमनगर पिड़ियाना) में सई नदी पर लिफ्ट पम्प नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 सितम्बर, 1988 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो लिफ्ट पम्प नहर के निर्माण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

विषयगत मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम-सुरसेन और बेड़ी पुलिया के पास नलकूप लगाने हेतु परीक्षण छिद्रण कराने की मांग

19–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम-सुरसेन और बेड़ी पुलिया के पास नलकूप लगाने हेतु भूगर्भ जल का पता लगाने के लिए परीक्षण छिद्रण (टेस्ट बोरिंग) कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बांदा के पठारी क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक छिद्रण का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावित टेस्ट बोरिंग केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् द्वारा किया जाना है जिसके लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में बरुआ बांध की लम्बाई बढ़ाकर पानी को बरबाद होने से बचाने के लिए प्रस्ताव

20–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में बरुआ बांध की माइनरों की लम्बाई बढ़ाकर पानी को बरबाद होने से बचाने के लिए विगत वर्षों के दौरान कोई प्रस्ताव तैयार किये गये थे ? यदि हां, तो उनके निर्माण में कितनी लागत प्रस्तावित थी? परिव्यय स्वीकृत न करने तथा धन उपलब्ध न कराने और निर्माण कार्य न कराने के क्या कारण हैं?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

बरुआ बांध की इटखारी तथा बारामाफी माइनरों के बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इन माइनरों के बढ़ाने की योजना की अनुमानित लागत लगभग 3.22 लाख रु0 है । योजना का प्रस्ताव अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बांदा को जिला ग्राम विकास अभिकरण (डी0 आर0 डी0 ए0) के द्वारा जिला योजना में सम्मिलित करने तथा धन उपलब्ध कराने हेतु भेज दिया गया है। डी0 आर0 डी0 ए0 के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने व धन उपलब्ध कराने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

विकास खण्ड छीपया, जनपद गोण्डा में राजकीय नलकूपों की संख्या की कमी पूरा करने के लिए कलस्टर नलकूप लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

21–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 24-3-88 को दिया गया पत्र जिसमें विकास खण्ड छीपया, जनपद गोण्डा में राजकीय नलकूपों की संख्या की कमी को देखते हुए एक कलस्टर नलकूप लगाने की मांग की थी, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराकर कार्य आरम्भ कराया जायेगा?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां।

उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत जितने नलकूप प्राप्त हुए थे उनकी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। चूंकि परियोजना अंतिम चरणों में है, अतएवं सर्वेक्षण कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बांदा जिले की करवी तहसील में सरधुवा गांव के दक्षिण की ओर पयस्वनी नदी पर बीस क्यूसेक से बड़ी योजना निर्मित करके किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने का प्रस्ताव

22–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में सरधुवा गांव के दक्षिण की ओर पयस्वनी नदी पर बीस क्यूसेक से बड़ी योजना निर्मित करके किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक इसको स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं।

पयस्वनी नदी पर सरधुआ गांव के दक्षिण में जल उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण लिफ्ट योजना बनाना सम्भव नहीं है।

जिला सीतापुर में रहीमाबाद पम्प नहर कमांड में लालपुर के आगे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

23–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर में रहीमाबाद पम्प नहर कमांड

में लालपुर के आगे पानी सिंचाई हेतु नहीं जाता तथा जहां जाता है वहां क्षमता से बहुत कम, जिससे कृषि कार्य को अतीव क्षति होती है? यदि हां, तो सरकार काश्तकारों के लिए सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय कर रही है?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं। लालपुर के आगे के क्षेत्र में नहर के 4.8 किलोमीटर तक पानी जाता है।

पम्प नहर के 4.8 किलोमीटर के आगे टेल तक विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता के अभाव में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है।

काश्तकारों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रयत्नशील है।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हाथरस के गांव एहेन में एक नाला खुदवाने का प्रस्ताव

24–डा0 बंगाली सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हाथरस के गांव एहेन में एक नाला खुदवाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो नाला कब तक खुद जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां, जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हाथरस के ग्राम एहेन में 4–9 किलोमीटर लम्बी एक डूने के निर्माण का प्रस्ताव है।

नियमानुसार कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा इसके निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य का अनुमोदन होने तथा भूमि व धन उपलब्ध हो जाने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

रामगढ़ (गोरखपुर) परियोजना की कुल स्वीकृत अनुमानित लागत, व्यय की गई धनराशि व किया गया कार्य

25–श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री हरीशंकर तिवारी (गोरखपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ (गोरखपुर) परियोजना की कुल स्वीकृत अनुमानित लागत क्या है और इसमें अब तक कितना रुपया व्यय किया गया? क्या यह सच है कि जितनी धनराशि व्यय हुई है काम उससे बहुत कम हुआ है? यदि नहीं, तो क्या योजना के प्रारम्भ काल से अब तक ठेकेदारों की सूची और उन्हें हुए भुगतान का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरयू और राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की योजना

26–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरयू और राप्ती नदी की बाढ़ से बचाव के लिए सरकार किसी योजना को बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सरयू (घाघरा) व राप्ती नदी की बाढ़ों से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा 771 किमी0 लम्बे बंधे बनाये जा चुके हैं तथा भविष्य में भी बनाये जाने प्रस्तावित हैं । पुराने तटबंधों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इन नदियों से बाढ़ सुरक्षा हेतु घाघरा कम्प्रेहेन्सिव प्लान (गंगा सब बेसिन) बनाया गया है।

जनपद बरेली में ग्राम खमरिया के निकट बहगुल (पश्चिमी) नदी पर पक्का बांध बनाने की परियोजना

27–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-3, नत्थी (ख) के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने के औचित्य को सरकार स्वीकार करती है? यदि हां, तो इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट, सिंचाई विभाग की अनुसंधान तथा अन्वेषण इकाई बरेली से तीन माह, अथवा जो शीघ्रातिशीघ्र समय शासन निर्धारित करे, के भीतर मंगाकर परियोजना की स्वीकृति तथा इस पर कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा सरकार तत्काल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

बरेली जनपद के ग्राम खमरिया के निकट बहगुल नदी (पश्चिमी) पर प्रत्येक वर्ष बनाये जाने वाले कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने के औचित्य को विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त निर्धारित किया जा सकेगा।

प्रस्तावित योजना के सर्वेक्षण के उपरान्त, साध्यता स्थापित होने पर विस्तृत परियोजना प्राक्कलन बनाया जायेगा। केन्द्रीय जल-आयोग से योजना पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की जायेगी।

28–श्री जयदीप सिंह बरार–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3, नत्थी (ख) के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध बनाने का मामला नए सिंचन संकर्म के निर्माण का मामला नहीं है जो इसे केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जाए? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बांध के निर्माण को शासन के स्तर से अविलम्ब प्रारम्भ कराने का कष्ट करेंगे? क्या यह सही है कि यह पुराना सिंचन संकर्म है तथा पक्के बांध के बनाने से इसका आधुनिकीकरण होगा तथा आधुनिकीकरण के मामले में केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति की नियमानुसार आवश्यकता नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन अविलम्ब उक्त पक्के बांध का निर्माण करायेगा?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद बरेली के ग्राम खमरिया के निकट बहगुल (पश्चिमी) नदी पर प्रत्येक वर्ष बनाये जाने वाले कच्चे बांध के स्थान पर पक्का बांध हेतु प्रस्तावित योजना जिसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, मध्यम सिंचाई योजना की श्रेणी में आती है, जिसके लिए केन्द्रीय जल-आयोग की स्वीकृति आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता।

यह सही नहीं है कि आधुनिकीकरण की योजनाओं को केन्द्रीय जल-आयोग से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

साध्यता स्थापित हो जाने पर एवं केन्द्रीय जल-आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण के विषय पर निर्णय शासन द्वारा लिये जाने का औचित्य है।

देवरिया जनपद के कसया के निकट गण्डक नहर 10 द्वारा कसया मल्लूडीह डे्न पर ग्राम प्रेमवलिया हतवा के निकट पुल निर्माण में रामनगर बाजार निवासी रईस की मृत्यु की जांच की मांग

29–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के कसया के निकट गंडक नहर 10 द्वारा कसया मल्लूडीह डे्न पर ग्राम प्रेमवलिया हतवा के निकट पुल का निर्माण कराया जा रहा है? क्या यह सच है कि दिनांक 14-5-88 को अवर अभियन्ता श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव और ठेकेदार की उपस्थिति में बिना समुचित प्रकाश की व्यवस्था किये रात्रि में कार्य हो रहा था और उसी दिन रात्रि के समय फाउन्डेशन पर मिट्टी गिरने से दब कर रईस निवासी ग्राम-रामनगर बाजार की तत्काल मृत्यु हो गयी और मुन्ना पुत्र यूसुफ मिस्त्री निवासी कसया तथा नगीना पुत्र जान मोहम्मद निवासी प्रेमवलिया गम्भीर रूप से घायल हो गये? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त पुल के निर्माण में की जा रही धांधली और अनियमितता के विरुद्ध तत्कालीन जिलाधिकारी, देवरिया ने 26 मई, 1988 को मुख्य अभियन्ता गण्डक, सिंचाई विभाग, गोरखपुर से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु पत्र लिखा था? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है? यदि नहीं, तो जांच न कराने का कारण क्या है?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य माह 11/88 में समाप्त हो चुका है। जांचानुसार श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव अवर अभियंता दिनांक 14-5-88 को लगभग सायं 6.30 बजे कार्यस्थल से चल दिए थे। उस दिन नींव की कंक्रीट का कार्य दिन ही दिन में कराने का कार्यक्रम था। इसलिए किसी प्रकाश की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। उसी दिन शाम को उक्त स्थल पर मिट्टी गिरने की दुर्घटना हुई जिसका सही समय ज्ञात नहीं हो सका। जांच के अनुसार इस दुर्घटना में श्री रईस निवासी ग्राम रामनगर बाजार की मृत्यु हुई। मुन्ना पुत्र यूसुफ व नगीना पुत्र जान मोहम्मद घायल हुए। यह केवल आकस्मिक दुर्घटना मात्र थी इसमें कोई विभागीय कर्मचारी दोषी नहीं।

जी हां।

उक्त घटना के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण मण्डल 3, गोरखपुर द्वारा जांच कराई गई। जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। जिलाधिकारी को जांच कराकर निष्कर्ष से अवगत कराया गया।

नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा मार्च, 88 से जनवरी 89 तक प्राप्त किया यात्रा भत्ता और अन्य खर्च

30—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अधि0 अभि0 ने मार्च, 88 से 4 जनवरी, 89 तक क्षेत्रीय दौरे पर कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और गाड़ी के डीजल पेट्रोल तथा मरम्मत में कुल कितना खर्च दिखाया है? क्या यह सही है कि जिन नलकूपों के निरीक्षण के नाम पर यात्रा भत्ता तथा गाड़ियों की मरम्मत और डीजल पेट्रोल का व्यय दिखाया गया है वह फर्जी एवं फिजूल खर्ची का है? क्या इसकी जांच कराकर कृषकों और प्रतिनिधियों से इसे सत्यापित कराने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

नलकूप खण्ड-द्वितीय, फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता ने मार्च, 1988 से 4 जनवरी, 89 तक क्षेत्रीय दौरे पर रु0 4624.00 का यात्रा भत्ता प्राप्त किया तथा सहायक अभियन्ता अधिकारियों ने मार्च, 1988 से दिसम्बर, 88 तक रु0 16,367.55 का यात्रा भत्ता प्राप्त किया। गाड़ियों के डीजल पेट्रोल तथा मरम्मत में मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक रु0 1,48,697.76 व्यय हुआ।

जी नहीं।

अधिकारियों द्वारा की गयी यात्राओं का सत्यापन कृषकों एवं प्रतिनिधियों से कराना व्यावहारिक नहीं है।

सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और निदेशक पदों पर नियुक्ति

31—श्री बालेश्वर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1983-84 में शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और निदेशक पदों पर अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे? क्या शासन द्वारा उक्त निर्णय के बाद किसी व्यक्ति को उक्त पदों पर नियुक्त किया गया? अगर नहीं, तो क्या सरकार किसी को नियुक्त करने पर विचार करेगी? अगर नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव के पदों पर अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गयी है।

शारदा नहर डिवीजन बाराबंकी द्वारा अल्पकालों का निर्माण कार्य, व्यय तथा कार्य पूर्ण न होने के कारणों को पटल पर रखे जाने की मांग

32—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर डिवीजन बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज में कितनी अल्पकाए ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है? निर्माण कार्य शुरू करने की तिथियां, उन पर किया गया व्यय तथा कार्य पूर्ण न होने के कारणों का विवरण क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

बाराबंकी खण्ड, शारदा नहर, बाराबंकी के अन्तर्गत 8 अल्पिकायें ऐसी हैं, जिनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, परन्तु अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि तथा उन पर किये गये व्यय का विवरण निम्नवत् है:–

क्रम-संख्या	अल्पिका का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कुल व्यय
1	टोपहार	1/85	43,231,00
2	चन्दौली	4/87	39,236.00
3	मिर्जानगर	5/85	37,989.00
4	रफीनगर	4/86	98,726.00
5	पल्टा	2/87	33,094.00
6	नानमऊ	12/88	1,50,056.00
7	मानमऊ	5/89	46,196.00
8	तिदवानी	6/89	शून्य

कृषकों द्वारा आपत्ति किये जाने तथा भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण टोपहार, चन्दौली, मिर्जानगर, रफीनगर, पल्टा तथा तिदवानी अल्पिकाओं का निर्माण कार्य अपूर्ण है ।

नानमऊ अल्पिका के निर्माण पर कुछ कृषकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण निर्माण रोक दिया गया है । मानमऊ अल्पिका का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य को वर्ष 1989-90 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 में उप निदेशक के पदों पर पदोन्नति न किये जाने के कारण

33–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 में 5 वर्षों से रिक्त पड़े उप निदेशक के पदों पर वरिष्ठता सूची तैयार हो जाने के बाद भी पदोन्नति किन कारणों से नहीं की गयी ? क्या पदोन्नति की कार्यवाही करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत सुरक्षा निदेशालय में उप निदेशक का मात्र एक पद पांच वर्षों से रिक्त चल रहा है । संबंधित सहायक निदेशकों की वरिष्ठता सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही पदोन्नति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

ग्राम डबम्बाजड़ तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित नालों के निर्माण की मांग

34–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-डबम्बाजड़ तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद में सिंचाई विभाग का कोई नाला निर्माण के लिए प्रस्तावित है ? क्या उसका प्रतिकर भी किसानों को 8 वर्ष पहले वितरित किया जा चुका है ? क्या प्रस्तावित नालों के निर्माण में कोई वैधानिक कठिनाई है ? यदि नहीं, तो निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में विद्युत विभाग में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को जनपद के बाहर स्थानान्तरित करने की मांग

35–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर विद्युत विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जिनको 10 वर्ष इसी जनपद में पूरे हो चुके हैं ? क्या 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद से बाहर करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद सीतापुर में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें 10 वर्ष इसी जनपद में पूर्ण हो चुके हैं, की स्थिति निम्न है :–

1–अधिकारी – शून्य
2–अवर अभियन्ता – 4 (चार)
3–लिपिक वर्ग – 58 (अट्ठावन)
4–परिचालकीय वर्ग –552 (पांच सौ बावन)

उक्त चार अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण के आदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पारित किये जा चुके हैं ।

जहां तक लिपिकीय एवं परिचालकीय संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न है, परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार उन्हें गृह कमिश्नरी/गृह जनपद में रहने की सुविधा प्रदान की गयी है, फिर भी प्रशासनिक आवश्यकता एवं तकनीकी दक्षता के आधार पर समय-समय पर उनका स्थानान्तरण किया जाता है ।

ज्ञानपुर पम्प कैनाल द्वारा इलाहाबाद जिले तथा ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग

36–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल द्वारा इलाहाबाद जिले में और ज्ञानपुर तहसील, वाराणसी में सिंचाई प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इलाहाबाद और वाराणसी सीमा पर महरवरा हण्डिया, बनकट

वाराणसी के नाले के आगे उक्त नहर में पानी नहीं जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सिंचाई असुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी हां ।

ज्ञानपुर पम्प नहर के कि0मी0 2.8 से निकली डीघ सजबहा पर ग्राम सुअरा में नहर के निर्माण पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश वर्ष 1982 से चला आ रहा था । अतः इस राजवाहे के कि0मी0 1.8 से आगे पानी नहीं चलाया जा सकता था । माह मई में उक्त स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा ग्राम महरवरा, हंडिया, बनकट, वाराणसी के आगे नहर निर्माण का कार्य कर लिया गया है । अतः समुचित मात्रा में 1.8 कि0मी0 के आगे भी पानी चलेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई कार्यशाला खण्ड, आइजटनगर, बरेली के अंतर्गत वर्तमान रूप में कार्यरत कास्ट एकाउन्टेन्ट तथा उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला को मकान किराया भत्ता दिया जाना

37–श्री फूलकुंवर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला खण्ड, आइजट नगर, बरेली के अंतर्गत वर्तमान रूप में कार्यरत कास्ट एकाउन्टेन्ट को कितना मासिक मकान किराया भत्ता किस तिथि से दिया जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी पत्नी (श्रीमती शकुन्तला) बरेली नगर महापालिका में ही सतत रूप से अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं (तथा पति-पत्नी एक ही साथ एक ही मकान में रहते हैं और एक ही राशन कार्ड से राशन भी प्राप्त करते हैं) और नगर महापालिका बरेली से उसी मकान का किराया भत्ता प्राप्त करती हैं ? यदि हां, तो क्या यह कार्य नियमित है ? यदि नहीं, तो क्या शासन ऐसे दोषी कर्मचारी के विरुद्ध राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली के नियमों के अंतर्गत विभागीय/न्यायिक कार्यवाही शीघ्र ही करेगी क्योंकि वे निकट भविष्य में सेवा निवृत्त हो रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड बरेली के अधिशासी अभियन्ता (श्री राजेश चन्द्र) तथा सहायक अभियन्ता (श्री डी0 एन0 चौबे) के खिलाफ राजकीय हानि के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों में असमानता

38–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड बरेली के अधिशासी अभियंता (श्री राजेश चन्द्र) को एक बड़ी राजकीय हानि करने के फलस्वरूप शासन द्वारा आरोप पत्र (चार्जशीट) दिये जाने के बावजूद अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया जबकि उसी खण्ड के सहायक अभियन्ता (श्री डी0 एन0 चौबे) को ऐसी ही एक राजकीय हानि करने के संबंध में निलम्बित किया जा चुका है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । श्री राजेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप-और श्री डी0 एन0 चौबे सहायक अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप राजकीय हानि के संबंध में होते हुए भी अलग - अलग हैं और दोनों में समानता नहीं है । श्री राजेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करके जांच करने की संस्तुति प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की गयी थी जबकि श्री डी0 एन0 चौबे, सहायक अभियन्ता को निलम्बित करके जांच कराये जाने की संस्तुति प्रमुख अभियन्ता द्वारा की गयी थी । श्री चौबे के विरुद्ध रुपये 26,227.56 की धनराशि फर्जी भुगतान का आरोप भी लगाया गया है जबकि श्री राजेश चन्द्र अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध फर्जी भुगतान का कोई आरोप नहीं है । प्रमुख अभियन्ता की संस्तुति का परीक्षण शासन में किया गया और उसे औचित्य-पूर्ण मानते हुए उसे शासन द्वारा स्वीकार करके श्री डी0 एन0 चौबे, सहायक अभियन्ता को जांच पर्यन्त शासनादेश संख्या 5661/87-23-सि-10-288/86 दिनांक 26-9-87 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

गोरखपुर जनपद के शहरी क्षेत्र में ताड़ी की दुकानों का स्थायी प्रबंध किये जाने के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

39–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में गोरखपुर जनपद के शहरी क्षेत्र में ताड़ी के दुकानों का स्थायी प्रबन्ध किया गया था ? क्या इसके विरुद्ध शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त) से जांच करायी ? क्या जांचोपरांत भयंकर अनियमितता प्रकाश में आई एवं सात दुकानों को निरस्त किया गया तथा जांच से सम्बन्धित आबकारी निरीक्षकों को भी दोषी पाया गया? यदि हां, तो रिपोर्ट शासन को कब भेजी गयी एवं दोषी आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एक शिकायती पत्र की जांच जिलाधिकारी गोरखपुर ने अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंपी । अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने शिकायतकर्ता के यह लिखने पर कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है मामले की पुनः कोई जांच नहीं की ।

तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आर0 पी0 सिन्हा अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की नीलामी पद्धति समाप्त होने के पश्चात् गोरखपुर जनपद की शहरी क्षेत्र की समस्त ताड़ी दुकानों का स्थायी प्रबंध दिनांक 4-1-85 को किया गया था ।

दुकानों के स्थायी प्रबंध के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं । दुकानों के प्रबंध में भी की गयी अनियमितताओं की शिकायत की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आर0 पी0 सिन्हा द्वारा स्वयं की गयी थी, जिसमें शिकायतों को निराधार पाया गया था । पुनः शासन के आदेशानुसार रिपोर्ट में उक्त दुकानों के संबंध में किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही किसी आबकारी निरीक्षक को दोषी पाया गया है । यह उल्लेखनीय है कि 8 व्यक्तियों जिनको अनुज्ञापन प्राप्त नहीं हुए थे, ने आबकारी आयुक्त

के समक्ष दिनांक 28-1-85 एवं 4-2-85 को 6 दुकानों के संबंध में अपील दायर की थी । आबकारी आयुक्त द्वारा सभी 6 मामलों को पुनर्विचार हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर को प्रत्यावर्तित कर दिया गया . क्यों कि इन मामलों में जिलाधिकारी का स्पीकिंग आर्डर अपेक्षित था ।

तत्कालीन जिलाधिकारी श्री दिनेश राय द्वारा 5 शहरी क्षेत्र की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये थे । इन दुकानों में से दो दुकानों के अनुज्ञापियों ने आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी । इन दुकानों के अनुज्ञापन पुर्नस्थापित कर दिये गये । निरस्त की गई तीन दुकानों के लाइसेंस अपात्र/सजायाफ्ता व्यक्तियों को दिये जाने के संबंध में संबंधित आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद गाजियाबाद में स्थित आखला का रबर डाक बंगला पर अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

40—श्री राम जनम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में स्थित आखला का रबर डाक बंगला अधिकारियों ने अनधिकृत कब्जा कर अपने निजी आवास के रूप में बदल लिया है ? यदि हां, तो उक्त डाक बंगला खाली कराने एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । सिंचाई विभाग का आखला में स्थित रबर डाक बंगला श्री के0 पी0 जैन, अधीक्षण अभियंता तथा प्रोफेसर, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, आखला द्वारा माह 7/83 से अपने निजी आवास के रूप में प्रयोग किया जा रहा है । आखला जनपद गाजियाबाद में नहीं है अपितु दिल्ली में स्थित है ।

श्री के0 पी0 जैन, अधीक्षण अभियंता से रबर डाक बंगले को खाली कराने हेतु उन्हें व उच्चाधिकारियों को अनेकों बार लिखा गया है । कार्यवाही जारी है ।

आखला जनपद गाजियाबाद में सिंचाई निर्माण खण्ड में कमेटी रूम के नाम से बनी बिल्डिंग का अधिकारियों द्वारा आवास के रूप में प्रयोग एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

41—श्री राम जनम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आखला जनपद गाजियाबाद में सिंचाई निर्माण खण्ड में कमेटी रूम के नाम से बिल्डिंग बनायी गयी है जिसे आवास के रूप में अधिकारी प्रयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसे कब तक खाली कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ईसाई समुदाय के त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी और राशन देने की मांग

42—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या सरकार अन्य त्योहारों की भांति ईसाई समुदाय के त्योहारों पर अतिरिक्त चीनी और राशन देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

शासन द्वारा त्योहारों पर उपलब्धता के आधार पर 1 किलो ग्राम प्रति राशन कार्ड अतिरिक्त चीनी का वितरण किया जाता है। भविष्य में ईसाई समुदाय के त्योहार पर भी उपलब्धता के अनुसार देने का प्रयास किया जायेगा।

त्योहारों पर अतिरिक्त राशन (खाद्यान्न) देने की व्यवस्था नहीं है।

इलाहाबाद शहर में विद्युत आपूर्ति ठीक करने हेतु विभिन्न जगहों पर ट्रांसफार्मर लगाये जाने की व्यवस्था

43—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में वर्ष 85-86, 86-87, 87-88 तथा 88-89 में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने हेतु किन-किन जगहों पर कितने ट्रांसफार्मर लगाये गये ? वर्ष 89-90 में किन-किन जगहों पर ट्रांसफार्मर लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? क्या प्रस्तावित स्थानों में सादियाबाद, बड़ी बगिया, कमला नगर, नयापूरा स्टैनली रोड, म्योराबाद बेली गांव आर0 ए0 बाजार (तोपखाना), सोहबतिया बाग, अल्लापुर (सर्वोदय नगर) नयी बस्ती, सोहबतियाबाग, अल्लापुर (तिलक नगर) बक्शी कलां, मलाकराज, राजापुर ऊंचवागढ़ी तथा नसीबपुर बरिन्तापीर (नेवादा) आदि को भी इस वर्ष सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इलाहाबाद शहर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर वर्ष 1985-86 में 48, 86-87 में 37, 87-88 में 48 तथा 88-89 में 56 ट्रांसफार्मर लगाये गये। इन स्थानों का विवरण संलग्नक 1 में दिया गया है।

वर्ष 1989-90 में 32 स्थानों पर ट्रांसफार्मर लगाये जाने तथा वर्तमान ट्रांसफार्मरों की क्षमता का विस्तार प्रस्तावित है। इन स्थानों का विवरण संलग्नक 2 में दिया गया है।

वर्ष 1989-90 में प्रस्तावित ट्रांसफार्मर लगाये जाने पर प्रश्न में उल्लिखित निम्न स्थानों की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा :—

1—बड़ी बगिया
2—कमलानगर
3—नयापुरा स्टेनली रोड
4—म्योराबाद
5—बेलीगांव
6—ऊचवागढ़ी

7—मलाकराज

8—नेवादा

प्रश्न में उल्लिखित शेष स्थानों की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 146 पर)

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तहसील में विद्युत परिषद् द्वारा थर्मल पावर हाउस के लिए ग्राम गोकुला व मकदूम नगर में ली गयी भूमि का प्रतिकर न बांटा जाना

44—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा तहसील में विद्युत परिषद् द्वारा थर्मल पावर हाउस के लिए ग्राम गोकुला व मकदूम नगर में भूमि ली गयी थी जिसका प्रतिकर विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर करने के कारण नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ग्राम गोकुला का प्रतिकर 13 जून, 88 को उपचुनाव के समय वितरित कर दिया गया किन्तु ग्राम मकदूम नगर का प्रतिकर नहीं बांटा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद फैजाबाद के टाण्डा तहसील में विद्युत परिषद् द्वारा टाण्डा थर्मल पावर हाउस के निर्माण हेतु ग्राम गोकुल व मकदूम नगर की भी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी जिसके प्रतिकर का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद के द्वारा निर्धारित दर पर वितरित कर दिया गया था । उक्त निर्धारण के विरुद्ध कुछ कृषकों द्वारा जिला जज फैजाबाद के न्यायालय में याचिका दायर की । माननीय जिला जज ने प्रभावित कृषकों के पक्ष में निर्णय दिया । जिला जज, फैजाबाद के निर्णय के विरुद्ध राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बैंच के समक्ष याचिका दायर करके 1983 से 1985 में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये थे ।

माह जून/जुलाई, 1988 में केवल ग्राम गोकुला के कृषकों को जिला जज, फैजाबाद के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था । ग्राम मकदूम-नगर से सम्बन्धित मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19-4-89 को यह आदेश पारित कर दिये कि जिला जज के द्वारा घोषित अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि (वह धनराशि घटाकर जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वितरित की जा चुकी थी) तुरन्त एक राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 18-7-89 तक जमा करा दी जानी चाहिए । न्यायालय के आदेशानुसार अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि दिनांक 12-7-89 को फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा कर दी गयी है । मामले में अग्रिम कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही किया जाना सम्भव है ।

थर्मल पावर हाउस टाण्डा, फैजाबाद व उससे सम्बन्धित कालोनियों आदि के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को प्रोजेक्ट में काम दिया जाना

45—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थर्मल पावर हाउस टाण्डा, फैजाबाद व उससे सम्बन्धित कालोनियों आदि के निर्माण हेतु कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? उसका क्षेत्रफल क्या है ? प्रभावित लोगों में से अब तक कितने लोगों

को प्रोजेक्ट में काम दिया गया है ? शेष बचे हुए लोगों को कब तक सेवायोजित किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद के निर्माण हेतु निम्नलिखित भूमि अधिग्रहीत की गयी है :--

		एकड़
(अ)	पावर हाउस तथा कालोनी निर्माण हेतु	486.545
(ब)	ऐश डम्प एरिया	480.016
(स)	रेलवे यार्ड	96.755
	कुल ..	1063.316

वर्तमान समय में कुल 225 प्रभावित कृषकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है ।

नौकरी दिया जाना परिषद् के नियमों के अनुसार लोगों की पात्रता तथा रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

विद्युत परिषद् बरेली के दो कर्मचारियों के पुत्रों की काटजू मार्ग स्थित हाईडिल कालोनी में सीवर के डिपों में गिर जाने से मृत्यु की जांच तथा दुर्घटना के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

46–डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 4-11-88 को सायंकाल विद्युत परिषद् बरेली के दो कर्मचारियों के पुत्रों की काटजू मार्ग स्थित हाईडिल कालोनी में सीवर के डिपो में गिर जाने के कारण दम घुटने से मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी दुर्घटनाओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही व दोनों बच्चों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता दिलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, दिनांक 4-11-88 को सायंकाल विद्युत परिषद् बरेली के दो कर्मचारियों के पुत्रों की काटजू मार्ग स्थित हाईडिल कालोनी में सीवर के सोकपिट में गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी ।

इस प्रकरण की जांच करायी गयी थी । जांच रिपोर्ट में ठेकेदार तथा सम्बन्धित कर्मचारी दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रत्येक बच्चे के परिवारजनों को 5,000 रुपये की अंतरिम राहत दिनांक 6-11-88 को दी जा चुकी है ।

अन्तिम सहायता के लिये मुख्य अभियंता से संस्तुति प्रतीक्षित है । संस्तुति प्राप्त होने पर अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी जायेगी ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस में बड़ा उद्योग लगाने की मांग

47–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या उद्योग मंत्री जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस में कोई बड़ा उद्योग लगाने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न का आशय सम्भवत: अलीगढ़ की तहसील हाथरस में लगाये जाने वाले बड़े उद्योग से है । अलीगढ़ की हाथरस तहसील में एरोनाटिक्स काम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण परियोजना को स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में आशय पत्र दिया गया है जिसकी स्थापना की कार्यवाही प्रगति में है ।

भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री खुर्शीद अहमद अंसारी की शिकायत पर श्री राजीव कुमार भूतपूर्व अधि0 अभियंता के विरुद्ध शिकायत

48–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व सदस्य विधान सभा श्री खुर्शीद अहमद अंसारी की शिकायत पर श्री राजीव कुमार भूतपूर्व अधि0 अभियन्ता अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के विरुद्ध श्री वीरपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता का अ0 शा पत्रांक-202/अ0 सिं0/जांच-च, दिनांक 13 अप्रैल, 1985 अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां । शेष बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हर्षवर्धन आदि विधायकों का आबकारी के सम्बन्ध में मोहन मीकिन लि0 द्वारा अनियमितता करने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

49–श्री फरीद महफूज किदवई, श्री प्रकाश सिंह तथा श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हर्षवर्धन आदि विधायकों का आबकारी के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र सं0-1311/ज0पा0/89, दिनांक 20-1-89 जो कि मोहन मीकिन लि0 द्वारा अनियमितता करने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जांच कराई गई । आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री सुखपाल पाण्डे, विधायक का आबकारी के सम्बन्ध में मेरठ उप आबकारी आयुक्त कार्यालय के हेड क्लर्क के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

50–श्री पारसनाथ यादव, श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखपाल पाण्डे विधायक का आबकारी के संबंध में एक शिकायती पत्र सं0-3055/लो0 द0/89 दिनांक 11-1-89 जो कि मेरठ उप आबकारी आयुक्त कार्यालय के हेड क्लर्क के भ्रष्टाचार से संबंधित है,

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने आज तक उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह सत्य है कि श्री के0 के0 शर्मा, हेड क्लर्क, कार्यालय उप आबकारी आयुक्त मेरठ के विरुद्ध श्री सुखपाल पाण्डे, विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 11-1-89 प्राप्त हुआ था ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई । आरोप निराधार पाये गये ।

उन्नाव ब्रांच नहर से निकलने वाले पाटन रजबहा से सिंचाई के लिए पानी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

51—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक 15-2-89 के अतारांकित प्रश्न सं0-75 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नहर उन्नाव शाखा जिसकी अधिकृत क्षमता 500 क्यूसेक है, के हेड पर सिल्ट की अत्याधिक मात्रा आ जाने के कारण केवल 400 क्यूसेक जल की मात्रा ही ले पाती है, को 500 क्यूसेक पानी लेने की मात्रा बढ़ाने के लिए हेड पर जमा सिल्ट को हटवाकर पूरी क्षमता तः ; पानी दिलाने के आदेश करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

उन्नाव शाखा के शीर्ष से शेष लम्बाई में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाने के कारण 500 क्यूसेक पानी नहीं चल पाता है । अधिकृत क्षमता अर्थात 500 क्यूसेक पानी चलाने हेतु इसके आन्तरिक भाग में सिल्ट सफाई तथा बर्म कटिंग का कार्य प्रस्तावित है जिसे उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत तीन-चार वर्षों में पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा ।

ग्राम संग्रामपुर परगना डौंड़िया खेड़ा विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव के नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त भूमि का मुआवजा न दिए जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

52—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 26 जुलाई, 1988 के पत्र के साथ ग्राम संग्रामपुर परगना डौंड़ियाखेड़ा विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव के नागरिकों एवं क्षेत्र के अन्य नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त कोई ऐसा प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है जिसमें डलमऊ की लिफ्ट कैनाल के निर्माण के लिए कृषकों की जो भूमि अधिगृहित की गई है उसमें से पटरी के लिए 5 मीटर, मिट्टी लेने की भूमि खोदी गई थी जिसमें भूमि के समतलीकरण तथा उस पर 4/5 फसलों के न बोने का मुआवजा न दिये जाने की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और प्रश्नगत मदों का मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

नहर निर्माण हेतु जिस भूमि का अस्थाई अधिग्रहण सिंचाई विभाग द्वारा किया

गया था, उसके मुआवजे का भुगतान नियमानुसार संबंधित कृषकों को किया जा चुका है एवं सम्बन्धित भूमि कृषकों को वापस की जा चुकी है ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की जन सम्पर्क शाखा में जन सम्पर्क अधिकारी व सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पदों की संख्या

53—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की जनसम्पर्क शाखा में वर्ष 1987 वर्ष 1988 वर्ष 1989 में जनसम्पर्क अधिकारी व सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के कितने पद सृजित हुए हैं ? इन पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति हुई ? नियुक्ति करने का क्या आधार व मापदण्ड अपनाया गया ? इन पदों की नियुक्ति में क्या राज्य विद्युत परिषद् व शासन द्वारा निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों की अवहेलना हुई है ? यदि हुई है, तो क्यों ? इन पदों के सृजित करने से राज्य विद्युत परिषद् पर वेतन भत्ते, अन्य व्यय तथा अधीनस्थ अन्य कर्मचारियों सहित कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1987 तथा 1988 में जनसम्पर्क अधिकारी व सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का कोई भी पद सृजित नहीं किया गया । वर्ष 1989 में जनसम्पर्क अधिकारी के 8 (आठ) पद तथा सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के 16 (सोलह) पद सृजित किये गये । जनसम्पर्क अधिकारी के किसी भी पद पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गयी है । सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर वर्ष 1987 में कोई नियुक्ति नहीं की गयी । वर्ष 1988 में इस पद पर एक तथा वर्ष 1989 में तीन नियुक्तियां की गयी । वर्ष 1988 में की गयी एक मात्र नियुक्ति "उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975" के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी एवं वर्ष 1989 में की गयी तीन नियुक्तियों में से एक स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष दो कार्यरत पूर्णतया अर्ह जनसम्पर्क सहायकों की विभागीय प्रोन्नति द्वारा की गयी । नियुक्तियों में निर्धारित शासकीय/परिषदीय नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों की अवहेलना नहीं हुई है । इन पदों के सृजन से, अधीनस्थ अतिरिक्त कर्मचारियों को सम्मिलित कर, परिषद् पर लगभग 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा ।

लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में पत्र

54—श्री हर्षवर्धन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-4-89 का पत्र जो लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित पत्र के तथ्य क्या हैं तथा उनके आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्राप्त पत्र में लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

1988-89 के अन्तिम माहों में कुकरैल बांध, हर्डिंग ब्रिज बांध तथा गोमती नगर बांध पर मिट्टी के कार्यों में अनियमितताएं, अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों को निर्गत चेकों को एकाउण्ट पेई न करने तथा उक्त खण्ड के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है ।

इस शिकायती पत्र की जांच आख्या जांचकर्ता अधिकारी से दिनांक 20-9-89 को मुख्य-अभियंता (शारदा सहायक) को प्राप्त हो गयी है जो उनके स्तर पर विचाराधीन है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर सुल्तानपुर शाखा की दायीं पटरी पर कैरेज तथा हैंड लोड द्वारा कराया गया कार्य

55–श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर सुल्तानपुर शाखा की दायीं पटरी के किलोमीटर 150 से 154 तक का कार्य माह अक्तूबर, 1987 से माह मई, 1989 तक लोकल मिट्टी द्वारा या कैरेज मिट्टी द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो कितना कार्य उक्त किलोमीटर में कैरेज द्वारा और कितना हेड लोड द्वारा कराया गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर में माह अक्टूबर 1987 से माह मई 1989 तक सुल्तानपुर शाखा की पटरी दायीं में कि0 मी0 150.250 से 152.400 तक ढुलाई-मिट्टी द्वारा तथा कि0 मी0 152.700 से कि0 मी0 154.00 तक लोकल मिट्टी द्वारा कार्य कराया गया है । कि0 मी0 150.250 से कि0 मी0 152.400 तक कैरेज द्वारा 14760.00 घनमीटर मिट्टी तथा कि0 मी0 152.700 से कि0 मी0 154.00 तक 6714.67 घनमीटर मिट्टी का कार्य हेड लोड द्वारा कराया गया है ।

शारदा सहायक खण्ड-36 जनपद जौनपुर में ड्रेनों पर कराया गया कार्य व व्यय की गई धनराशि

56–श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-36 जनपद जौनपुर में नवम्बर, 1988 से अप्रैल, 1989 तक कितने-कितने ड्रेनों पर किन-किन मद से कार्य कराया गया तथा इन ड्रेनों पर व्यय की गयी धनराशि से किन-किन ग्रामों को लाभ हुआ है तथा उक्त ड्रेनों के निर्माण कार्य को किन-किन एजेन्सियों द्वारा कराया गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर द्वारा जनपद जौनपुर में नवम्बर 1988 से अप्रैल 1989 के बीच कुल 12 ड्रेनों पर शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक 4701 तथा राष्ट्रीय भूमि हीन रोजगार गारण्टी योजना (सेक्टोरियल) के अन्तर्गत कार्य कराया गया है । इन ड्रेनों पर व्यय किए गए धनराशि से ग्राम कम्मरपुर, ईशापुर, उतरौली, दरगुवा, रूधौली, सरपतहा, मिसिरपुर, सोईथाकला, ईसापुर, अरगूपुर,

ताखा पश्चिम, बड़ागांव, कटार, सोईथाखुर्द, विशुनपुर, मलूकपुर, परउआ, बगथरी, मेहौंडा, आजादनगर, कत्तेपुर, नामकडीह, विक्रमपुर, चिलौना खुर्द, सोना, तरांव, पिलखिनी, भदवेरा, बसपने, मेडेला, धानापुर, भुइली, ज़रौं, मल्हनी, कोंटिला, मेख एवं पाल्हामऊ ग्राम लाभान्वित हुए हैं । ड्रेनों का निर्माण कार्यादेश तथा अनुबन्धों के माध्यम से ठेकेदारों से तथा मस्टर रोल द्वारा दैनिक श्रमिकों से कराया गया है ।

शारदा सहायक खण्ड-36 सुल्तानपुर की शाखा के कि0 मी0 155 से टेल तक कराया गया कार्य

57—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि शारदा सहायक खण्ड-36 सुल्तानपुर की शाखा के किलोमीटर 155 से टेल तक विभिन्न किलोमीटर के दांए एवं बाएं बैंकों पर माह अक्तूबर, 87 से अप्रैल, 88 तक व नवम्बर, 88 से मई, 89 तक किन-किन मदों के धन से व किन-किन एजेंसियों द्वारा कार्य कराया गया ? उक्त किलोमीटर में नहर के सुचारू रूप से चलने के लिए कितनी मात्रा में मिट्टी आवश्यक होती है, जिस पर नहर चलायी जाती है तथा अक्तूबर, 87 से पूर्व उक्त नहर में कितनी मिट्टी थी जिस पर नहर चलायी जा रही थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शारदा सहायक खण्ड-36 जौनपुर द्वारा सुल्तानपुर शाखा के कि0 मी0 155.0 से टेल तक माह अक्तूबर, 87 से अप्रैल, 88 एवं नवम्बर, 88 से मई 89 तक नहर के दायें तथा बायें बैंकों पर मिट्टी का कार्य सूखा राहत मद तथा शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त धन से दैनिक श्रमिकों एवं अनुबन्धों के माध्यम से कराया गया है ।

नहर के कि0 मी0 155.0 से टेल तक सुचारु रूप से चलाने के लिए 6,73,710 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होती है माह अक्टूबर 87 से पूर्व 3,67,548.08 घनमीटर मिट्टी थी जिस पर नहर चलायी जा रही थी ।

थर्मल पावर हाउस टाण्डा फैजाबाद में ली गई भूमि के आश्रितों को मस्टर रोल पर रखा जाना तथा उनकी संख्या

58—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे किसान जिनकी थर्मल पावर हाउस टाण्डा फैजाबाद में भूमि ली गयी है, के आश्रितों को मस्टर रोल पर रखा गया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा स्थायी रूप से नियुक्ति किए गए लोगों की संख्या क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

मस्टर रोल पर कार्यरत प्रभावित कृषकों/आश्रितों की संख्या 93 है । वर्तमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये गये लोगों की संख्या 132 है ।

59–श्री शारदा प्रताप—

[पहले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री खेदन प्रसाद के स्थान पर श्री राकेश कुमार को नियुक्ति करके अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने के खिलाफ कार्यवाही

60–चौधरी महराज सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने श्री खेदन प्रसाद को वर्ष 1985 में निलम्बित करके श्री राकेश कुमार की नियुक्ति करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है जबकि 10/74 में चयन समिति गठित हो चुकी थी और अनुसूचित जाति की जगह केवल अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सकती है ? अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32, द्वारा श्री खेदन प्रसाद की सेवायें दिनांक 31-3-85 से समाप्त की गई (निलम्बित नहीं किया गया) श्री खेदन प्रसाद की सेवायें समाप्ति के कारण हुई रिक्त के प्रति श्री राकेश कुमार की नियुक्ति 1-5-85 से की गई । नियुक्ति के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध कि नियुक्ति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से तथा चयन समिति के माध्यम से की जानी थी, का संज्ञान न होने के कारण एसा हुआ प्रतीत होता है । सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से स्थिति स्पष्ट कराकर यदि आवश्यक हुआ तो दायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गाजियाबाद में लोनी चेक पोस्ट पर अनाधिकृत रूप से सुपर फाइन चावल ले जाते समय मे0 लार्ड कृष्णा राइस मिल, गंगो सहारनपुर का ट्रक पकड़ा जाना व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

61–डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि 25-3-88 को जनपद गाजियाबाद में लोनी चैक पोस्ट पर अनधिकृत रूप से सुपर फाइन चावल ले जाते मै0 लार्ड कृष्णा राइस मिल, गंगो सहारनपुर का ट्रक पकड़ा गया व मार्केटिंग इन्सपेक्टर श्री आर0 के0 अरोरा ने लोनी पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में इसी आशय की रिपोर्ट भी लिखाई थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस मामले में रिपोर्ट लिखाने वाले इन्सपेक्टर आर0 के0 अरोरा व मार्केटिंग सुपरवाइजर अब्दुल कदीर को निलम्बित करने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इन दोनों का निलम्बन यथाशीघ्र वापस लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

जांच कराई गई । प्रश्नगत मामले में श्री अब्दुल कदीर, वरिष्ठ विपणन

निरीक्षक व श्री आर0 के0 अरोरा विपणन निरीक्षक अपने कर्त्तव्यों का भली भांति निर्वहन न करने के दोषी प्रतीत हुए जिसके लिए इन्हें निलम्बित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । श्री अब्दुल कदीर के बारे में विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा उनको 18-9-89 से सवेतन निलम्बन की तिथि से बहाल किया जा चुका है । श्री आर0 के0 अरोरा के विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृपा शंकर दूबे, भूतपूर्व लाइन मैन विद्युत विभाग, बस्ती के सम्बन्ध में पत्र एवं उस पर कार्यवाही

62–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जून, 88 जो कि श्री कृपा शंकर दूबे, भूतपूर्व लाइन मैन विद्युत विभाग, बस्ती के सम्बन्ध में है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम दवेडीह के कृषकों की भूमि पर नहर का निर्माण होने पर प्रतिकर का भुगतान न किया जाना

63–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम दवेडीह के कृषकों को नहर के प्रतिकर का भुगतान 9-2-84 ई0 को करा दिया तथा चक संख्या–500/745, 550, 551, 554, 567, 568, 591, 616, 630, 632 में कृषकों की भूमि पर नहर का निर्माण भी उसी समय हो गया था किन्तु प्रतिकर का भुगतान आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसमें कौन दोषी है ? क्या उक्त चकों के सम्बन्ध में धारा 4(1) तथा 6(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर भूमि अध्याप्ति की शेष औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर उक्त चकों के प्रतिकर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

चकबन्दी की प्रक्रिया के अंतर्गत धारा-52 के प्रकाशन के पश्चात् प्रश्नगत चकों के नम्बर में परिवर्तन हो जाने के कारण प्रतिकर नहीं बाटा गया है । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्नगत चक नम्बरों के संबंध में भू-अर्जन प्रस्ताव की धारा 4(1) का राजकीय गजट में दिनांक 3-1-89 को प्रकाशन हुआ है तथा धारा 6(1) का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है । इसके प्रकाशन के बाद अभिनिर्णय घोषित करके प्रतिकर वितरण किया जायेगा ।

64—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दिनांक 8-3-89 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित]

65—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बहराइच में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

66—श्री राम सागर राव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना के विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग द्वारा 20 हजार रुपये की मांग की गयी थी जिसे जमा करा देने पर भी चिकित्सालय को विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गयी और साठ हजार रुपये की पुनः मांग की गयी है उसे भी जमा करा देने पर फिर धन की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की प्रदेश स्तर के किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे तथा चिकित्सालय को विद्युत उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना के विद्युतीकरण के लिए विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच के पत्रांक 275/टी0 सी0, दिनांक 16-1-87 मात्र रु0 60,069.00 का प्राक्कलन तथा नियम एवं शर्तें सम्बन्धी पत्र अधिशासी अभियंता, अस्थायी विद्युत यांत्रिक खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोण्डा को प्रेषित किया गया था परन्तु वांछित धनराशि का भुगतान निर्धारित समय 30 (तीस) दिन के अन्तर्गत नहीं किया गया ।

दिनांक 25-5-88 को उपरोक्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त धनराशि में से रु0 60,000.00 जमा किया गया परन्तु इसी बीच दिनांक 1-4-88 से राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्टोर मैटिरियल के स्टाक इशू रेट का पुनरीक्षण किया गया जिसके फलस्वरूप उपरोक्त अधिशासी अभियंता को विद्युत वितरण खण्ड, बहराइच के पत्र सं0—1100/टी0 सी0 दिनांक 25-3-89 द्वारा रु0 92,908.00 का पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजा गया । पुनः भुगतान सम्बन्धी कोई कार्यवाही उपरोक्त विभाग द्वारा नहीं की गयी ।

अप्रैल, 1989 में विभागीय रेट पुनः पुनरीक्षित हो जाने के कारण उक्त अधिकारी को रु0 1,22,962.00 का प्राक्कलन पत्रांक, 2666/टी0 सी0 दिनांक 23-6-89 द्वारा भेजी गयी फिर भी उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं की गयी । नियमानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा शेष धनराशि रु0 62,962.00 जमा किये जाने एवं अनुबन्ध पूर्ण कर लेने पर ही कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा ।

रुहेलखण्ड नहर खण्ड के अन्तर्गत ग्राम इटौंआधुरा, तहसील बहेड़ी के निकट राजूनगला माइनर नहर का कटान, कुछ ग्रामों की आबपासी बन्द होना तथा उसे ठीक कराये जाने की मांग

67–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड कैनाल डिवीजन के अन्तर्गत ग्राम इटौंआधुरा, तहसील बहेड़ी के निकट राजूनगला माइनर नहर किस वर्ष में किच्छा नदी द्वारा कटी थी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नहर के कटने से किन-किन ग्रामों की आबपासी बन्द हो गयी है तथा इसके फलस्वरूप प्रति वर्ष आबपासी द्वारा प्राप्त राजस्व तथा फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव के कारण कितनी-कितनी क्षति हुई है ? उक्त नहर के क्षतिग्रस्त भाग को पुनः जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास अभी तक शासन द्वारा किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के अन्तर्गत ग्राम इटौंआधुरा तहसील बहेड़ी के निकट राजू नगला माइनर वर्ष 1985-86 में कटी थी ।

उक्त नहर कटने से इटौंआधुरा, नरकुन्डा बाकौली, धमीपुर, राजूनगला, कुबर-गढ़, तिलयाची एवं पनवाडिमा ग्रामों की आबपासी बन्द हो गई है ।

इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष आबपासी द्वारा प्राप्त राजस्व तथा फसलों के उत्पादन पर न तो विपरीत प्रभाव ही पड़ा है और न ही राजस्व को कोई क्षति हुई है क्योंकि किच्छा नहर के हेड पर जो भी पानी उपलब्ध होता है उसका समुचित उपयोग अन्यत्र क्षेत्र की सिंचाई से कर लिया जाता है ।

उक्त नहर के क्षतिग्रस्त भाग को पुनः जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 1989-90 में भूमि के अर्जन हेतु प्रस्ताव बनाकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी; बरेली को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, विधायक का आबकारी के संबंध में हापुड़ के आबकारी निरीक्षक के कार्यों के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

68–श्री फरीद महफूज किदवई, श्री मुस्तमंद अली खां तथा श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बुनियाद हुसैन अंसारी विधायक का आबकारी के संबंध में एक शिकायती पत्र सं0-589/लो0 द0/87, दिनांक 25-10-87 जो कि हापुड़ के आबकारी निरीक्षक के कार्यों के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69–श्री प्रकाश सिंह तथा श्री शारदा नन्द अंचल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री डी0 डी0 चौधरी जे0 ई0 के नाम प्रथम सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा टी0 आई0 खोला जाना तथा इसके द्वारा किये गये भुगतान की जांच

70–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में निथमत: एक अवर अभियंता के नाम कितने रुपये की टी0 आई0 खोली जा सकती है और कितने रुपये तक का भुगतान करने के लिए अवर अभियंता सक्षम है ? क्या यह सही है कि माह 8/88 में बी0 डी0 चौधरी जे0 ई0 के नाम 3 लाख तिरसठ हजार रुपये कैश तथा खाद्यान्न साथ में मिलाकर पांच लाख रुपये की टी0 आई0 प्रथम सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा खोली गयी है और उसका भुगतान जे0 ई0 द्वारा ही किया गया है ? क्या शासन द्वारा इसकी जांच करायी जायेगी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71–डाक्टर बंगाली सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम-बहरौली मजरा-मुख्य ग्राम बेलहरी जनपद बाराबंकी का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

72–श्री अवधेश प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित धनराज यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-बहरौली मजरा-मुख्य ग्राम बेलहरी जनपद बाराबंकी में वित्तीय अभाव के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो सका है? क्या वर्ष 1989-90 में उक्त मजरे का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो कब तक करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1989-90 में प्रश्नगत मजरे का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

सिंचाई खण्ड गोण्डा के प्रथम उप-खण्ड में रामनगर चेक डैम पर ट्रैक्टर से कम काम कराकर लेबरों के नाम कथित फर्जी भुगतान

73–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड गोण्डा के प्रथम उप खण्ड में रामनगर चेक डैम पर ट्रैक्टर से कम काम कराकर लेबरों के नाम दिखाकर फर्जी भुगतान कराया गया तथा ट्रैक्टर के आने जाने से जो मिट्टी का कम्प्रेशन हुआ उसी का फर्जी कम्प्रेशन दिखाकर 80 हजार से अधिक रुपये का फर्जी बाउचर बनाकर निकाल लिया गया जिसकी जांच टी0 ए0 सी0 द्वारा मार्च, 88 में करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं । प्रश्नगत मामले की जानकारी न तो अभी शासन को थी और न ही प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा इस बिन्दु पर अभी कोई जांच करायी गयी है । दिनांक 15-3-88 से दिनांक 18-3-88 तक प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा नियमित प्रक्रिया के रूप में इस खण्ड के रामनगर चेकडैम का निरीक्षण किया गया था और कुछ बिन्दुओं पर विभागीय आख्या मांगी गयी थी जो उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है । प्रश्नगत बिन्दु उसमें शामिल नहीं है ।

अब सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक को निर्देश दे दिया गया है कि वे प्रश्नगत मामले की जांच कराकर अपनी आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दें । प्रश्न अंतिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा विधायक का देहरादून विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कार्यवाही

74–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भगवान दीन कुशवाहा विधायक का शिकायती पत्र संख्या-629/लो0 द0, दिनांक 9-6-88 जिसमें देहरादून विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार के उल्लेख हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

सम्पूर्ण मामला परिषदीय सतर्कता इकाई को विस्तृत जांच हेतु सौंप दिया गया है ।

श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधायक का डाबर लि0 द्वारा आबकारी कर की चोरी के संबंध में पत्र

75–श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री फरीदमहफूज किदवई तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय विधायक का डाबर लि0 द्वारा आबकारी कर की चोरी के संबंध में शिकायती पत्र संख्या-3048 दि0 7-1-89 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

गाजियाबाद में डाबर इण्डिया लि0 एवं मेसर्स शारदा बायरना लेबोट्रीज अनुज्ञापी एल0-1 द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित होमोडेन्ट टूथपेस्ट को विभागीय जांच में दवाओं के बजाय प्रसाधन सामग्री की श्रेणी में निर्धारित करते हुए रु0 68,50,745.20 अभिकर आरोपित किया गया । उक्त धनराशि में से रुपया 46,67,000 जमा हो चुका है, शेष धनराशि रु0 21,83,745.20 की वसूली मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है तथा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

द्राक्षासव आदि उत्पादकों का निर्माण डाबर क0 द्वारा फैक्ट्री में ही एक अलग परिसर में किया जाता है जिस पर नियमानुसार अभिकर वसूल कर लिया गया है । इकाई द्वारा सुरासव युक्त किसी भी उत्पाद का निर्माण अन्य कारखानों में नहीं कराया जाता है ।

पुदीन हरा डाबर क0 की एक पेटेन्ट प्रोपराईटरी औषधि है जो ड्रग कन्ट्रोलर, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित है । यह पेट दर्द तथा उल्टी आदि की प्रभावकारी दवा है जिसका व्यापक उपयोग मैदानी क्षेत्र में खासकर गर्मी के दिनों में होता है । यह डाबर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध औषधि तो है ही, बैद्धनाथ क0 आदि द्वारा भी भिन्न-भिन्न नामों से बनाई जाती है । इसके उत्पादन पर देय अभिकर नियमानुसार वसूल किया जाता है । उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, जहां मद्य निषेध है, में पुदीनहरा की बिक्री प्रदेश में कुल बिक्री का वर्ष 1987-88 में लगभग 0.3 प्रतिशत तथा वर्ष 1988-89 में लगभग 1.2 प्रतिशत होने की सूचना है ।

जनरल मैनेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट, देहरादून तथा भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रसारण खण्ड देहरादून के विरुद्ध उ0 प्र0 बिजली कर्मचारी संघ का भवन संबंधी पत्र

76–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनरल मैनेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट, देहरादून तथा भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रसारण खण्ड देहरादून के विरुद्ध उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ देहरादून द्वारा लगाये गये लाखों रुपये के गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, किन्तु शिकायती पत्र जनरल मैनेजर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, देहरादून के विरुद्ध नहीं वरन् उनके वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध है जो इससे विद्युत प्रसारण खण्ड देहरादून में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनात थे ।

आरोपों पर परिषदीय सर्तकता इकाई द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलैक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में कार्यरत एस0 डी0 ओ0 के विरुद्ध शिकायतें प्रमाणित होने पर भी पदोन्नति दिया जाना

77–श्री भगवान दीन कुशवाहा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलैक्ट्रिक ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में वर्ष 1983 से 1985 तक कार्यरत एस0 डी0 ओ0 के विरुद्ध वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में गबन एवं भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्रमाणित होने पर उन्हें दण्डित किया गया तथा सत्यनिष्ठा रोक दी गयी ? क्या यह सही है कि अब उसी अधिकारी को पदोन्नति देकर अधिशासी अभियन्ता बनाये जाने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री सुहर्ष अवस्थी, इलैक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन उपखण्ड (द्वितीय) लखनऊ में एस0 डी0 ओ0 पद पर दिनांक 15-4-83 से 3-1-87 तक तैनात रहे थे । श्री अवस्थी की वर्ष 1983-84 (23-9-83 से 31-3-84) अवधि की सत्यनिष्ठा दिनांक 2-9-85 को जारी कर दी गयी थी । अस्तु सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु जून, 1986 में हुये चयन के समय चयन समिति ने श्री अवस्थी को अधिशासी अभियंता पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित किया है ।

नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के अवर अभियन्ता श्री आनन्द कुमार के विरुद्ध श्री रामेश्वर नाथ चौबे सदस्य विधान सभा द्वारा की गई शिकायत की जांच

78–श्रीमती शारदा देवी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के अवर अभियन्ता श्री आनन्द कुमार के विरुद्ध श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा द्वारा विगत वर्ष में की गई शिकायत की जांच पर उक्त अवर अभियन्ता को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुशल पाल सिंह विधायक का सिंचाई विभाग से सम्बन्धित शिकायती पत्र

79–श्री भगवानदीन कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुशल पाल सिंह विधायक का सिंचाई विभाग के संबंध में एक शिकायती पत्र संख्या–536 दिनांक 25-5-88 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्री आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) का स्थानान्तरण दिनांक 13-7-87 द्वारा नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद से टिहरी बांध खण्ड-21, टिहरी किया गया था अवर अभियन्ता की स्थानान्तरण नीति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उक्त आदेश दिनांक 30-4-88 तक स्थगित कर दिये गये । पुनः श्री आनन्द कुमार की घरेलू परिस्थितियों के कारण स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-4-89 तक के लिए स्थगित कर दिये गये । अब इन्हें नलकूप निर्माण खण्ड, मुरादाबाद से 14-8-89 को कार्यमुक्त मान लिया गया है । अतः अब किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

80–श्री मुस्तमन्द अली खां–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री आनन्द कुमार, अवर अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

81–श्री अर्जुन सिंह यादव–

द्वितीय सत्र 1987 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–128 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उनके आधार पर दोषी अवर अभियंता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्राप्त जांच रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद जनपद में आबकारी विभाग में कार्यरत सिपाहियों की संख्या एवं 8 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सिपाहियों के स्थानान्तरण की मांग

82–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद जनपद में आबकारी विभाग में कुल कितने आबकारी सिपाही कार्यरत हैं तथा उनमें कितने ऐसे हैं जो आठ वर्ष से अधिक समय से गाजियाबाद जनपद में ही हैं ? सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनके स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहायक आबकारी आयुक्त जनपद गाजियाबाद के अधिष्ठान में कुल 33 आबकारी सिपाही कार्यरत हैं जिनमें से 14 आबकारी सिपाहियों को जनपद गाजियाबाद में नियुक्त हुए आठ वर्ष से अधिक का समय हो गया है । स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्मिक नीति है कि समूह (घ) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर करने का प्रसंग नहीं उठना चाहिए । यदि उनका स्थानान्तरण आवश्यक समझा जाय तो उन्हें उसी जनपद में स्थित विभागीय कार्यालय में उनकी वर्तमान नियुक्ति से किसी अन्य समकक्ष पद पर स्थानातरित किया जाय । जनपद में 6 आबकारी सिपाही ऐसे थे जिनको एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया था, अतः उनका स्थानान्तरण उसी जनपद में अन्य स्थान पर कर दिया गया है ।

गाजीपुर जनपद में जमानियां पम्प नहर पर बन रहे पम्प हाउस के कार्य हेतु लोहा, सीमेन्ट की प्राप्ति व निर्गत का विवरण

83–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में जमानियां पम्प नहर पर बन रहे पम्प हाउस के कार्य हेतु वर्ष 1988-89 से अब तक माहवार कुल कितना टन लोहा व सीमेन्ट प्राप्त व निर्गत किया गया ? क्या उपरोक्त सामग्री को खण्डीय लेखा में "एकाउन्ट फार" कर दिया गया है? यदि हां, तो माहवार उसका क्या विवरण है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जमानियां पम्प नहर पर निर्माण हो रहे पम्प हाउस के लिए अलग से लोहा अथवा सीमेन्ट प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी लोहा तथा सीमेन्ट वर्ष 1988-89 में खण्ड में प्राप्त हुआ, वह खण्ड के अन्तर्गत निर्गत होने वाले सभी कार्यों के लिए सम्मिलित प्राप्त हुआ है। प्राप्ति व निर्गत का विवरण संलग्न है।

जी हां।

माहवार विवरण निम्न प्रकार है:–

माह जिसमें एकाउन्ट फार किया गया है।	लोहा (मी0 टन में)	सीमेन्ट (बोरी में)
अप्रैल, 1988	75.214	2,000
मई, 1988	76.762	4.071
जून, 1988	12.109	1,310
जुलाई, 1988	9.457	(–) 1,954
अगस्त, 1988	4.590	––
सितम्बर, 1988	––	––
अक्टूबर, 1988	15.325	2,203
नवम्बर, 1988	6.789	1,450
दिसम्बर, 1988	1.250	1.150
जनवरी, 1989	15.704	(–) 84
फरवरी, 1989	15.281	900
मार्च, 1989	24.349	1,000
अप्रैल, 1989	7.829	1,000
	196.659	13,054

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 149 पर)

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के सिविल पदों पर प्रोन्नति करते समय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का कोटा पूर्ण करने की मांग

84–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ताओं के सिविल पदों पर प्रोन्नति करते समय शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का कोटा आरक्षण नीति के अनुसार पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्तमान समय में पदोन्नति के अवसर पर उक्त आरक्षण को पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं । ''यू0 पी0 सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास-2 इरीगेशन ब्रांच रूल्स, 1936'' एवं ''यू0 पी0 सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास-2 इरीगेशन ब्रांच (संशोधन) नियमावली, 1988'' में सिविल संवर्ग के सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती किए जाने हेतु चयन का मापदण्ड ''श्रेष्ठता'' है । इसके अन्तर्गत पात्रता सूची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अवर अभियन्ता पर्याप्त संख्या में न आ सकने के कारण इस वर्ग का आरक्षण पूरा नहीं है । प्रोन्नति श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है । सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर दिए जाने के उपरान्त आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

दादरी जनपद गाजियाबाद की राईटकल्दा नहर पर तिलपता के निकट एवं हसनपुर ड्रेन पर बील अकबर पुर के निकट नाले पर पुल बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

85–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दादरी जनपद गाजियाबाद की राईटकल्दा नहर पर तिलपता के निकट एवं हसनपुर ड्रेन पर बील अकबरपुर के निकट नाले पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र मई, 1989 में प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

दादरी गाजियाबाद में राजबाहा राइट काल्दा के ग्राम तिलपता के निकट मील 8-5-500 के ऊपर की ओर मील 8-6-314 पर ग्रामीण पुल और नीचे की ओर पैदल पुलिया मौजूद है अतः राजबाहा राइट काल्दा के मील 8-5-500 पर पुल बनाना औचित्यपूर्ण नहीं है । बील अकबरपुर से ग्राम भोजपुर तक का मार्ग, जो हसनपुर नाले को मील 2-2-0 पर काटता है, पर पुल निर्माण की मांग उचित है । धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

86–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग के डिवीजन कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय पदों को अलग करने के संबंध में कथित शासनादेश का अनुपालन न किया जाना

87–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के डिवीजन कार्यालय में कार्यरत लिपिकीय पदों को प्रतिशत के आधार पर विभाजन एवं लेखाकार्य तथा सहायक अभियंताओं से सम्बद्ध लिपिकों का संवर्ग अन्य लिपिकों से अलग करने सम्बन्धी शासनादेश स0-अ-2491/83-23-सी-8126अ/82 सिंचाई (8) अनुभाग दिनांक 20-8-83 का अनुपालन वाराणसी मण्डल के खण्डों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो नलकूप मण्डल गाजीपुर व सिंचाई निर्माण मण्डल वाराणसी के खण्डों में उक्त शासनादेश के पैरा–2 के अनुसार लेखा संवर्ग में पदों की श्रेणीवार संख्या क्या है ? यदि अनुपालन नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री लोक पीत त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

सिंचाई निर्माण खण्ड गाजीपुर में वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं सेक्टोरियल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य न किया जाना

88–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा सेक्ट्रोरियल कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई निर्माण खण्ड गाजीपुर द्वारा वर्ष सन् 1986-87 में किन-किन ब्लाकों/ग्रामों के कितने भूमिहीनों को कितना-कितना मानव दिवस रोजगार किस-किस कार्य पर कब-कब दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें कितना धन नकद और कितनी मात्रा में खाद्यान्न वितरित किया गया तथा इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूरा किया गया ? यदि हां, तो उनकी सूची क्या है ?

श्री लोक पीत त्रिपाठी–

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजीपुर में वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं सेक्ट्रोरियल कार्यक्रम के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया था । अतः मानव दिवस रोजगार के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण खण्ड गाजीपुर के कर्मचारी श्री सीताराम बेलदार मस्टर रोल के वेतन भुगतान के संबंध में दिए गए श्री सरयू पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र पर कार्यवाही

89–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड गाजीपुर के अंतर्गत श्री सीताराम बेल्दार मस्टर सेल कर्मचारी के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में श्री सरजू पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 10 अप्रैल, 1989 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को 9 माह का बकाया वेतन उसे दे दिया गया? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पीत त्रिपाठी–

जी हां ।

उक्त कर्मचारी को उसका उचित एवं देय कुल 238 दिवस (लगभग 8 माह) का भुगतान कर दिया गया है ।

दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 मार्च, 1986 तक का भुगतान मार्च 1988 में एवं 1 अप्रैल, 1985 से 26 अगस्त, 1985 का भुगतान माह अगस्त, 1989 में किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स मोहन मीकिन्स लि0 आसवनी लखनऊ तथा मेसर्स मोहन मिकिन्स बुबरी गाजियाबाद आदि पर आबकारी टैक्स के बकाये का विवरण

90–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मोहन मीकिन लि0 पर आबकारी टैक्स (इक्साइज ड्यूटी) 1-4-1960 से आज तक कितना बकाया है ? क्या सरकार इस आबकारी टैक्स के बकाये की वसूली करने के लिए मोहन मीकिन लि0 के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मोहन मिकीन्स लि0 की प्रदेश में चार इकाईयां हैं जिनमें से मेसर्स मोहन मिकिन्स, लि0 आसवनी, लखनऊ में तथा मोहन मिकिन्स लि0 आसवनी बुबरी व विन्टेनरी, गाजियाबाद में कार्यरत हैं । मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0, विन्टेनरी, गाजियाबाद के विरुद्ध कोई आबकारी बकाया नहीं है । मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 आसवनी, गाजियाबाद के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अतिशय छीजन के रूप में रु0 8532052·01 बकाया है, जो उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है ।

मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 आसवनी लखनऊ तथा मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 बुबरी, गाजियाबाद के विरुद्ध दिनांक 1-4-60 से अब तक निम्नलिखित बकाया है :–

1–मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 रु0 6,47,052·07 आसवनी लखनऊ

2–मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 रु0 1,37,813,62·86 बुबरी, गाजियाबाद ।

मेसर्स मोहन मिकिन्स लि0 ने उपरोक्त बकायों की वसूली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं ।

जनपद गाजियाबाद में देशी एवं विदेशी मदिरा की बैंक गारंटी एवं सिक्योरिटी सरकारी खजाने में जमा न करने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

91–श्री सुन्दर लाल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1989-90 के लिए गाजियाबाद जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की नीलामी के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित 1/6, बैंक गारंटी एवं सिक्योरिटी निश्चित तिथि पर सरकारी खजाने में जमा नहीं की गयी थी ? यदि हा, तो उक्त निलामी निरस्त क्यों नहीं की गयी तथा इसके लिये दोषी आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद गाजियाबाद के वर्ष 1989-90 के समस्त देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों का नीलाम दिनांक 23-2-89 को क्रमशः 9,18,00,000 रुपये तथा 2,82,00,000 रुपए पर किया गया था जिसका 1/6 भाग क्रमशः रु0 1,53,01,334 तथा रु0 47,00,700 रुपये उसी तिथि को नकद एवं बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करा लिया गया था । अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जे0 पी0 श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक, हापुड़ के विरुद्ध सिम्भौली विषाक्त काण्ड की मजिस्ट्रीयल जांच

92–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अवधेश प्रसाद विधायक का मुख्य मंत्री को सम्बोधित आबकारी के विषय में शिकायती पत्र संख्या-419/ले0 द0/88 दिनांक 27-4-88 जो हापुड़ शराब काण्ड से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

सिम्भौली विषाक्त काण्ड की मजिस्ट्रीयल जांच कराई गई थी । इसमें श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक हापुड़ निर्दोष पाये गये । अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरजी नाला, जिला वाराणसी की खुदाई सिंचाई खण्ड, जौनपुर द्वारा वर्ष 1987-88 में न कराकर वर्ष 1988-89 में कराकर भुगतान किया जाना

93–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरजी नाला, जिला वाराणसी सिंचाई विभाग, जौनपुर शारदा सहायक बाबतपुर राजबाहा के पानी निकासी हेतु सन् 1987-88 में बिना खुदाई किये फर्जी मस्टर रोल बनाकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूरा पैसा ले लिया था और खुदाई 1988-89 में करायी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

, जी नहीं, बरजी नाले की खुदाई पर सिंचाई खण्ड, जौनपुर द्वारा वर्ष 87-88 में कोई भुगतान नहीं किया गया है । वर्ष 1988-89 में बरजी नाले की खुदाई का कार्य ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत कराकर भुगतान किया गया है। किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

मच्छाताल वाराणसी से निकलने वाली महाराजकोट तथा पिंडरा ड्रेन में सफाई तथा खुदाई के कथित फर्जी कार्य का भुगतान मस्टर रोल भरकर किया जाना

94–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल वाराणसी से निकलने वाले सरकारी क्षेत्र, मच्छाताल ड्रेन महाराजकटि पिंडरा ड्रेन व अजईपुर ड्रेन की सफाई एवं खुदाई गहरा एवं चौड़ा नहीं किया गया और 1987-88 में ही पूरा पैसा निकाल कर सिंचाई विभाग जौनपुर (शारदा सहायक) ने मस्टर रोल भर कर ठेकेदारों को भुगतान दिखा दिया है ? क्या सरकार उपरोक्त चारों ड्रेनों की जांच करायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1987–88 में मच्छाताल ड्रेन पर कोई कार्य नहीं कराया गया और न ही कोई भुगतान किया गया है । महराजकोट तथा पिंडरा ड्रेन पर आर0 एल0 ई0 जी0

पी0 के अंतर्गत वर्ष 87-88 में कार्य कराया गया है, जिसका भुगतान मस्टर रोल द्वारा मजदूरों को किया गया है, न कि ठेकेदारों को ।

अजईपुर ड्रेन के नाम से कोई ड्रेन नहीं है और न ही इस पर कोई कार्य दिखाकर भुगतान किया गया है ।

उपरोक्त परिस्थिति में जांच कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों से लाइन हानियों की गणना

95–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों से 11 के0 वी0 तक के वितरण बिन्दु तक लाइन हानि कितनी है तथा 11 के0 वी0 के वितरण बिन्दु के पश्चात लाइन हानि कितनी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

लाइन हानियों की गणना की विगत तथा वर्तमान में अपनाई गई प्रक्रिया एवं की गई व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्नानुरूप लाइन हानियों की गणना सम्भव नहीं है । लाइन हानियां मांगे गए क्रम में नहीं रखी गयी हैं ।

यथा उपरोक्त ।

प्रदेश भर के लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तीन फेज की विद्युत दर पर सबसे कम चार्ज लिया जाना

96–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में किस श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं से राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई किसी भी वोल्टेज की तीन फेज विद्युत दर सबसे कम चार्ज की जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वह दर क्या है और इन औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रदेश भर में न्यूनतम दर चार्ज करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

लघु औद्योगिक श्रेणी के 25 बी0 एच0 पी0 तक के उपभोक्ताओं से जिन्हें 3 फेज पर विद्युत दी जाती है सबसे कम दर चार्ज की जाती है।

यह दर निम्नवत् है—

फिक्स्ड चार्ज रु0 15.00/माह/बी0 एच0 पी0

यूनिट चार्ज 65 पैसे प्रति यूनिट

उपरोक्त यूनिट चार्ज पर समय से बिल अदा करने पर 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाती है ।

प्रदेश में लघु उद्योग के अधिकतम विकास के लिए यह दर निश्चित की गयी है।

जनपद बरेली में बहेड़ी तहसील के शेरगढ़ ब्रांच तथा राजू नगला माइनर की टेल पर बसे कतिपय ग्रामों के लिए नलकूप लगाने की मांग

97–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में बहेड़ी तहसील के वे

ग्राम जो दौलतपुर राजबहा पर ग्राम उनई से नीचे, रोहेलखण्ड की शेरगढ़ ब्रांच तथा राजूनगला माइनर की टेल पर है, में इन नहरों से नाम मात्र को ही पानी मिल पाता है तथा आवश्यकता के समय कभी भी पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों को नहर की कमांड से निकाल कर इनमें राजकीय नलकूप अथवा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत नलकूप समूह लगाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दौलतपुर रजवाहे के कमाण्ड में ग्राम उनई मकरूका मील 7-5-0 से नीचे 20 ग्राम कमाण्ड में आते हैं । इन ग्रामों का रबी क्षेत्र 10 प्रतिशत है । केवल चार ग्रामों को छोड़कर शेष सभी 16 ग्रामों में निर्धारित मात्रा में पानी खरीफ एवं रबी में उपलब्ध हो जाता है । राजबाहा शेरगढ़ ब्रांच के कमाण्ड में आठ ग्राम आते हैं इनमें से एक ग्राम को छोड़कर शेष सभी सात ग्रामों में 10 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित सींच होती है । रम्पुरा माइनर के कमाण्ड में लगभग आठ ग्राम पड़ते हैं जिनमें से 4 ग्रामों को छोड़कर शेष 4 ग्रामों में निर्धारित सींच होती है । राजूनगला माइनर के कमाण्ड में आठ ग्राम पड़ते हैं जिनमें पानी का अभाव रहता है ।

इन ग्रामों के सर्वेक्षणोपरान्त जिला सिंचाई सलाहकार समिति तथा नलकूप चयन समिति से अनुमोदन के उपरान्त तथा धन की उपलब्धता होने पर ही नलकूपों का निर्माण कराया जा सकता है ।

सर्वेक्षणोपरान्त ही निर्णय लिया जा सकता है कि इस क्षेत्र में विश्व बैंक के अथवा राजकीय नलकूपों के कितने नलकूप बन सकते हैं । विश्व बैंक परियोजना अंतिम चरणों में है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में वर्ष 1987-88, 1988-89 में एल0 टी0 मेन्स द्वारा विकास खण्ड भावरकोल व मुहम्मदाबाद के विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण तथा प्रस्ताव

98–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भंवरकोल व मुहम्मदाबाद में वर्ष 87-88 व 88-89 में एल0 टी0 मेन्स योजना के अंतर्गत किन-किन गांवों को विद्युतीकृत किया गया ? उक्त दोनों वित्तीय वर्षों में जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उपरोक्त विकास खण्डों में किन-किन ग्रामों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया था ? प्रस्तावित गांवों में कितने-कितने पोल खड़े किये गये थे ? प्रस्तावित गांवों में से किस-किस गांव में अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और कब तक कार्य पूरा किया जा सकेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भंवरकोल व मुहम्मदाबाद में वर्ष 1987-88 तथा

88-89 में एल0 टी0 मेन्स द्वारा निम्नलिखित ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया :—

विकास खण्ड भांवरकोल

1987-88	1988-89
1--तरांव	1--शहबुद्दीनपुर
2--कनुआन	2--सवितापुर
3--मिर्जाबाद अंधारी	3--बदोली अदाई
4--श्रीपुर	4--रानीपुर
5--मुण्डेरा	

विकास खण्ड मुहम्मदाबाद

1--चकफरीद	1--मुर्कीबुजुर्ग
2--चकताहा	2--चकशाहबाज कुली उर्फ सन्याती
3--हुसेनपुर	3--धरमपुर
4--रामपुर एम राजापुर	4--शाहपुर ठीक ठउत
5--सराय गान्धु	5--मुर्कीखुर्द

उक्त दोनों वित्तीय वर्षों में जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उक्त विकास खंडों में निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया था और इन ग्रामों में कार्य पूर्ण होने तथा पोल खड़े किये जाने की स्थिति उनके सामने अंकित है:--

विकास खण्ड भावर कोल

1987-88--

1--कधार कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।	
2--मिर्जाबाद अधरी	31-3-88 को विद्युतीकृत 9 पोल खड़े किये गये।
3--कमुआन	31-3-88 को विद्युतीकृत। 10 पोल खड़े किये गये।
4--सोनवारी	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

1988-89--

1--गोडउर	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
2--महेन्द्र	वर्ष 1987-88 से पूर्व विद्युतीकृत (कुछ अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु चयन किया गया)। 36 पोल खड़े किये गये।
3--मुसरदेवा	वर्ष 1987-88 से पूर्व विद्युतीकृत (कुछ अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु चयन किया गया)। 12 पोल खड़े किये गये।
4--गौड़ी	वर्ष 1987-88 से पूर्व विद्युतीकृत। (कुछ अवशेषों कार्यों को पूर्ण करने हेतु चयन किया गया)।
5--बदौली-अंदाई	15-3-89 को विद्युतीकृत। 18 पोल खड़े किये गये।

विकास खण्ड मुहम्मदाबाद

1987-88

1--चक फरीद	.. ..	31-3-88 को विद्युतीकृत। 28 पोल खड़े किये गये।
2--राजापुर	.. ..	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
3--माधोपुर	.. ..	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
4--तिवारीपुर	.. ..	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 17 पोल खड़े किये जा चुके हैं।

1988-89

1--मुर्कीखुर्द	.. ..	31-3-89 को विद्युतीकृत। 10 पोल खड़े किये गये।
2--मुर्कीबुजुर्ग	.. ..	31-3-89 को विद्युतीकृत। 7 पोल खड़े किये गये।
3--केशवपुर	.. ..	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
4--फखराबाद	.. ..	कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 8 पोल खड़ किये जा चुके हैं।
5--सिलाइच	.. ..	वर्ष 1987-88 से पूर्व विद्युतीकृत। (कुछ अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु चयन किया गया। 16 पोल खड़े किये गये।

उपरोक्त ग्रामों में जिन ग्रामों का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे मार्च 1990 तक पूर्ण किये जाने की आशा है जो संसाधनों व सामग्री की उपलब्धता पर नि र्भर करेगा।

सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण संकर्मों, निकासी नालों पर व्यय किये गये धन का विवरण

99-श्री जयदीप सिंह बरार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम योजना काल से अब तक प्रत्येक योजना काल में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण संकर्मों अर्थात सुरक्षा बंधों तटबन्धों, निकासी नालों पर कितना-कितना धन सिंचाई विभाग द्वारा व्यय किया गया है। इन मदों पर पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

प्रथम योजना काल से माह जून, 1989 तक तटबन्धों एवं जलोत्सारण ड्रेनों पर

विभाग द्वारा किये गये व्यय का योजनावार विवरण निम्नवत है :—

(व्यय लाख रुपये में)

क्रम-संख्या	पंचवर्षीय योजना	तटबंध (सुरक्षा) बंध	जलोत्सारण नाले (निकासी नाले)
1	प्रथम	104.90	6.30
2	द्वितीय ..	236.00	59.60
3	तृतीय	189.00	143.10
	वर्ष 1966-67	10.10	17.00
	वर्ष 1967-68	34.70	10.00
	वर्ष 1968-69	43.00	8.60
4	चतुर्थ	566.30	241.40
5	पंचम	1401.70	457.90
	वर्ष 1978-80	1504.61	1123.72
6	षष्टम्	3616.42	1246.43
7	सप्तम	4865.39	629.93
	(जून 1989 तक)		
	योग ..	12572.12	3943.98

उपरोक्त मदों पर पिछले तीन वर्षों का व्यय विवरण निम्नवत् है :—

(व्यय लाख रु0 में)

क्रम-संख्या	वर्ष	तटबंध (सुरक्षा बंध)	जलोत्सारण नाले (निकासी नाले)
1	1987-88	1336.00	233.00
2	1988-89	1026.15	115.54
3	1989-90	111.52	13.35
	(जून तक 1989)		
	योग ..	2473.67	361.89

100—श्री जयदीप सिंह बरार—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत उत्पादन गृहों एवं विद्युत पारेषण लाइनों को बंधक रखा जाना

101—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् के कौन-कौन से विद्युत गृह तथा ट्रांसमिशन लाइनें कर्जा लेने हेतु बंधक रखे गये हैं ? परिषद् की कुल सम्पत्ति का कितना प्रतिशत बंधक है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहों एवं विद्युत पारेषण लाइनों को बंधक रखा गया है । वर्ष 1988-89 के अन्त तक बंधक रखे गये विद्युत गृहों एवं पारेषण लाइनों का विवरण संलग्न है ।

दिनांक 31-3-1988 तक बंधक रखी गयी सम्पत्ति का कुल मूल्य 797.37 करोड़ रुपये था जो कि उसी तिथि को परिषद् की कुल कार्यशील सम्पत्ति (3595.83 करोड़ रुपये) का 22.2 प्रतिशत है । वर्ष 1988-89 में 154.52 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को बंधक रखा गया । जीवन बीमा निगम से जो ऋण प्राप्त होता है उसकी 2 गुनी धनराशि के हासिल मूल्य की सम्पत्ति बंधक रखने का प्राविधान है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 150 पर)

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की 5 मेगावाट क्षमता से अधिक माताटीला बांध तथा रामगंगा बांध की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कार्यरत होना

102–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित राज्य सरकार के स्वामित्व की कौन-कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें 5 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं पर निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था तथा कब पूरा हुआ था, प्रत्येक परियोजना में सिंचाई का अंश तथा विद्युत उत्पादन का अंश कुल पूंजी निवेश का कितना-कितना प्रतिशत था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की निम्न दो बहुउद्देशीय परियोजनायें जिनकी क्षमता 5 मेगावाट से अधिक है, कार्यरत हैं ।

1–माताटीला बांध––30 मेगावाट

2–रामगंगा बांध––198 मेगावाट

माताटीला बांध परियोजना के निर्माण कार्य वर्ष 1951-52 में प्रारम्भ हुआ और वर्ष 1965-66 में पूरा हुआ । रामगंगा बांध परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में प्रारम्भ हुआ और वर्ष 1978-79 में पूर्ण हुआ ।

माताटीला बांध परियोजना में कुल पूंजी निवेश रुपये 826-52 लाख है जिसमें सिंचाई का अंश रुपये 409-98 लाख (4.9 प्रतिशत) एवं विद्युत उत्पादन का अंश रुपये 416.54 लाख है । रामगंगा बांध परियोजना में कुल पूंजी निवेश रुपये 17348.67 लाख में सिंचाई का अंश रुपये 12714.20 लाख (7.4 प्रतिशत) एवं विद्युत उत्पादन का अंश रुपये 4634.47 लाख माना जा रहा है ।

सरयू नहर परियोजना के सरयू नहर खण्ड अष्टम, बहराइच द्वारा मेसर्स इन्दिरा इन्जीनियरिंग वर्क्स और फारुख अली के नाम रुपयों के अनुबन्ध पर माल एवं यांत्रिक कार्य हेतु कार्यादेश एवं उक्त खण्ड को धन का आवंटन

103–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरयू नहर परियोजना के सरयू

नहर खण्ड अष्टम, बहराइच द्वारा मेसर्स इन्दिरा इन्जीनियरिंग वर्क्स और फारुख अली के नाम क्रमश: रु0 60,000 रु0 एवं0 रु0 25000 के अनुबन्ध पर माल एवं यांत्रिक कार्य हेतु कार्यादेश माह मार्च, 88 में किये गये थे? उक्त खण्ड को मार्च, 88 से कितना-कितना धन माहवार आवंटित किया गया ?क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त आवंटन माहवार जारी होने के बावजूद उपरोक्त फर्म्स के बिलों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त बिलों के भुगतान न होने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं और कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मेसर्स इन्दिरा इन्जीनियरिंग वर्क्स के नाम रु0 85,608 एवं मेसर्स फारुख अली एण्ड कम्पनी के नाम रु0 39,649 के अनुबन्ध एवं कार्यादेश किये गये थे । मार्च 1988 से 7/89 तक इस खण्ड को रु0 134,45 लाख सीमा आवंटित की गयी है । मेसर्स इन्दिरा इन्जीनियरिंग वर्क्स बहराइच को रु0 83,618 तथा मेसर्स फारुख अली एण्ड सन्स कम्पनी बहराइच को रु0 33,875 का भुगतान किया जा चुका है । प्रकरण की जांच की जा रही है । जांच के परिणाम प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

ग्रेटर नोएडा की योजना का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

104–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या मुख्य मंत्री जी ग्रेटर नोएडा की योजना का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं । ग्रेटर नोयेडा की स्थापना का प्रश्न अभी प्रारम्भिक स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

देवरिया जनपद में कसया मल्लूडीह ड्रेन पर निर्माणाधीन पुलिया में तकनीकी गड़बड़ी होने का आरोप

105–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में गण्डक नहर खण्ड 10 द्वारा बनाई जा रही कसया मल्लूडीह ड्रेन पर प्रेमवलिया हतवा रोड पर निर्माणाधीन पुलिया में तकनीकी गड़बड़ी तथा खेमों के चुनाई में बालू की मात्रा अधिक होने से खेमे की दीवार गिरने के कारण 14-5-88 को दबकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और तीन गंभीर रूप से घायल हो गये? क्या यह सत्य है कि इस दुर्घटना के बाद भी घटिया किस्म के ईंटों द्वारा सीमेंट में बालू की मात्रा बढ़ाकर चुनाई होती रही है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ? क्या सरकार इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

देवरिया जनपद में गण्डक नहर निर्माण खण्ड-10, गोरखपुर द्वारा बनाई जा रही कसया मल्लूडीह ड्रेन पर प्रेमवलिया हतवा रोड पर निर्माणाधीन पुलिया में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं की गयी है तथा खम्भों की चुनाई में बालू की मात्रा अधिक

नहीं डाली गई है । दिनांक 14-5-88 को कोई खम्भा नहीं गिरा है । उक्त तिथि को मिट्टी गिरने की दुर्घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा दो व्यक्ति घायल हुए । इस दुर्घटना के बाद घटिया किस्म के ईंटों द्वारा सीमेंट में बालू की मात्रा बढ़ाकर कोई चुनाई नहीं कराई गई । प्रश्नगत दुर्घटना के लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है । दुर्घटना की अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच कराई गई, जिसमें कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आबकारी निरीक्षक, महराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

106–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 20-8-1987 और उसके बाद भी कई पत्रों द्वारा आबकारी निरीक्षक महाराजगंज गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आबकारी निरीक्षक महराजगंज गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की आरोपों के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 20-8-87 एवं कुछ अन्य शिकायती पत्रों में उल्लिखित क्षेत्र में गांजा बिक्री का आरोप प्रतिबंधित दिनों में दुकान खुली रहने का आरोप, देशी शराब दुकानों से कम तीव्रता की शराब बेचने के आरोप, प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये ।

इन आरोपों के संबंध में उक्त आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है ।

ड्रेनेज प्रथम खण्ड के वरिष्ठ लिपिक श्री सीता राम वर्मा द्वारा ड्रेनेज-2 खलीलाबाद कालोनी की जमीन पर अवैध कब्जा करके पत्नी के नाम मकान बनवाना

107–श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज प्रथम खण्ड के वरिष्ठ लिपिक श्री सीता राम वर्मा ने ड्रेनेज-2 खलीलाबाद कालोनी की जमीन पर अवैध कब्जा करके अपनी पत्नी के नाम मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करवाकर अवैध कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ड्रेनेज खण्ड-प्रथम बस्ती के वरिष्ठ लिपिक श्री सीताराय वर्मा ने ड्रेनेज खण्ड-2 बस्ती के खलीलाबाद कालोनी के गाटा संख्या–194 में अपनी पत्नी श्रीमती अनारी देवी के नाम मकान बनवाया है ।

उक्त भवन गाटा संख्या-194 जिसका कुल क्षेत्रफल 0,330 एकड़ है, के 0,039

एकड़ भू-भाग में बना है । प्रकरण की जांच करायी गयी जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है:—

श्री सीताराम वर्मा ने गाटा सं0-194 का 0.039 एकड़ भूभाग श्री राम नरेश पुत्र श्री राम चरन ग्राम नेंवरही, जिला बस्ती से अपनी पत्नी श्रीमती अनारी देवी के नाम भूमि क्रय किया, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 26-10-80 में करायी । इस बीच उक्त गाटा सं0 194 का भूमि अध्यापित प्रकरण खलीलाबाद कालोनी के निर्माण हेतु दिनांक 13-3-81 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बस्ती को प्रेषित किया गया । जब तक श्रीमती अनारी देवी ने भूमि का अमलदरामत नहीं कराया था । प्रकरण प्राप्त होने पर विशेष भूमि अध्यपित अधिकारी ने पूरे गाटे की भूमि के अधिग्रहण हेतु सेक्शन 4(1) एवं 6(1) दिनांक 19-1-82 एवं 16-2-84 को क्रमशः जारी कर दिये । श्री सीता राम वर्मा ने क्रय किये गये भूखण्ड का अमलदरामद सेक्शन 4(1) एवं 6(1) के प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 13-10-84 को कराया एवं राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रोकने के बाद भी उस पर निर्माण प्रारम्भ किया दिनांक 6-12-84 को जब विभाग उक्त गाटा संख्या–194 की भूमि का अधिकार प्राप्त करने गया तो भवन का निर्माण हो चुका था ।

श्री वर्मा द्वारा इस प्रकार भवन निर्माण करने के संबंध में राजकीय जिला परामर्शदात्री से राय मांगी गयी है । राय प्राप्त होने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम गढ़ीघाट व ग्राम बाहिनी में सिंचाई सुविधा हेतु लिफ्ट योजना

108–श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम गढ़ी घाट व ग्राम दहिनी में केवल खरीफ की फसलों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु बागै नदी पर छोटी-छोटी नई लिफ्ट योजनाएं लगाने हेतु सर्वे व प्लान तैयार कराया गया है ? क्या बागै नदी का समस्त जल ग्रहण क्षेत्र उ0 प्र0 की सीमा पर स्थित है और सतत जल प्रवाह भी उ0 प्र0 की सीमा के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने हेतु लिफ्ट योजनायें कब तक निर्मित कर दी जायेंगी।

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद के टांडा तहसील में शारदा सहायक नहर से कमनापुर माइनर निकालने में किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा न दिये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

109–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के टांडा तहसील में शारदा सहायक नहर से कमनापुर माइनर निकालने में सभी किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि मुआवजा दिया गया है, तो किन-किन किसानों को ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुआबजा दिये जाने की कार्यवाही विज्ञप्तियों के प्रकाशन के पश्चात ही होती है। विज्ञप्तियों के प्रकाशन की प्रति माह जुलाई 89 के अन्त में प्राप्त हुयी है ।

अभी किसी कृषक को मुआवजा नहीं दिया गया है ।

विद्युत वितरण मण्डल बस्ती में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिया जाना

110—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत मंडल बस्ती में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कब तक कनेक्शन देने का लक्ष्य था और कितने कनेक्शन दिये गये ? कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विद्युत वितरण मण्डल, बस्ती में वर्ष 1988-89 में मार्च 1989 तक कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत बस्ती जनपद में (सिद्धार्थ नगर सम्मिलित करते हुए) 3475 कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत बस्ती विद्युत मण्डल में 650 कनेक्शन दिये जा सके हैं ।

सामग्री के अभाव के कारण कनेक्शन देने की प्रगति कम रही ।

हाथरस ब्रांच नहर में रोस्टर के अनुसार जल उपलब्ध कराया जाना

111—डाक्टर बंगाली सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस ब्रांच नहर में पानी छोड़ने की क्षमता कितने क्यूसेक है और अब कितना क्यूसेक नहर में पानी छोड़ा जाता है? क्या यह सही है कि पानी की कम मात्रा होने से टेल के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

हाथरस ब्रांच के हैड पर परिकल्पित श्राव 840 क्यूसेक है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 700 क्यूसेक की क्षमता है । इस शाख में रबी 1396 फसली (वर्ष 1988-89) में रोस्टर के अनुसार अधिकतम जल 650 क्यूसेक तथा खरीफ 1397 फसली (वर्ष 1989) में अधिकतम 600 क्यूसेक जल शीर्ष पर उपलब्ध कराना था ।

सामान्यत: रोस्टर के अनुसार जल उपलब्ध कराया गया ।

सभी रजवाहे व अल्पिकायें रोस्टर के अनुसार चलाई गई । यह अवश्य है कि कुछ अल्पिकाओं की टेल पर ऊपरी भाग में अनधिकृत कटिंग हो जाने के कारण पानी कम पहुंचा हो या नहीं भी पहुंचा है ।

विभाग द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क करके कटिंग, बन्धों तथा अवैध सींच को रोकने का प्रयास किया गया है ।

बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज में वर्ष 1988-89 में मिट्टी के तेल की आपूर्ति

112—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में विगत दिसम्बर, 88 एवं माह जनवरी व फरवरी, 1989 में मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा आवंटित की गयी थी तथा इस आवंटन के विपरीत कितनी मात्रा की आपूर्ति की गयी ? आपूर्ति कम होने के जिम्मेदार अधिकारियों/कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

बस्ती जनपद की तहसील डुमरियागंज में विगत दिसम्बर, 88 एवं माह जनवरी व फरवरी, 1989 में मिट्टी तेल की आवंटित मात्रा व उसके विरुद्ध तेल कम्पनियों द्वारा थोक विक्रेताओं को की गयी आपूर्ति मात्रा का विवरण निम्नवत् है:—

मात्रा कि0 ली0 में

माह	आवंटन	थोक विक्रेताओं को आपूर्ति मात्रा	थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को की गई आपूर्ति की मात्रा
1	2	3	4
दिसम्बर, 1988 ..	..	365	370	370
जनवरी, 1989 ..	..	372	360	343
फरवरी, 1989 ..	..	367.5	367.5	354.5

माह जनवरी, 1989 में कम्पनी के आयल डिपो से थोक विक्रेताओं को 12 किलोलीटर कम मिट्टी तेल दिया गया । माह जनवरी, फरवरी, 1989 में थोक विक्रेताओं को कम्पनी के आयल डिपो से महीने के अन्तिम दिवसों में आपूर्ति दिये जाने के कारण फुटकर विक्रेताओं को कम तेल मिला है । प्रश्नगत अवधि में तेल न उठाने के फलस्वरूप तीन फुटकर लाइसेंस निरस्त किये गये और दो लाइसेन्सियों की जमानतें जब्त की गयीं ।

गोरखपुर जनपद के बृजमनगंज क्षेत्र के सेमरहनी गांव में कच्ची गूल को पक्की कराने की मांग

113—श्री हर्षवर्धन—

प्रथम सत्र 89 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1979 के दिसम्बर माह में गोरखपुर जनपद के बृजभन गंज क्षेत्र के सेमरहनी गांव में राजकीय नलकूप सं0 पी0 जी0 112 का छिद्रण होने के बाद सिंचाई के लिए बनी कच्ची गूल को कब तक पक्की कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

वर्ष 1979 के दिसम्बर माह में गोरखपुर जनपद के बृजमनगंज क्षेत्र के सेमरहनी गांव में राजकीय नलकूप सं0-पी0 जी0 112 का छिद्रण होने के बाद सिंचाई के लिये बनी कच्ची गूल को पक्की कराने की व्यवस्था वर्तमान नीति के अनुसार नहीं की जानी है ।

सिंचाई दरों हेतु राजकीय नहरों को जल निश्चितता के आधार पर विभिन्न अनुसूची में रखा जाना

114—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नहरों की सिंचाई की दरों हेतु विभिन्न अनुसूचियों में रखने के क्या मानक हैं तथा किसी एक अनुसूची से दूसरी अनुसूची में परिवर्तित करने के लिये क्या-क्या मानक है? क्या किसी नहर को निचली अनुसूची से ऊपर की अनुसूची में करने से पूर्व सम्बन्धित किसानों जो उस नहर के कमाण्ड में है, से कोई आपत्तियां आमंत्रित की जाती है? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सिंचाई की दर हेतु नहरों को जल उपलब्धि की निश्चितता के आधार पर विभिन्न अनुसूची में रखा जाता है ।

किसी नहर प्रणाली की जल उपलब्धता की निश्चितता में परिवर्तन होने पर उसे एक अनुसूची से दूसरी अनुसूची में परिवर्तित किया जाता है ।

निचली अनुसूची से ऊपर की अनुसूची में परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित कृषकों से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की जाती हैं ।

क्योंकि कृषकों को जल उपलब्धि की निश्चितता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है यह ज्ञान विभाग को ही होता है ।

उपरोक्तानुसार ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है ।

जिला बरेली को महलइया तथा कतिपय ग्रामों की भूमि अधिग्रहण किये बिना ही सिंचाई विभाग द्वारा गहलुइया माइनर का निर्माण तथा मुआवजे का भुगतान न किया जाना

115—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील बहेड़ी ग्राम महलइया तथा कतिपय ग्रामों की भूमि अधिग्रहण किये बिना ही वर्ष 1977 के आस पास सिंचाई विभाग ने उक्त भूमि में गहलुइया माइनर का निर्माण कर दिया था ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या—6-1/84-रा-2 दिनांक 19-12-84 में निहित निदेशानुसार उन कृषकों की भूमि की मुआवजा हेतु बाजार भाव से कीमत, सौलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर के साथ वास्तविक कब्जा लेने की तिथि से भुगतान की तिथि तक उसके पैरा 9 व 10 के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो मुआवजा दिया गया है उसका आंकलन कैसे-कैसे किया गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रश्नगत गहलुइया माइनर के निर्माण का कार्य वर्ष 1978-79 में आरम्भ किया गया था जो वर्ष 1984-85 में पूर्ण हुआ । इस माइनर के निर्माण में हेड से 1.6 कि0 मी0 तक जो भूमि ली गयी थी उसके मुआवजे का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बरेली को विभाग द्वारा दिनांक 22-8-83 को कर दिया गया था शेष कि0 मी0 1.6 से कि0 मी0 5.6 तक की भूमि के मुआवजे की धनराशि रू0 4.04 लाख का भुगतान भी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बरेली को उनकी मांग के अनुसार दिनांक 14-9-87 को कर दिया गया ।

मुआवजे का आंकलन तथा वितरण का कार्य विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बरेली द्वारा ही सम्पन्न होना है । इस सम्बन्ध में उनसे जानकारी करने पर उन्होंने यह सूचित किया है कि उक्त ग्रामों में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर धारा 4 (1) के प्रकाशन काल में तथा कथित ग्रामों में चल रहे भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार ही बैनामों के आधार पर किया गया है । इसी निर्धारित मूल्य, प्रतिकर पर अनुग्रह राशि (सोलेशियम) भी दिया गया है । प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर 9 व 10 के अनुसार ही धारा 4 (1) के प्रकाशन की तिथि से कब्जे के दिनांक तक अथवा अभिनिर्णय के दिनांक तक जो भी प्रथम हो 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने की व्यवस्था है तथा उपरोक्तानुसार लिये गये कब्जे की तिथि से प्रतिकर के भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय है । प्रतिकर भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में एक वर्ष के उपरान्त ब्याज की दर 15 प्रतिशत हो जाती है । प्रश्नगत मामले में इसी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गयी है ।

प्रमुख अभियंता/अधिष्ठान ई-4 क अनुभाग/सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में वरिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठता सूची के अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक के पद नाम एवं वेतनमान का लाभ दिया जाना

116–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता/अधिष्ठान ई-4-क अनुभाग/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-10117/ई-4/4 बी-926 सी0/2/खण्ड/लखनऊ दिनांक 24-12-88 द्वारा जारी की गयी वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची के अंतर्गत क्रमांक 3909 से 5158 तक के समस्त कर्मचारियों को दिनांक 1-9-83 से वरिष्ठ लिपिक के पद नाम एवं वेतनमान रुपये 430-685 का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त प्रमुख अभियंता के पत्रांक 10011/ई-4-90 मिस/कि0 ली0/ज्येष्ठता सूची/88 दिनांक 30-12-88 द्वारा जारी की गयी कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 01 से 211 तक/क्रमांक 131, 138, 140, 165, 171, 179, 188 एवं 194 को छोड़कर/203 कनिष्ठ लिपिकों को जिनका वेतनमान रू0 354-550 है का नाम कनिष्ठ लिपिकों की ही ज्येष्ठता सूची में रखते हुए भी इन कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान रू0 430-685 दिनांक 1-9-83 से वरिष्ठ लिपिक के पद नाम एवं वेतनमान का लाभ किस आधार पर दिया जा रहा है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज पम्प हाउस का निर्माण कार्य

117–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर परियोजना अंतर्गत जनपद बस्ती में बन रहे बिथरिया पम्प हाउस का अनुबन्ध कब हुआ था और अनुबन्ध के अनुसार कार्य कब तक पूर्ण हो जाना था ? यदि कार्य पूर्ती की तिथि समाप्त हो गयी तो अभी तक कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार इस कार्य को किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कराये जाने पर विचार करेगी ताकि कार्य जल्द पूरा किया जा सके ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद बस्ती में बिथरिया पम्प हाउस नाम से कोई पम्प हाउस निर्माणाधीन नहीं है । डुमरियागंज पम्प हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है । इस पम्प हाउस के कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक 1-1-83 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 28-2-85 थी ।

कार्य समय से पूर्ण न होने के मुख्य कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा, भूमि प्राप्ति में विलम्ब, अप्रत्याशित कार्य स्थल एवं परिस्थितियों की स्थिति इत्यादि है । ठेकेदार कार्य कर रहा है । अन्य ठेकेदार को कार्य देने से कार्य को इस ठेकेदार की अपेक्षा जल्द पूरा होने की वर्तमान में सम्भावना नहीं है ।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड डुमरियागंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु राशन कार्ड निर्गत किया जाना

118–श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ग्रामीण अंचल में सुचारू रूप से चलाने के लिए राशन कार्ड बनाने के आदेश सरकार द्वारा निर्गत किये गये है ? यदि हां, तो क्या इस क्रम में जनपद बस्ती के विकास खण्ड डुमरियागंज में राशन कार्ड निर्गत किये गये है ? यदि नहीं, तो क्या जिम्मेदार अधि0/कर्मचारी के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगा तथा राशन कार्ड निर्गत कराने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाने के आदेश सरकार द्वारा निर्गत किये गये है । जनपद बस्ती के विकास खण्ड डुमरियागंज के परिवारों को राशन कार्ड निर्गत किये गये है ।

किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फैजाबाद तहसील टांडा के ग्राम मीठेपुर का विद्युतीकरण

119–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील टांडा के ग्राम मीठेपुर (अचलपुर) को विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण न करने का क्या कारण है ? कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । यह ग्राम ब्लाक टाण्डा की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित है ।

यह ग्राम अभी तक जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं है । समिति द्वारा चयन किये जाने के पश्चात् विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।

श्री दलजीत केवट निवासी उसकापुर टाराखुर्द जनपद फैजाबाद की करेन्ट से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को धनराशि स्वीकृति किया जाना

120–श्री अकबर हुसैन बाबर–

ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दलजीत निषाद निवासी ग्राम-उसमापुर टाराखुर्द जनपद फैजाबाद का वर्ष 1988 में रात्रि में ग्राम-सस्पना थाना बेवाना जनपद फैजाबाद में बिजली के गिरे हुए तार से करेन्ट लग जाने के कारण देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो उसकी विधवा या पुत्र को क्षतिपूर्ति की कोई धनराशि स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री दलजीत केवट की मृत्यु वर्ष 1988 में नहीं बल्कि दिनांक 12 जून, 1987 को हुई थी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय ज्ञाप सं0 4487-ई ए/राविप (अशेष-18)/89-13 (29) ए/89, दिनांक 23 सितम्बर, 1989 द्वारा मृतक के आश्रितों को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी गयी है ।

जनपद फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड द्वारा तहसील सदर के ग्राम रामनगर मिथौली के किसानों की भूमि अध्याप्त कर मुआवजा दिया जाना

121–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड द्वारा तहसील सदर के ग्राम रामनगर मिथौली में बंधा बनाने हेतु किसानों की भूमि नं0–461, 459, 456, 470 आदि को अध्याप्ति कर मुआवजा दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त नम्बरान पर बंधा बना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिनके नम्बरान पर बंधा बना है उन्हें भी मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बंटे हुए गलत मुआवजे को किसानों से वापस लेकर मुआवजा पास कराकर किसानों में वितरित करने की कार्यवाही सरकार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

गाटा सं0 459 जो कि संरक्षण में नहीं आता है एवं भूखण्ड सं0 470 ग्राम समाज भूमि है, इसलिए इन नम्बरों को अधिग्रहीत नहीं किया गया है । अतः प्रतिकर भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है । शेष भूमिखण्ड सं0 455, 465 एवं 461 को अधिग्रहीत कर प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है । अध्याप्ति निकाय की सूचना के अनुसार अर्जित भूमि पर बंधा भी बन चुका है । अध्याप्ति निकाय द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावनानुसार प्रतिकर निर्धारित कर, अभिलेखानुसार सही व्यक्तियों को भुगतान किया गया है । अतः वापस कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सरयू नहर परियोजना खण्ड प्रथम मोतीपुर, बहराइच में पेमेंट के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

122–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सरयू नहर परियोजना खण्ड प्रथम मोतीपुर, बहराइच में वर्ष 83-84, 87-88 तक किये गये पेमेन्ट की जानकारी के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2044 सचिव, सिंचाई विभाग को दिनांक 19-11-88 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बरेली के विकास खण्ड बहेड़ी के ग्राम भोजीपुर का विद्युतीकरण

123–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के विकास खण्ड बहेड़ी के ग्राम भोजपुर तथा विकास खण्ड शेरगढ़ के ग्राम हल्दीकला का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण कब-कब किया गया था ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं किया गया परन्तु कागजों में फर्जी रूप से दर्शा दिया गया है ? यदि विद्युतीकरण किया गया है तो उन हरिजन बस्तियों में कौन-कौन रह रहा है ? क्या मंत्री जी इन दोनों ग्रामों की हरिजन बस्तियों का अविलम्ब विद्युतीकरण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विकास खण्ड बहेड़ी के ग्राम भोजीपुरा का विद्युतीकरण जून, 1980 में तथा विकास खण्ड शेरगढ़ के ग्राम हल्दीकला का विद्युतीकरण मार्च, 1984 में हुआ था ।

जी नहीं ।

ग्राम भोजीपुरा की हरिजन बस्ती में खम्भे के निकट सर्वश्री बृजलाल व कल्लू के परिवार हैं । इसके अतिरिक्त वहां श्री प्रभु मिठाई मंगली रहते हैं । ग्राम हल्दी-कला की हरिजन बस्ती में सर्वश्री बाबूलाल, राम भरोसे लाल, सोहन लाल, महेश, मल्लन, सुरेश, अशोक राज, नन्ने तथा मिसरी रहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रोहेलखण्ड कैनाल डिवीजन बरेली में स्थित राजबहा शाही में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण

124–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड कैनाल डिवीजन बरेली में स्थित राजबहा शाही के 1 मील 4 फर्लांग पर स्थित पुलिया कब से टूटी पड़ी है ? उक्त स्थल पर ग्रामीणों को आवागमन में जो रुकावट पड़ी है उसे आज तक दूर करने के लिए विभाग ने कोई अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की ? क्षेत्रीय निवासियों की इस कठिनाई को दूर करने हेतु क्या उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण

निश्चित समय में करा दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पुलिया दो वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हुई थी ।

इस पुलिया पर भारी वाहनों का भी आवागमन रहता है अतः सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी व्यवस्था करना जनहित में उचित नहीं था ।

धन की उपलब्धता के अनुसार पुलियों के पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य लिया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 के सुल्तानपुर ब्रांच के तेलीतारा स्केप पर रंगाई के टेण्डर का प्रकाशन समाचार पत्र में न कराया जाना

125–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खण्ड 36 के सुल्तानपुर ब्रांच के तेलीतारा स्केप पर जो रंगाई का कार्य वर्ष 1987 व 1988 में कराया गया है, का टेण्डर किस पेपर में प्रकाशित हुआ तथा किन-किन ठेकेदारों ने टेण्डर दिया था ? उस पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या कार्य पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

शारदा सहायक खण्ड 36 जौनपुर के अंतर्गत सुल्तानपुर ब्रांच के तेलीतारा स्केप पर रंगाई का जो कार्य वर्ष 1987-88 में कराया गया उसके लिए टेण्डर का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं कराया गया था । नियमानुसार विस्तृत प्रचार के आधार पर टेण्डर प्राप्त किए गये । कार्य हेतु श्री राम लला सिंह, श्री राम आसरे, श्री किशन कुमार, श्री पारस नाथ सिंह व श्री दया शंकर सिंह ठेकेदारों द्वारा टेण्डर दिये गये थे ।। कार्य पर कुल रुपये 55,332.00 व्यय हुआ है तथा कार्य दिनांक 26-6-88 को पूर्ण हो गया है ।

जनपद बस्ती में विभागीय कार्यशाला द्वारा 1986-87 एवं 87-88 में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का विवरण

126–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कोई विभागीय कार्यशाला कार्यरत है ? यदि हां, तो वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में कितनी-कितनी क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर कार्यशाला द्वारा मरम्मत कर काम में आने योग्य बनाये गये ? उन पर क्या लागत आयी ? क्या ठेकेदारों से मरम्मत कराये गये ट्रांसफार्मरों की अपेक्षा कार्यशाला द्वारा मरम्मत किये गये ट्रांसफार्मरों की लागत कम आती है ? यदि नहीं, तो कार्यशालाओं का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इन्हें समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1986-87 एवं 87-88 में कार्यशाला में मरम्मत किए गये ट्रांसफार्मरों का क्षमतावार विवरण निम्नवत है :–

वर्ष	क्षमता (के0 बी0 ए0)							
	15	25	63	100	160	250	300	400
1986–87 . .	5	22	11	3	1	1	--	1
1987–88 . .	1	30	10	3	2	--	1	--

इन ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर प्रति ट्रांसफार्मर व्यय लगभग रु0 300 से 1100 तक आया है । इसका आंकलन कराया जा रहा है । विभागीय कार्यशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

तुरन्त आवश्यकता के छोटे-छोटे मरम्मत के कार्यों के लिए विभागीय कार्यशालाओं का होना अति आवश्यक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिण्डरा के नेवादा विद्युत उपकेन्द्र को चालू करने की मांग

127–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिण्डरा में नेवादा विद्युत उप केन्द्र वर्षों से बनकर तैयार है ? यदि हां, तो उसे अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया है ? उक्त विद्युत उपकेन्द्र को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिण्डरा में 33/11 के0 वी0 नेवादा उपकेन्द्र वर्ष 1987–88 में तैयार किया गया था तथा इसके कुछ अवशेष कार्य वर्ष 1988–89 में भी चलते रहे ।

उप केन्द्र को वर्ष 1988–89 में ऊर्जीकृत कर दिया गया था परन्तु इसमें उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति अब तक आरम्भ नहीं की जा सकी क्योंकि धनाभाव के कारण उप केन्द्र के कर्मचारियों के आवास नहीं बनाये जा सके तथा भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपकेन्द्र का सम्पर्क मार्ग भी नहीं बनाया जा सका ।

उपकेन्द्र से उपभोक्ताओं हेतु विद्युत आपूर्ति अक्टूबर, 1989 तक चालू हो जाने की आशा है ।

खाद्य आयुक्त कार्यालय में द्वितीय श्रेणी के लिपिक का स्थायीकरण

128–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य आयुक्त कार्यालय में दिनांक 28-4-81 तथा दिनांक 29-10-81 को द्वितीय श्रेणी लिपिक के 5 पद स्थायी रूप से स्वीकृत थे ? यदि नहीं, तो क्या खाद्य आयुक्त कार्यालय के प्रोन्नति आदेश दिनांक 22-7-75 के क्रमांक-9 पर उल्लिखित सांख्यकीय सहायक को स्थायीकरण सूची दिनांक 28-4-81 के क्रमांक–16 पर द्वितीय श्रेणी लिपिक पद पर स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

दिनांक 28-4-81 तथा 29-10-81 को खाद्य आयुक्त कार्यालय में द्वितीय क्षेणी लिपिक के 3 पद और सांख्यकीय सहायक के 2 स्थायी पद उपलब्ध थे । यह पद पूर्व में स्थापित प्रान्तीय हाट अधिकारी कार्यालय के पद थे जिन्हें वर्ष 1973 में खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना होने पर संविलीन कर दिया गया ।

आयुक्त कार्यालय के प्रोन्नति आदेश दिनांक 22-7-75 में उल्लिखित कर्मचारी का स्थायीकरण दिनांक 28-4-81 को किया गया किन्तु त्रुटिवश उसके नाम के आगे द्वितीय श्रेणी लिपिक अंकित कर दिया गया । यद्यपि इस कर्मचारी को सेवा संबंधी लाभ सांख्यकीय सहायक के पद का ही दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता मुख्यालय के जांच अनुभाग में फर्जी हस्ताक्षर कराकर कन्वेन्स का भुगतान

129–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-1-88 से दिनांक 20-4-88 के मध्य प्रमुख अभियन्ता मुख्यालय के जांच अनुभाग में कितने कर्मचारियों द्वारा कन्वेन्स चार्ज का भुगतान लिया गया है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अनुभाग के कुछ सहायकों द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर लगाकर भुगतान लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई भवन मुख्यालय से टंकक लिपिक पद हेतु विज्ञापन में प्राप्तांकों की सीमा निर्धारित न करने के सम्बन्ध में

130–श्री राम जनम तथा डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1989 में टंकक लिपिक पद हेतु सिंचाई भवन मुख्यालय से कोई विज्ञापन निकाला गया था और उसमें प्राप्तांकों की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा इसमें उच्च प्राप्तांकों की सीमा निर्धारित कर दी गयी जिससे इस पद हेतु मूल योग्यता (अच्छा टंकण ज्ञान) रखने वाले अधिकांश

अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित कर विज्ञापन के अनुसार परीक्षा कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनवरी 1989 में टंकण लिपिकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सिंचाई भवन मुख्यालय से कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया सिंचाई विभाग उ0 प्र0, लखनऊ के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय/मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं मण्डल कार्यालयों हेतु कनिष्ठ लिपिकों के 30 (तीस) रिक्त पदों को भरने का विज्ञापन माह दिसम्बर, 1987 में निर्गत किया गया था जिसमें यह प्राविधान था कि–आवेदनकर्ताओं की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जायगी । जनवरी, 1989 में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के आधार का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । अभ्यर्थियों का चयन सेवा नियमावली में निर्धारित शैक्षिक योग्यता, खेल कूद में प्रवीणता, सामान्य ज्ञान, टंकण परीक्षा में प्राप्त अंकों व छटनी शुदा कर्मचारियों को उनके अनुभव के अनुसार अतिरिक्त अंकों के आधार पर किया जाता है । केवल टंकण परीक्षा के आधार पर चयन नहीं होता है । तीस रिक्त पदों के लिए 33,139 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये मूल विज्ञापन के प्राविधानों के अनुसार स्क्रीनिंग के उपरांत सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के 1270, पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के 311, अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के 484 अभ्यर्थी बुलाये गये । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग आदि के सभी अभ्यर्थी बुलाये गये थे ।

चयन मूल विज्ञापन माह दिसम्बर, 1987 के प्राविधान के अनुसार ही कराया गया है । अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

131–श्री यदुनाथ सिंह–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सींचपालों को स्थाई व पदोन्नति देने की मांग

132–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने सींचपाल हैं जिनकी पांच वर्ष की सेवा हो चुकी है परन्तु न स्थाई किये गये एवं न पदोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के ग्राम हृदयपट्टी तथा उसकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

133–डाक्टर दिनेश जौहरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-122 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री संदर्भित गांव के त्वरित विकास हेतु अपने स्तर से जिला विद्युत सलाहकार समिति, वाराणसी को विद्युतीकरण कराने हेतु निर्देशित करेंगे ? यदि हां, तो उक्त गांव का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही के प्रश्नगत ग्राम हृदयपट्टी तथा उसकी हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का प्रस्ताव 31 जुलाई, 1989 को जिला विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में किया गया परन्तु समिति द्वारा वर्ष 1989-90 में विद्युतीकरण हेतु उक्त ग्राम का चयन नहीं किया गया । अतः इस वर्ष उक्त ग्राम का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

बाराबंकी जनपद में पम्प कैनाल के कार्य न करने से सिंचाई असुविधा

134–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगें कि बाराबंकी जनपद में स्थित पम्प कैनाल कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसानों को बड़ी कठिनाई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगें कि जनपद में कुल कितनी पम्प नहरें हैं तथा अलग-अलग पम्प नहरों से माह अप्रैल, मई, जून 89 में किन-किन गांवों की कितनी भूमि सींची गई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

जनपद बाराबंकी में कुल 12 पम्प नहरें हैं जिनके द्वारा माह अप्रैल, मई, जून, 89 में संलग्नक में उल्लिखित गांवों तथा उसमें अंकित भूमि की सींच की गई ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 154 पर)

मुख्यालय में तैनात अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा) यूनिट के विरुद्ध नलकूप में करोड़ों रुपये की अनियमितता का मामला

135–श्री अचल सिंह तथा श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुख्यालय में तैनात अधीक्षण अभियन्ता (सज्जा) यूनिट जब 1982 से 1985 तक लखनऊ मध्य क्षेत्र के राजकीय नलकूप का कार्य देख रहे थे तो इनके विरुद्ध नलकूपों के मामले में करोड़ों रुपये की अनियमितता का मामला मुख्यालय के प्रकाश में आया था और तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (श्री बी0 पी0 गोयल) ने जांच में इन्हें दोषी भी पाया था और इनके विरुद्ध कार्यवाही का मामला शासन में भेजा था ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्नगत अवधि में श्री बी0 एस0 राय, अधीक्षण अभियन्ता जो अब सज्जा संगठन से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हैं नलकूप मण्डल लखनऊ में कार्यरत थे और लखनऊ मध्य क्षेत्र के नलकूपों का कार्य देख रहे थे । इस अवधि में इनके विरुद्ध नलकूपों के सामानों की खरीद व टेंडर आदि के मामले में करोड़ों रुपये की अनियमितता का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया और अन्य मामलों में फिर भी इनके विरुद्ध श्री अमलदार नकवी, मा0 विधायक श्री मुख्तार अनीस तथा मा0 विधायक श्री सतीश अजमानी के शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिसमें लगाये गये आरोप जांचोपरान्त प्रमाणित नहीं हुये ।

जी नहीं, उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच का कार्य तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (नलकूप) स्व0 श्री बेणी प्रसाद गोयल द्वारा श्री जिया लाल जैन, मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) को सौंपा गया था और उनकी जांच में श्री राय के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये थे जैसा कि उत्तर के पहले भाग में स्पष्ट

कर दिया गया है । श्री जैन ने अपने पत्रांक-951/नलकूप-मध्य, दिनांक 3-1-87 द्वारा एक आख्या शासन में प्रेषित की थी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा उसे संतोषजनक नहीं पाया गया और उस आख्या पर किसी प्रकार का निर्णय न लेकर प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) को अब यह आदेश दिया गया कि वे इस प्रकरण से संबंधित प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर मुख्य अभियन्ता स्तर के किसी अधिकारी से दुबारा जांच कराकर अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को भेज दें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय विद्युत गृहों निर्माण में प्रति मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता पर खर्च का विवरण

136–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तापीय विद्युत गृह बनाने में प्रति मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता पर क्या खर्च आ रहा है ? क्या ऊर्जा मंत्री ने वर्तमान में निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत अंश की प्रति मेगावाट आने वाले खर्च की कोई जानकारी कराई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

तापीय विद्युत गृहों के निर्माण में प्रति मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता पर व्यय में विभिन्न कारणों से अलग-अलग परियोजनाओं में काफी अन्तर है सामान्तया वर्तमान मूल्यों पर यह लागत लगभग 1.5 करोड़ रु0 से 2.3 करोड़ रु0 तक आ रही है । बहुद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत सेक्टर पर जो परियोजना के कुल व्यय का भाग डाला जाता है, वह मूलत: नियामक आधार पर है । इस आधार पर लखवाड़-व्यासी बहुद्देशीय परियोजना की प्रति मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की अनुमानित लागत लगभग 60 लाख रुपया है ।

प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी केन्द्रीय बुन्देलखण्ड तथा पहाड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगाये गये उद्योगों पर पूंजी का ब्योरा

137–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम जानकारी के आधार पर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी केन्द्रीय बुन्देलखण्ड तथा पहाड़ी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत परिषद् द्वारा ओबरा, पनकी, हरदुआगंज आदि तापीय विद्युत गृहों के निर्माण आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश

138–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् द्वारा संचालित तापीय विद्युत गृह कौन-कौन से हैं ? इनमें प्रत्येक के निर्माण तथा आधुनिकीकरण में कितना-कितना पूंजी निवेश हुआ है तथा वह किस-किस जिले में स्थित है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा संचालित सातवीं योजना अवधि में मुख्य ताप

विद्युत गृहों के निर्माण तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण माह मार्च, 89 तक हुआ पूंजी निवेश एवं जिले का नाम निम्नवत् है :–

क्रम-संख्या	तापीय विद्युत गह का नाम	जनपद जिसमें स्थित हैं	व्यय (करोड़ रु0 में)
	निर्माण	(3/89 के अन्त तक)	
*1– 5*200	मे0 वा0 ओबरा स्टेज 11	.. सोनभद्र	402.90
*2– 2*110	म0 वा0 पनकी विस्तार	.. कानपुर	79.61
*3– 210	मे0वा0 हरदुआगंज स्टेज–5, 6	.. अलीगढ़	120.79
*4– 2*110	मे0 वा0 परीक्षा ..	.. झांसी	199.66
*5– 3*210	मे0 वा0 आनपारा "ए"	.. सोनभद्र	649.10
*6– 4*110	मे0 वा0 टांडा ..	.. फैजाबाद	355.86
*7– 2*500	मे0 वा0 आनपारा "बी"	.. सोनभद्र	126.03
	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण		
1– 1550	मे0 वा0 ओबरा तापीय विद्युत गह	.. सोनभद्र	20.06
2– 284	मे0 वा0 पनकी ..	.. कानपुर	32.95
3– 510	मे0 वा0 हरदुआगंज ..	.. अलीगढ़	34.18

खाद्य आयुक्त कार्यालय में सांख्यकीय सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति का मामला तथा अनियमितता का आरोप

139–डाक्टर बंगाली सिंह–

खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य आयुक्त कार्यालय में दिनांक 6-2-89 को दिनांक 23-2-79 से सांख्यकीय सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारी को संवर्ग परिवर्तित करके सांख्यकीय सहायक संवर्ग से लिपिक संवर्ग के रिक्त वरिष्ठ सहायक पद पर प्रोन्नत किया गया ? यदि हां, तो क्या प्रोन्नति किए जाते समय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11-8-83 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यालय स्टाफ को लिपिक, सांख्यकीय सहायक तथा लेखा संवर्गों में विभक्त कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुक्म सिंह–

खाद्यायुक्त कार्यालय में दिनांक 23-2-79 से सांख्यकीय सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 6-2-89 के आदेश द्वारा की गई है । पदोन्नति किये जाने से संवर्ग का परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों पद लिपिक संवर्ग के ही हैं ।

खाद्यायुक्त कार्यालय की स्थापना से ही लिपिक संवर्ग तथा लेखा संवर्ग अलग-अलग थे । लेखा संवर्ग मुख्य लेखाधिकारी के अधीन है । वित्त विभाग के प्रश्नगत शासनादेश में सांख्यकीय सहायक का संवर्ग विभक्त करने का उल्लेख नहीं है ।

139–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या दिनांक 6-2-89 की वरिष्ठ सहायक पद पर की गयी प्रोन्नति शासनादेश दिनांक 11-8-83 के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश के विपरीत इस अनियमित प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारी को सांख्यकीय सहायक पद पर प्रत्यावर्तित करके लिपिक संवर्ग के अर्ह कर्मचारी को वरिष्ठ सहायक पद पर प्रोन्नति दी जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पदोन्नति नियमानुसार की गई है इसलिए प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड पंचम देवरिया के वर्ष 88-89 में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

141–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर निर्माण खण्ड पंचम-देवरिया से किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1988-89 में कितनी बार हुआ तथा निरस्त हुआ ? उनके स्थान पर स्थानान्तरित किन कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है जबकि पूर्व स्थानान्तरित कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण स्थिति से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

गण्डक नहर निर्माण खण्ड पंचम देवरिया के वर्ष 88-89 में स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापना तथा कार्यभार से मुक्त न किये जाने का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ज आगे पृष्ठ 156 पर)

कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन अल्प आय के लोगों के रु0 7.50 **प्रतिमाह एक बल्ब का कनेक्शन प्रदान किये जाने की सुविधा**

142–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अल्प आय के लोगों को कुटीर ज्योति के अन्तर्गत 6 रुपये प्रति बल्ब प्रति माह कनेक्शन देने की सुविधा 31-3-89 तक प्रदान की गयी थी तथा उसका लक्ष्य के लिए कहा था ? यदि हां, तो वह प्रमाण-पत्र किस विभाग द्वारा जारी किये गये थे ? विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ के अन्तर्गत दिये गये कनेक्शनों का पूर्ण विवरण क्या है? क्या ऊर्जा विभाग ने कनेक्शन देने से पूर्व आय का प्रमाण-पत्र भी प्रार्थीगणों से प्राप्त करने के लिये कहा था ? यदि हां, तो वह प्रमाण-पत्र किस विभाग द्वारा जारी किये गये थे ? यदि ऊर्जा विभाग ने बिना आय के प्रमाण-पत्र के ही कनेक्शन दिये तो उसका क्या कारण था? क्या सरकार इन अनियमितताओं की जांच करायेगी और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । शासन द्वारा अल्प आय के लोगों को कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत रु0 7.50 प्रतिमाह पर एक बल्ब का कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान की गयी थी । वर्ष 1988-89 के लिये प्रदेश में इसका लक्ष्य 1,08,000 कनेक्शनों का रखा गया था ।

उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ मुरादाबाद में 31-3-89 तक 803 कनेक्शन दिये गये ।

जी हां ।

यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित ग्राम प्रधान आदि से प्राप्त किये गये थे ।

यदि कोई अनियमितता का मामला प्रकाश में आयेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

143–श्री धनराज यादव–

[1ले शुक्रवार में अता0प्र0सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद के तहसील तमकुही राज स्थित सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नव निर्मित पुल का शेषकार्य पूर्ण कराने की मांग

144–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि संस्थापक एवं महासचेतक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का देवरिया जनपद के तहसील के तमकुही राज स्थित सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नवनिर्मित पुल के शेष कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण पत्र दिनांक 31-1-89 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या शिकायती बिन्दुओं की जांच कराकर पुल के शेष कार्य को पूर्ण करा लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नवनिर्मित पुल से ग्राम जमुनिया तक कैनाल रोड बनवाने की मांग

145–श्री विष्णुदेव–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि संस्थापक आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 11-2-89 एवं क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 13-2-89 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें देवरिया जनपद के सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर नवनिर्मित पुल से जमुनिया राजबाहा के ग्राम जमुनिया तक 1.5 कि0मी0 के शेष भाग पर भी कैनाल रोड बनवाने की मांग की गई है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नही, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया में सामूहिक कृषि समस्या समाधान हेतु नहर पर पुलिया, छलका व साइफन बनाने की व्यवस्था

146–श्री विष्णुदेव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1982 के तीसरे बुद्धवार के अतारांकित प्रश्न सं0-124

के उत्तर के तारतम्य में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा का पत्र दिनांक 9-2-89 सिंचाई मंत्री जी को प्राप्त हुआ है जिसमें देवरिया जनपद के जमुनिया राजबाहा के टेल ग्राम श्रीपत खण्ड हेतु सम्बन्धित नहर पर तीन मोटा सीमेन्ट पाइप पड़रौना हेड क्वार्टर से जनहित में आवश्यक कार्य हेतु मांग की गई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुलिया निर्माण के अभाव में ग्रामीण आवश्यकता को देखते हुए वांछित मांग की पूर्ति करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी, नहीं ।

नहर में पाइप डालने से नहर के संचालन में असुविधा होगी ।

बलिया जनपद में ताड़ी का ठेका पासी जाति के लोगों को दिया जाना

147–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष बलिया जनपद में पुश्तैनी ताड़ी का पेशा करने वाले पासी जाति के कितने व्यक्तियों को ताड़ी का ठेका दिया गया है तथा कितना ठेका अन्य जाति के व्यक्तियों को दिया गया है? क्या सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है कि ताड़ी का ठेका पुश्तैनी पेशा करने वाले पासी या भर जाति के लोगों को ही दिया जाये?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बलिया जनपद में ताड़ी के ठेके 68 पासी जाति के लोगों को प्रदान किये गये हैं । 36 ठेके अन्य लोगों को प्रदान किये गये हैं, जो पिछड़ी जाति की श्रेणी में आते हैं तथा ताड़ी के तीन ठेके क्षत्रिय जाति के व्यक्तियों को प्रदान किये गये हैं । पासी एवं भर आदि जाति के लोगों को अनुज्ञापन प्रदान करने में वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में नियमावली शासन द्वारा 24-3-86 को प्रख्यापित कर दी गई है ।

जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र बिल्हौर के निवासियों को ईद की चीनी न उपलब्ध कराया जाना

148–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र-बिल्हौर के निवासियों को ईद की चीनी न दिए जाने विषयक श्री मोतीलाल देहलवी भू0पू0 विधायक का शिकायती पत्र दिनांकित 22 मई, 89 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन ने इस पर किन मुद्दों की जांच कब व किससे कराई और जांच में क्या तथ्य पाए गए? इसी संदर्भ में यह भी बतायेंगे कि बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी व मिट्टी के तेल तथा राशन कार्डों पर जनता को वितरित की जाने वाली सम्पूर्ण सामग्रियों के कोटे धारकों व उनके वितरकों के नाम, पते तथा वितरण के स्थान क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

नगरपालिका बिल्हौर में ईद की चीनी के वितरण के सम्बन्ध में परगनाधिकारी बिल्हौर से जांच कराई गई और जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ईद का

त्यौहार मई, 1989 के प्रथम सप्ताह में था तथा दिनांक 1 मई, 1989 को हाट केन्द्र बिल्हौर पर कुल 14 कुन्तल चीनी उपलब्ध थी तथा विशेष प्रयास करने के उपरान्त उक्त हाट केन्द्र के लिए 140 कुन्तल चीनी की, अल्प अवधि में और व्यवस्था हो सकी। इस प्रकार उपलब्धता को देखते हुये ईद के पूर्व बिल्हौर के मुस्लिम कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर मासिक कोटे की चीनी उपलब्ध कराई गयी।

बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी व मिट्टी का तेल तथा राशन कार्डों पर वितरित की जाने वाली अन्य सामग्री के कोटे धारकों व उनके वितरकों के नाम पते तथा वितरण स्थल की सूची संलग्न† है।

जनपद इलाहाबाद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु ग्राम पूरे सूरदास का चयन

149—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के बहादुरपुर ब्लाक में ग्राम पूरे सूरदास में 1977 से विद्युतीकरण हेतु मात्र खम्भे गाड़ कर छोड़ दिये गये हैं? इस सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री जी को दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्र 20-12-1988 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी इन खाली खम्भों पर विद्युत तार लगाने एवं विद्युत आपूर्ति कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1975 में सामान्य कार्य क्रम में उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्रों एवं कनेक्शन लेने के लिये आश्वासन के आधार पर ग्राम पूरे सरदास में खम्भे खड़े कर दिये गये थे परन्तु उनके द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा न करने और अनुबन्ध न करने के कारण तार आदि नहीं खींचा गया। स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब ग्राम पूरे सूरदास का वर्ष 1989—90 में विद्युतीकरण हेतु चयन कर लिया गया है।

150—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री दिनेश मणि त्रिपाठी पुत्र श्री रामदेव मणि त्रिपाठी निवासी धानी बाजार जिला गोरखपुर के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

151—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-2-89 जो कि श्री दिनेश मणि त्रिपाठी पुत्र रामदेव मणि त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट-धानी बाजार, जिला गोरखपुर के भुगतान के सम्बन्ध में है, उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

ठेकेदार द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिये गये थे। जांच की गई। ठेकेदार द्वारा संपादित दो अनुबंध संख्या-67/84-85/ए0इ0-2 व संख्या 159/84-85/ए0इ0-2 का अन्तिम भुगतान दिनांक 4-6-86 को किया जा

†छापा नहीं गया।

चुका है । अनुबन्ध संख्या 104/84-85/ए0ई0-2 एवं संख्या 117/84-85/ए0 ई0-2 के समायोजन बाउचर संख्या 5 व 6 को 9/89 के द्वारा समायोजित किये जाने के बाद क्रमशः माइनस रु0 6867/- एवं रु0 5221/- धनराशि निकलती है । इस प्रकार ठेकेदार से कुल 12,088/- की वसूली की जानी है । कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम अभयपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसुन देव की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक क्षति पूर्ति देने की मांग

152–श्री हरीश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम अभयपुर की मु0 हौंसला विधवा किसुन देव के पति की विद्युत विभाग की लापरवाही से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक क्षति पूर्ति के विषय में अप्रैल तथा मई, 1988 में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला लखीमपुर के पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन दुधवा जंक्शन का विद्युतीकरण

153–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर के पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन दुधवा जंक्शन का विद्युतीकरण करने का आदेश हो गया है? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

दुधवा रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण दिनांक 24-2-89 को कर दिया गया है ।

आई0 आई0 टी0 कानपुर के माध्यम से सहायक अभियंता (यां) के पद पर सिंचाई विभाग द्वारा अनु0 जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति/चयन

154–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में आई0 आई0 टी0 कानपुर के माध्यम से सहायक अभियंता (यां) के पद हेतु एडहाक भर्ती के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लिये गये साक्षात्कार में कुल कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे? इस साक्षात्कार के समय उत्तर प्रदेश नलकूप निगम में भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने अभ्यर्थियों ने प्रथम एवं कितनों ने द्वितीय वरीयता दी थी ? क्या उक्त साक्षात्कार में चयनित जिन अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ उन्हें नलकूप निगम में योगदान देने हेतु पूछा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986 में आई0आई0टी0 कानपुर के माध्यम से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर एडहाक भर्ती के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लिए गए साक्षात्कार में कुल 7 (प्रथम चयन में 3+द्वितीय चयन में 4=7) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे । उसमें अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुआ । प्रथम साक्षात्कार के समय भर्ती हेतु अनुसूचित जाति के कुल 3 अभ्यर्थियों ने प्रथम वरीयता सिंचाई विभाग एवं द्वितीय वरीयता उत्तर प्रदेश नलकूप निगम में भर्ती हेतु दी थी । शेष 4 ने कोई वरीयता नहीं दी थी । उक्त साक्षात्कारों में सम्मिलित अनुसूचित जाति के सभी 7 अभ्यर्थियों को चयनित कर सिंचाई विभाग में ही नियुक्ति-पत्र निर्गत किए गए थे । इस कारण अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नलकूप निगम में योगदान देने हेतु पूछने के लिए शेष ही नहीं बचा । अत: किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी0जी0 मुखर्जी छटनी शुदा कनिष्ठ लिपिक विद्युत परिषद् फैजाबाद का मामला न्यायालय के विचाराधीन

155–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-69 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतलायेगी कि क्या यह सत्य है कि विद्युत परिषद् द्वारा दायर की गयी याचिका नम्बर-584/1985 श्री पी0जी0 मुखर्जी से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-3-88 को निरस्त कर दी गयी है? यदि हां, तो श्री पी0जी0 मुखर्जी के सम्बन्ध में इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-2 लखनऊ के एवार्ड दिनांक 28-9-84 एवं उससे सम्बन्धित पुन: न्यायालय आदेश दिनांक 13-3-87 के निर्देशों का पालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पूर्ण रूपेण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां, याचिका गुणावगुण के आधार पर निरस्त नहीं की गयी थी । उक्त याचिका के निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध परिषद् ने मा0 उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को निर्देशित किया है। इसके निस्तारण के उपरान्त परिषद् द्वारा आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री मुखर्जी ने अपने अवशेषों की संगणना हेतु श्रम न्यायालय लखनऊ में विविध वाद लगाया है जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है ।

इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मनेथू, धरमपुर धुरवा एवं बगई में नलकूपों को विद्युत कनेक्शन न मिलने से किसानों को असुविधा

156–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मनेथू और ग्राम धरमपुर धुरवा एवं ग्राम बगई में राजकीय नलकूपों की बोरिंग 2 वर्ष पूर्व होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन न मिलने से किसानों को अत्यधिक क्षति हो रही है ? उक्त नलकूपों को विद्युत न प्रदान किये जाने का क्या कारण है ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त नलकूपों में शीघ्र विद्युत व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इलाहाबाद जनपद झूंसी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मनेथू राजकीय नलकूप से संबंधित बी0 एल0 फार्म दिनांक 22-6-87 को नलकूप विभाग द्वारा जमा किया गया । उसके उपरान्त वहां ट्रांसफार्मर लगाया गया लेकिन ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पुनः दूसरा ट्रांसफार्मर लगाकर 8-9-1989 को उसका कनेक्शन कर दिया गया ।

ग्राम धरमपुर धुरवा राजकीय नलकूप के डिलीवरी पाइप लाइन का कार्य अभी तक नहीं हुआ है । पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होते ही ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दे दिया जायेगा ।

ग्राम बगई राजकीय नलकूप का बी0 एल0 फार्म जनवरी, 1989 को नलकूप विभाग द्वारा जमा किया गया लेकिन ट्रांस फार्मर न मिलने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका जो अब ट्रांसफार्मर मिलने पर दिनांक 10-9-89 को कर दिया गया है ।

इलाहाबाद जनपद के ग्राम इब्राहिमपुर, नीवीकला तथा पाली करनपुर में विद्युतीकरण

157–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के ब्लाक बहादुरपुर में ग्राम पाली करनपुर तथा इब्राहिमपुर एवं नीवी कला में विद्युतीकरण के कार्य जो गत वर्ष में ही पूर्ण हो जाने चाहिये थे, आज भी अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य अब तक पूर्ण न होने का क्या कारण है? यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं । ग्राम इब्राहिमपुर का विद्युतीकरण मार्च, 1988 में किया जा चुका है । ग्राम नीवीकला का विद्युतीकरण भी अगस्त, 1989 में कर दिया गया है परन्तु कुछ पोल ग्रामवासियों में विवाद के कारण नहीं लगाये जा सके हैं ।

ग्राम पाली करनपुर का विद्युतीकरण प्रस्तावित न होने के कारण नहीं किया गया। प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

कार्यालय मुख्य अभियन्ता जल-विद्युत में राज्य स्तर पर पेंशन एवं अधिष्ठान सम्बन्धी अनुभव को ध्यान में रखते हुये कर्मचारियों का स्थानान्तरण

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य अभियंता जल-विद्युत में कितने कर्मचारी 10 वर्ष से अनवरत रूप से कार्यरत हैं ? क्या शासन के नियमों के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) में कुल 34 कर्मचारी ऐसे हैं जो 10 वर्षों से इसी कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का विभागा-

ध्यक्ष कार्यालय है, जहां पर अराजपत्रित संवर्ग के सभी कर्मचारियों के राज्य स्तर पर पेंशन एवं अधिष्ठान संबंधी सभी मामलों का निस्तारण किया जाता है । कार्य की महत्ता एवं इन कर्मचारियों के कार्य एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित करना कार्य के हित में नहीं है । आवश्यकतानुसार कार्य के हित में इन कर्मचारियों को इसी कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में स्थानान्तरित किया जाता है ।

जनपद वाराणसी में नलकूप निर्माण खण्ड व नलकूप खण्ड द्वितीय विभाग में व लिफ्ट खण्ड प्रथम में कार्यरत मैकेनिक श्रेणी-3 में कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार वेतनमान दिया जाना

160–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0–7041/ए0 एन0/सिंचाई अनुभाग–7, दिनांक 22-1-74 तथा शासनादेश सं0-1067/सि0-8/81, दिनांक 14-4-82 में बेसिक सेवा नियमावली, 1984 के आदेश सं0–5124/84-23 सि0-7-44 (4)/81, दिनांक 21 अगस्त, 1984 प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग उ0 प्र0 के आदेश सं0-10/ई0-5-क/बी-42 मिस दि0 लखनऊ फरवरी, 5, 1984 तथा पत्रांक-1997/ई-5क/7वां 42 मिस/वेतन निर्धारण-लखनऊ, दिनांक 8-1-87 के संदर्भ में वाराणसी जनपद के नलकूप निर्माण खण्ड व नलकूप खण्ड द्वितीय विभाग में व लिफ्ट खण्ड प्रथम में कार्यरत मैकेनिक श्रेणी-3 के कर्मचारियों को दि0 1-7-79 से रु0 330–495 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

शासनादेश के अनुसार यह वेतनमान देय नहीं है ।

जनपद मऊ के अदरानाले के बरसाती पानी के निकास तथा खुदाई हेतु धनराशि की व्यवस्था

161–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अदरानाले की बरसाती पानी के जल निकासी हेतु खुदाई कराने के लिए गत वर्ष कितना धन स्वीकार किया गया था, कितना व्यय किया गया तथा कितनी दूर तक खुदाई कार्य किया गया तथा कितना शेष है? इस पर और कितना धन व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद मऊ के तहसील घोसी में अदरा नाले जिसकी कुल लम्बाई 27.90 कि0मी0 है, के बरसाती पानी के जल निकासी हेतु खुदाई कराने के लिए गत वर्ष 88-89 में रुपये 5.00 लाख आवंटित हुआ था। माह 3/89 तक रु0 6.50 लाख व्यय किया गया तथा 9.50 कि0मी0 की लम्बाई में खुदाई कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

2.50 कि0 मी0 की लम्बाई में आंशिक रूप से खुदाई का कार्य कराया गया है । बकाया 15.90 कि0 मी0 कार्य कराना शेष है ।

योजना की अनुमानित लागत 48.76 लाख रु0 है जिसके विरुद्ध 6.50 लाख रु0 का कार्य हो चुका है । शेष कार्य को कराने के लिए लगभग रु0 42.0 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड चितौरा के खलीलपुर के नम्बरी मौजे में विद्युतीकरण की मांग

162–श्री मंयकर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड चितौरा के अन्तर्गत ग्राम खलीलपुर के नम्बरी मौजा में विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो स्वीकृत विद्युतीकरण की लम्बाई क्या थी तथा क्या स्वीकृत स्थान खलीलपुर नम्बरी मौजा में स्वीकृत लम्बाई पर विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वीकृत विद्युतीकरण लम्बाई को पक्के मार्ग के किनारे स्थित बेरिया मौजे में ही घुमा कर पूरा कर लिये जाने से खलीलपुर के नम्बरी मौजा के कृषक सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या स्वीकृत योजनानुसार खलीलपुर के नम्बरी मौजा के कृषकों को विद्युत उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । जनपद बहराइच के विकास खण्ड चितौरा के अन्तर्गत ग्राम खलीलपुर के नम्बरी मौजे में विद्युतीकरण वर्ष 1985-86 में स्वीकृत हुआ था ।

स्वीकृत विद्युतीकरण में 1.62 कि0 मी0 एच0 टी0 लाइन तथा 1.08 कि0 मी0 एल0 टी0 लाइन प्रस्तावित थी ।

जी नहीं । मौजा खलीलपुर के एक भाग बेरिया का विद्युतीकरण 15-1-86 को वहां के ब्लाक प्रमुख की संस्तुति के अनुसार किया गया क्योंकि बेरिया में आबादी अधिक है तथा ग्राम के अधिकांश हरिजन वहीं निवास करते हैं । विकास की दृष्टि से भी यह स्थान प्रगतिशील है ।

जी नहीं । विद्युतीकरण के पूर्व नम्बरी मौजे खलीलपुर के किसी कृषक ने कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था । आवेदन पत्र देने पर इन कृषकों को अब भी नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खलीलपुर के कृषकों से वांछित मात्रा में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ के आधार पर उन्हें विद्युत उपलब्ध करायी जा सकती है । अभी तक किसी कृषक से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

बलिया जनपद के दोहरीघाट सहायक नहर पर ओवरब्रिज और कोइली मोहान ताल के पानी के निकास की व्यवस्था

163–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के दोहरी घाट सहायक नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज और कोइली मोहान ताल के पानी के निकास के लिए पानी लिफ्ट संयंत्र लगाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

दोहरीघाट सहायक परियोजना नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना

प्रस्तावित है । कोईली मोहान ताल के पानी के निकासी के लिए लिफ्ट संयंत्र लगाने का कार्य भी प्रगति पर है । पंपिंग कार्य भी दि0 18-8-89 से प्रारम्भ कर दिया गया है।'

जनपद बाराबंकी में शासन द्वारा खण्डीय कार्यालय खोले जाने की स्वीकृत

164–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाराबंकी में नलकूप के चार उपखण्ड विद्यमान हैं तथा शासन द्वारा एक खण्डीय कार्यालय की स्वीकृति है ? यदि हां, तो खण्डीय कार्यालय अब तक क्यों नहीं खोला गया ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा यह खण्डीय कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं जनपद बाराबंकी में नलकूप के केवल तीन उपखण्ड हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहाती क्षेत्रों में विकास खण्डवार कृषि कार्यों के लिए जनपदों में डीजल की सुविधा

165–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहाती क्षेत्रों में विकास खण्डवार कृषि कार्य के लिए डीजल उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । कृषि कार्यों के लिये कृषकों को डीजल सुलभ कराने के लिये जनपदों में तेल कम्पनियों के डीजल रिटेल आउटलेट (डीजल पम्प) स्थापित हैं, जहां से किसी भी विकास खण्ड के कृषक डीजल प्राप्त कर सकते हैं । इसके साथ ही तेल कम्पनियों के रेगु-लर डीजल रिटेल आउटलेट के पांच किलोमीटर के चतुर्दिक परिधि के बाहर जिला-धिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार फुटकर डीजल विक्रेताओं (रिटेल डीजल डीलर्स) की नियुक्तियां भी की गयी हैं ।

चन्द्र प्रभा प्रखण्ड वाराणसी के अधिशासी अभियंता तथा सहायक अभियंताओं पर लगाये गये आरोप

166–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री व सिंचाई सचिव, उ0 प्र0 शासन को विधायक सर्वश्री राम करन पटेल, श्री भगवती प्रसाद चौधरी, श्री यदुनाथ सिंह श्री खरगत राम द्वारा चन्द्र प्रभा प्रखण्ड वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र 19-6-87 को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र में क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? क्या उन आरोपों की तकनीकी जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने की मांग की गयी थी? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे और उसमें कौन कौन दोषी पाये गये तथा शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद में दस्तकार के परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से राहत दिलाने हेतु उ0 प्र0 राज्य ब्रासवेयर निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया जाना

167–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में पीतल व चांदी के बर्तन दस्तकार परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से राहत दिलाने हेतु उद्योग निदेशालय ने कोई विकासशील योजना लागू की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मुरादाबाद में अलौह धातु आधारित उद्योग में लगे हुए दस्तकारों के हितार्थ उ0 प्र0 राज्य ब्रासवेयर निगम कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिनमें कच्चामाल वितरण, विपणन समर्थन, पीतल बस्ती एवं मेटल हैण्डीक्राफ्ट सर्विस सेन्टर की विकासशील योजनायें विशेषरूप से उल्लेखनीय है । इन कर्यक्रमों का उद्देश्य दस्तकारों का आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से उनको राहत दिलाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के भदोही क्षेत्र में कालीन बुनकरों के आर्थिक उत्थान हेतु सेटलाईट ग्रोथ सेन्टर्स की स्थापना

168–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोई जनपद वाराणसी में कालीन की बुनाई में कार्यरत परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से राहत दिलाने हेतु कोई विकासशील योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । भदोही क्षेत्र में कालीन उद्योग के विकास के उद्देश्य से स्थापित भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के सृजन/विस्तार के साथ ही साथ कालीन बुनकरों के हितार्थ सेटलाईट ग्रोथ सेन्टर्स की स्थापना का कार्य हस्तगत किया गया है जिसके अन्तर्गत बुनकर बहुल ग्रामों में विभिन्न सुविधाओं सहित आवासयुक्त कार्यशालाएं उपलब्ध कराने का प्राविधान रक्खा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में जूता व चप्पल उद्योग में कार्यरत परिवारों को विपणन समर्थन योजना द्वारा आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से राहत

169–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जूता व चप्पलें उद्योग में कार्यरत परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु एवं बिचौलियों से राहत दिलाने हेतु, उद्योग निदेशालय में कोई विकासशील योजना स्वीकृत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

चर्म पादुका उद्योग में कार्यरत परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं बिचौलियों से उन्हें राहत दिलाने हेतु संचालित विकासात्मक योजनाओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय है:–

(1) सामान्य ऋण योजना :–

इसके अन्तर्गत कारीगरों को उनकी योजना के अनुसार बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

(2) अल्प संख्यक मार्जिनमनी ऋण योजना :–

इस योजना में अल्प संख्यक वर्ग के कारीगरों को जो अपना निजी उद्योग लगाना चाहते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु अपेक्षित मार्जिनमनी की व्यवस्था में रियायती शर्तों पर सहायता दी जाती है ।

(3) विपणन समर्थन योजना :–

इसके अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम द्वारा जूता, चप्पल उद्योग में लगे छोटे-छोटे कारीगरों द्वारा उत्पादित माल उन्हें उचित मूल्य देकर विक्रय कक्षों एवं आपूर्ति आदेशों के माध्यम से बेचा जाता है । इस योजना का मूल उद्देश्य छोटी पूंजी के दस्तकारों को लाभान्वित करते हुए बिचौलियों से उन्हें यथा संभव अधिकाधिक राहत दिलाना है ।

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के चर्म शिल्पियों को चर्म निगम द्वारा रु0 10,000 तक के पादुका निर्माण संबंधी संयंत्र किराया क्रय पद्धति पर तथा 10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ में ताला उद्योग के विकास तथा उसमें कार्यरत दस्तकारों के उत्थान के लिए ताला नगरी की स्थापना

170–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में ताला उद्योग में कार्यरत परिवारों को बिचौलियों से राहत दिलाने हेतु उद्योग निदेशालय ने कोई विकासशील योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अलीगढ़ के ताला उद्योग के विकास तथा उसमें कार्यरत दस्तकारों के उत्थान के उद्देश्य से अलीगढ़ में (ताला नगरी) की स्थापना की योजना बनाई गयी है जिसमें कारीगरों के लिए विभिन्न सुविधाओं का प्राविधान रक्खा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियंत्रक बांट एवं माप कानपुर द्वारा श्री ओम प्रकाश अनु0 जाति को नियुक्ति कनिष्ठ लेखा लिपिक से प्रयोगशाला परिचर के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाना

171–श्री मित्र सेन–

क्या खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रक बांट तथा माप उत्तर प्रदेश लखनऊ ने श्री ओम प्रकाश अनुसूचित जाति तत्कालीन प्रयोगशाला परिचर की नियुक्ति अपने आदेश संख्या 366/नि0 वा0 म0/कार्मिक-1 (56)/81 दिनांक

7-2-81 के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर की थी ? क्या यह सच है कि सहायक नियंत्रक बांट तथा माप कानपुर ने उन्हें जुलाई, 1981 को पुनः प्रत्यावर्तित कर दिया ? यदि हां, तो उन्हें प्रत्यावर्तित किये जाने के क्या कारण थे ? क्या मंत्री जी इस मामलों की जांच कराकर उक्त कर्मचारी को पुनः उसी तिथि से कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत नियुक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति के एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया जिसकी जांच करने पर श्री ओम प्रकाश को कनिष्ठ पाया गया। फलस्वरूप उन्हें प्रयोगशाला परिचर के मूल पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था । कालान्तर में ज्येष्ठता क्रम में आने पर श्री ओम प्रकाश को नियमित रूप से कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया था और वे आज भी कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत है ।

पूर्व तिथि से नियुक्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । अपनी ज्येष्ठता क्रम में पात्र होने पर श्री ओम प्रकाश की नियुक्ति कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर की जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

172–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर में गिरती कानून व्यवस्था तथा हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27 सितम्बर, 1989 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। इसमें पहली सूचना श्री यदुनाथ सिंह की है, दूसरी सूचना श्री राम जन्म सिंह की, तीसरी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, चौथी सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी की, पांचवीं सूचना श्री चन्द्रसेन की, छठी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की और सातवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे की । यह सब सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायें।

सदन की सहमति से सातों सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं, जो इस प्रकार हैं–

श्री यदुनाथ सिंह–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बद से बदतर हो गयी है। उदाहरण के लिए मिर्जापुर शहर में दिन-दहाड़े मालवीय हत्याकाण्ड, चुनार थाना के अन्तर्गत मैंडिया घाट पर डा0 शिव बालक सिंह की हत्या, थाना अहिरौरा के अन्तर्गत ठवही के ग्राम प्रधान श्री श्याम नारायण सिंह की हत्या, जमालपुर थाना में ग्राम ककरही में दो हरिजनों की हत्या उसी जमालपुर थाना में लोहवा निवासी स्व0 श्री रामवृक्ष सिंह की हत्या से जनता में रोष व्याप्त है । पुलिस पर से विश्वास खत्म हो चुका है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अंत: शासन से अपेक्षा है कि मिर्जापुर जिला प्रशासन को चुस्त करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनावें। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों को कुछ सीमा तक जैसे खड़ंजा लगाने के लिए पंचायती कानून में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए धन का सही उपयोग हो सके।]

आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के ग्राम अभयपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामजन्म सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में विकास खण्ड जखनियां में बेसू नदी पर जाही कुड़िला घाट पर जखनिया झुटना राचुर मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण कराने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह पुल अति आवश्यक है इसके दोनों ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं इस पुल के न होने के कारण यह पूरा क्षेत्र जनपद गाजीपुर एवं अपने विकास खण्ड, रेलवे स्टेशन एवं ब्लाक मुख्यालय जखनिया मुख्यालय से सम्पर्क नहीं कर पाता है। यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए इस पूरे क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। कई हजार जनता धरना एवं प्रदर्शन भी कर चुकी है।

अत: आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त नदी पर उपरोक्त घाट एवं मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्के पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र करायें, जिससे उस क्षेत्र के किसान व्यापारी एवं अन्य जनता को सुविधा मिल सके।]

जनपद लखनऊ की सदर बाजार के मोहल्ला हाता रामदास बगिया में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[मान्यवर, सदर बाजार लखनऊ मोहल्ला-हाता रामदास बगिया में गम्भीर पेयजल संकट है। मोहल्ले में 100 से अधिक परिवार रहते हैं परन्तु पेयजल आपूर्ति हेतु कोई शासकीय व्यवस्था नहीं है। कन्टोनमेन्ट बोर्ड ने वाटरवर्क्स से पाइप लाइन बिछाकर जला पूर्ति का प्रस्ताव 12 अक्तूबर, 1986 को पारित किया परन्तु अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मोहल्ले में अधिकांश भू0 पू0 सैनिक तथा हरिजन निवास करते हैं। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जलस्तर इतना नीचा है कि घरों के भीतर लगाये गये हैण्ड पम्प सफल नहीं है। शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित समस्या की ओर अनेक बार आकृष्ट किए जाने पर भी पेयजल व्यवस्था न होने से भीषण जन असन्तोष है।

मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त मोहल्ले में तत्काल पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पाइप लाइन बिछा कर परिवारों में कनेक्शन दिए जाए तथा सार्वजनिक इस्तेमाल हेतु आवश्यक मात्रा में स्टैण्ड पोस्ट लगाये जायें।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में पेयजल संकट तथा हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है। सिकन्दराराऊ विकास खण्ड में एटा जनपद की सीमा पर स्थित ग्राम नौरवा, ईशापुर बरगवां, भिसी मिर्जापुर, कथौरा, पिपलगवां, विरावर, अमसौली तथा कालीनदी की तलहटी में स्थित ग्राम पंचायत, छोकरा, डेउसरी, खिजरपुर, नौजरपुर, वाजीदपुर, सुजावलपुर, जीजरागोकुलपुर, लिहाअलमपुर, बढ़ान, हंडिया, में भूगर्भ जलस्तर पर बहुत नीचे गहराई पर होने के कारण सभी कूयें व साधारण हैण्डपम्प कार्य नहीं कर रहे हैं। दूरस्थ स्थानों पर स्थित राजकीय नलकूपों से पानी लाकर जनता को पीना पड़ रहा है अतः उक्त सभी ग्रामों तथा उनके इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प पर्याप्त संख्या में अविलम्ब लगाये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही शीघ्र किये जाने की मांग करता हूं।]

गाजीपुर जिलान्तर्गत विकास खण्ड बाराचवर में 33 केवी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रसेन–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर में 33 केवी0 के उपकेन्द्र का निर्माण लगभग 9 वर्षों से हो रहा है, अभी तक इस उप केन्द्र का निर्माण पूरा नहीं हुआ और न इससे क्षेत्र के कृषकों एवं उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। संबंधित अधीक्षण, अधिशासी अभियन्ताओं से बात करने पर कहते हैं कि उप केन्द्र से शीघ्र से शीघ्र चालू किया जायेगा। इस उप केन्द्र के निर्माण में अभियंताओं ने अधिक अनियमितता की है ये अभियन्ता यह भी कहते हैं कि इस उप केन्द्र से संबंधित आवश्यक सामग्री ऊपर से ही नहीं मिल पा रही है इस क्षेत्र के किसानों एवं उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति 15 से 20 कि0 मी0 लम्बी लाइन से की जाती है। इस पूरे क्षेत्र में कृषकों एवं उपभोक्ताओं में घोर असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है कई हजार कृषकों एवं उपभोक्ताओं ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया है। इस उप केन्द्र के चालू न होने की जांच भी उच्चस्तरीय स्तर से कराकर दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ की जाय।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त उप-केन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक विद्युत एवं अन्य सामग्री आपूर्ति कराकर शीघ्र से शीघ्र चालू कराने का निर्देश देने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।]

जनपद ललितपुर की तहसील महरौनी में बने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[मान्यवर, जनपद ललितपुर में महरौनी तहसील मुख्यालय पर उच्चीकृत प्रा0 स्वा0

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केन्द्र भवन को बने लगभग 2 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। सभी सुविधाओं से यह भवन पूर्ण है सिर्फ उद्घाटन हेतु पड़ा है। हजारों मरीज इस सुविधा के अभाव में तहसील केन्द्र पर आकर दम तोड़ रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता के फलस्वरूप इससे जनता में भारी क्षोभ व्याप्त है चिकित्सा सुविधा हेतु यहां की जनता को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ सागर और 36 कि0 मी0 ललितपुर मुख्यालय जाना पड़ता है। हजारों रुपया का अतिरिक्त व्यय मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि इस उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र को तुरन्त सुविधाओं युक्त नवीन भवन में प्रारम्भ कराकर मरीजों का स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जावे।]

जनपद बस्ती में परियोजनाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण के पश्चात् चार्ज न देने तथा घोटाला करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे–

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

परियोजना अधिकारी का पद खत्म होकर उप निदेशक (कृषि) का पद बस्ती में सृजित हुआ। परन्तु वर्तमान परियोजना अधिकारी कृषि ने शासन के आदेशों के बावजूद भी चार्ज किसी अधिकारी को नहीं दिया। दुकानदारों से भारी रकम लेकर खाद के लाइसेन्सों का नवीनीकरण किया है। विगत 6 सितम्बर को 16 जिलों में टी0 एन0 बी0 के अन्तर्गत शासनादेश जारी हुआ कि परियोजनाधिकारी (कृषि) उप निदेशक कृषि प्रसार का कार्य देखेंगे तथा धन आहरण का चार्ज वरिष्ठतम अपर कृषि अधिकारी को स्थानान्तरित कर दें परन्तु शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया। बहुत से नमूने 87-88, 88-89 में प्रयोगशाला में भेजा गया था जिसमें 25 सैम्पुल अमान्यस्तर का रेजेण्ट प्राप्त हुआ परन्तु 6-6 हजार रुपये लेकर वर्तमान उप कृषि निदेशक श्री यादव द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई जबकि 88-89 में प्लास्टिक की बोरियां स्टाक में होने के बावजूद भी लाखों रुपये के कपड़े की थैली बनवाई गई और पल्लेदारी दी गई।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उप कृषि निदेशक को निलम्बित कर पूरे प्रकरण की जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही की जाय जिससे जनता में फैले असन्तोष एवं सरकारी धन का दुरुपयोग न हो सके।]

श्री राम गोविन्द चौधरी सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव को उठाने का प्रयास

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

(व्यवधान)

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं और जो कुछ आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी खड़े हुए हैं, वह कुछ बोल नहीं रहे हैं और आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी, आप मेरे प्रस्ताव पर चर्चा कराइये।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती और जो आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

तिवारी जी इतनी देर से खड़े हुए हैं, वह बोल नहीं रहे हैं, अध्यक्ष जी, आप देखिये क्या बात है?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम केवल दलाली में लोगों के नाम जानना चाहते हैं, आपको इसमें चर्चा कराने में क्या हर्ज है?

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है, आप अपने स्थान पर बैठें, कुछ नहीं लिखा जायगा।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इनके प्रस्ताव में कोई खास बात नहीं है। केवल यह कह रहे हैं कि यह सरकार संस्तुति करे कि बोफोर्स में दलाली करने वाले लोगों के नाम बता दिये जायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इजाजत ही नहीं दे रहा हूं, आप लोग बैठें। नियमों को निलम्बित करके कोई काम नहीं होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने जो 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है, इस प्रश्न पर सभी विधान सभाओं में प्रस्ताव पेश हुआ है, और अध्यक्षों ने इस पर अपनी अनुमति देकर चर्चा करायी है। इस हिन्दुस्तान में देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर, दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों थल सेना अध्यक्ष और महालेखाकार ने अपनी रिपोर्टों से साबित कर दिया है कि उन्होंने दलाली लिया है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जब आप व्यवस्था दे चुके हैं, तो आप इस पर चर्चा क्यों करा रहे हैं? इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

राम गोविन्द जी, हर्षवर्धन जी, आप लोग कृपा करके बैठें, नहीं तो मुझे मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपको इस पर चर्चा करानी पड़ेगी, यह हिन्दुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

(इस बीच श्री हर्षवर्धन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी आदि कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापीतत्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने अध्यक्ष जी से कहा भी था कि नियम–311 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित करते हुए पहले आप हमारे प्रस्ताव को सुन लें। . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी पहले ही उसे अस्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए अब इसे पेश करने की मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी एक निर्णय ले चुके हैं तो फिर इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े रहने पर व्यवधान)

***श्री राम आसरे वर्मा–**

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी नियम–311 के तहत एक प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। उस पर पीठ से क्या निर्णय दिया गया, वह सुनाई भी नहीं दिया और न ही प्रस्ताव। उसके बाद सदन एकदम उठ गया। उसके बाद हम फिर 2.00 बजे मिल रहे हैं कोई माननीय सदस्य प्रस्ताव रखता है तो उस पर आप सुन लें, सुनने के बाद ही उस पर पीठ से निर्णय दिया जाना चाहिए। अभी प्रस्ताव सदन में आया ही नहीं या सुनाई नहीं दिया तो उस पर माननीय अध्यक्ष जी सदन को स्थगित करके चले जायं, इसका कोई औचित्य तो है नहीं। प्रस्ताव को पहले सुन लें, उसके बाद आप उसे स्वीकार करें या न करें यह तो पीठ का अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई भी प्रस्ताव पीठ की आज्ञा से रखा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव रखने से पहले ही उसे अस्वीकार कर दिया तो अब इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री राम आसरे वर्मा आदि के खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, पहले मुझे आप सुन लें। उसके बाद आप श्री तिवारी जी को सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री चौधरी जी कृपा करके आप बैठ जायं। 311 के अन्तर्गत तो आपका प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है, अब उसे सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपको पहले मुझे सुनना होगा। जब तक आप मुझे सुनेंगे नहीं तब तक मैं खड़ा रहूंगा।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हर्षवर्धन आदि के खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, श्री तिवारी जी ने कोई व्यवस्था का प्रश्न तो अभी रखा नहीं है। उनका तो आज मौन व्रत है, इसलिए आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले वह मौन व्रत तो तोड़ें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

एक मिनट हमारी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस पर अध्यक्ष जी अपना निर्णय दे चुके हैं उसको नहीं सुनूंगा।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, सदन मात्र 4 दिन के लिए चल रहा है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर जो समस्यायें हैं उन पर गम्भीरता से चर्चा हो जाय। जब इस पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी विराजमान थे तब ऐसी कोई बात नहीं थी जो सदन को डेढ़ घण्टे के लिए स्थगित करके चले गये। चौधरी जी कोई बात कहना चाहते हैं तो आपको कैसे मालूम है कि वह उसी विषय पर कह रहे हैं। माननीय चौधरी जी कहना चाहते हैं, तिवारी जी कहना चाहते हैं, आप सुन लें। बाद में चाहे स्वीकार करें या अस्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष–

उस विषय पर न कहें तो सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तिवारी जी को अनुमति दे चुका हूं।

(घोर व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

नियम 311 के अंतर्गत जो प्रस्ताव आया है, उस पर मेरा भी हस्ताक्षर था । आपने अपना निर्णय दे दिया कि चूंकि अध्यक्ष जी कह गये हैं, आप नहीं सुनेंगे। मेरा निवेदन है कि रक्षा सौदों के बारे में केवल यह मांग की गयी थी हम लोगों की ओर से कि . . .

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर विरोध व्यक्त करने से घोर व्यवधान के मध्य)

मैं प्रस्ताव को नहीं दोहरा रहा हूं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा नारे लगाये जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा निवेदन है कि केवल दलालों के नाम घोषित करने के लिए यह सदन संस्तुति कर दे। मा0 अध्यक्ष जी अस्वीकार कर चुके हैं, यह स्पष्ट है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी भावना है कि हमारे प्रदेश के भी हजारों नौजवान सेना में काम करते हैं। यहां के लोगों की भी भावनायें हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भावनाओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दें, वह अगर उचित समझें तो पुनर्विचार कर लें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने 20 सितम्बर को ही माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि . . .

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, तिवारी जी कुछ दूसरा मामला उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी को अपनी बात कह लेने दें। फिर आपकी बात सुन लूंगा। आप बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा निरन्तर बोलने के प्रयास किये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप तिवारी जी को बोलने दीजिये, मुझे पता नहीं लग रहा है कि पहले वाली बात पर वे बोलना चाहते हैं या दूसरी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

तिवारी जी, दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि . . . .

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले उनको बोल लेने दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सरकार को निर्देश दें कि. . . .

(श्री शतरुद्र प्रकाश सदन के फ्लोर पर जाकर बोलने लगे)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसीलिए मैं यहां आ गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको समय दे तो रहा हूं पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप कहां मुझे समय दे रहे हैं जबकि मैं बार-बार खड़ा होकर प्रयास कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको सुनूंगा, आप अपने स्थान पर जायें।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप दूसरा विषय क्यों सुन रहे हैं जबकि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप पहले विषय को सुन कर अपना निर्णय दें?

(नेता विरोधी दल के प्रयास से श्री शतरुद्र प्रकाश अपने स्थान पर चले गये।)

(तत्पश्चात् श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राकेशधर त्रिपाठी, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बालेश्वर, श्री शारदानन्द अंचल एक साथ सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा भी नारे लगाये जाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष–

हम सदन को तीन बजे तक के लिए स्थगित करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने 2 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

3 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

[(3.00 बजे पुनः बैठने पर एक साथ कई मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर जोर-जोर से नारे लगाये जाने से सादन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)]

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं एक-एक करके सभी को सुनूंगा। कृपया आप बैठ जायें।

(तत्काल ही सर्वश्री बालेश्वर, श्रीराम गोविन्द चौधरी, अनुग्रह नारायण सिंह, राकेशधर त्रिपाठी, शतरुद्र प्रकाश तथा श्री शारदानन्द अंचल आदि मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर भी आकर नारे लगाने लगे ।)

(इन नारों के जवाब में सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने भी नारे लगाये ।)

(इसी बीच सर्वश्री शारदा नन्द अंचल, श्रीराम गोविन्द चौधरी तथा श्री शतरुद्र प्रकाश आदि मा0 सदस्य अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने लगे । श्री शारदानन्द अंचल कार्यवृत लेखक की मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे जिससे सदन में पुनः घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम सदन की कार्यवाही को 5 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित करते हैं ।

(अत्यधिक व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 3 बजकर 1 मिनट सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी तदोपरान्त 5 बजे अपराह्न श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(व्यवधान)

(5.00 बजे अपराह्न पुनः बैठने पर कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगान लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 1989-90 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बंटवा दी जायें ।

(प्रतियां बांटी गयीं)

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्व-विद्यालय अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा केदार नाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद की वार्षिक रिपोर्ट 1984-85, 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद की वार्षिक रिपोर्ट 1984-85, 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 21 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

‡ छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1586/26-2-88-15 (6)-83 दिनांक 13 मई, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1988 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश महिला संस्था बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 54 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1985-86‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि यू0 पी0 स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1985-86 को कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1984-85 ‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दि यू0 पी0 स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक आर्थिक चिट्ठा वर्ष 1984-85 को कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619–ए की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 29 जुलाई, 1989 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-871/दस-7(16)-84, दिनांक 29 जुलाई, 1989 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वीहीकिल्स (चौबनवां संशोधन) नियमावली, 1989‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 1296 टी/30-4-54 के0 एम0-88, दिनांक 31 मार्च, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वीहीकिल्स (चौबनवां संशोधन) नियमावली, 1989 को मोटर वीहीकिल्स एक्ट 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

‡ छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 2034 टी/30-4-11 पी/79, दिनांक 30 जून, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 27 सितम्बर, 1989 की विधान सभा की कार्यसूची की मद संख्या–28 में उल्लिखित विधेयक तथा मद संख्या–29 में उल्लिखित विवरण सदन के पटल पर रखता हूं और मद संख्या 30 एवं 31 (1) लगायत (6) में समाविष्ट घोषणायें करता हूं।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण। उक्त विधेयक के खण्ड 10 के उप खंड (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द ''अनन्तरणीय'' के स्थान पर शब्द ''अन्तरणीय'' कर दिया गया है, सदन के पटल पर रखता हूं।

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 1986 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय ने अपनी अनुमति विधानित कर दी है।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 29 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 7 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चलचित्र और कराधान विधि संशोधन विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–उत्तर प्रदेश चल चित्र और कराधान विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि-उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर , जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–न्यायालय फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्यों, मंत्रियों और सभा सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन)

विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 अप्रैल, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 13 जून, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया।

(सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, शारदानन्द अंचल, अकबर हुसैन बाबर एवं अनुग्रह नारायण सिंह आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25-9-1989 की बैठक में सदन के दिनांक 27 सितम्बर, 1989 से 30 सितम्बर, 1989 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है–

बुधवार, 27 सितम्बर, 1989

1–प्रदेश में नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति को नदी, बालू के ठेके और मत्स्य पालन विभाग की सेवाओं में 50 प्रतिशत के आरक्षण की संस्तुति विषयक श्री रघुवर दयालय वर्मा के संकल्प एवं उसमें श्री लालता प्रसाद निषाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर अन्तर चर्चा–एक घंटा।

2–श्री सूर्य प्रताप शाही के उत्तर प्रदेश समान बेसिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-उपकरण एवं शुल्क विधेयक, 1989 पर विचार के प्रस्ताव पर अन्तर चर्चा–एक घंटा।

5.00 बजे अपराह्न ।

3–वित्तीय वर्ष 1989-90 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण।

4–केन्द्र द्वारा अधिनियमित बल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के कार्यान्वयन में आई कठिनाइयों को दूर करने और उसे प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा वर्ष 1978 और 1988 में अधिनियमित संशोधन अधिनियमों को इस राज्य में अंगीकृत किये जाने से संबंधित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार।

5–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

वृहस्पतिवार 28 सितम्बर, 1989–

1–वित्तीय वर्ष 1989-90 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार, मतदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2–उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

3–रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

4–उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

5–उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

शुक्रवार, 29 सितम्बर, 1989–

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989।

(ख) उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 ।

2–विधायी कार्य।

शनिवार, 30 सितम्बर, 1989– अवशिष्ट विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है तथा जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने किया है, से यह सदन सहमत है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

† दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989‡

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

‡ दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 को इस राज्य में अंगीकृत किये जाने का संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1974 को और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा 7 अगस्त, 1974 को संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह संकल्प पारित किया गया था कि संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय ;

और चूंकि उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझा गया था कि उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन किये जायं और उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 30 अगस्त, 1978 को तथा विधान परिषद् द्वारा 12 मई, 1978 को संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में यद्यपि यह संकल्प पारित किया गया था कि उक्त अधिनियम में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है किन्तु संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44 सन् 1978) 12 दिसम्बर, 1978 को संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त केवल असम, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रवृत्त किया गया और अन्य राज्यों में प्रवर्तन उन राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसार अधिनियम को अंगीकृत किये जाने के दिनांक से होने का उपबन्ध किया जाय ;

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित वर्ष 1978 के उक्त संशोधन अधिनियम को उपरोक्त कारणों से इस राज्य में अंगीकृत किया जाय ;

और चूंकि उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में अग्रेतर आयी कठिनाइयों को दूर करने तथा अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1988) अधिनियमित किया गया है ;

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा अधिनियमित वर्ष 1988 के उक्त संशोधन अधिनियम को भी उपरोक्त कारणों से इस राज्य में अंगीकृत किया जाय ;

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के साथ पठित खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1978 (अधिनियम संख्या 44 सन् 1978) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1988) को इस राज्य में अंगीकृत किया जाय।''

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर वृहस्पतिवार अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
27 सितम्बर, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(दिनांक 27 सितम्बर, 89 को श्री संतोष चतुर्वेदी (एडवोकेट) द्वारा पूछे गये नत्थी 'घ' के ता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृ0 28 पर)

(दिनांक 15-9-70) वर्ष 1970 के पूर्व हाट निरीक्षकों का विवरण (जो चयन समिति ने अनुपयुक्त पाया)

1--श्री ज्ञान चन्द्र शर्मा . .	वि0 का0 के अन्तर्गत पदावनत का दण्ड दिया गया है वर्ष 80-81, 81-82 एवं 82-83 की प्रविष्टियां प्रतिकूल है। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया गया।
2--श्री शमी उल्ला . .	वि0 का0 में प्रत्यावर्तित किया गया। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
3--श्री पी0 के0 निगम . .	लो0से0 आ0 में अनुपयुक्त पाये गये। फलस्वरूप प्रत्यावर्तित किया गया न्यायालय में वाद विचाराधीन है। चयन समिति द्वारा वर्ष 82-83 की प्रविष्टि मंगाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।
4--श्री निरंजन सिंह . .	वि0 का0 में प्रत्यावर्तित 84-85, 85-86, 86-87 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं हैं। 31-12-87 को से0नि0 हो जायेंगे। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
5--श्री इन्द्रपाल सिंह सिरोही	वि0 का0 में 29-10-85 को प्रत्यावर्तित किया गया 81-82 को प्रतिकूल प्रविष्टि, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
6--श्री जगवेदसिंह तोमर . .	वि0 का0 में प्रत्यावर्तित 81-82 में निलम्बित रहे 84-85 में प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
7--श्री आनन्दशंकर त्रिपाठी . .	27 फरवरी, 1985 के आदेश के अन्तर्गत वि0का0 में प्रत्यावर्तित किया गया 82-83 की प्रविष्टि प्रतिकूल है। 84-85 से प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
8--श्री एच0 एन0 श्रीवास्तव . .	18-2-87 को वि0 का0 में प्रत्यावर्तित किया गया 80-81 वि0का083-84 को प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
9--श्री रामनेतराव . .	वि0 का0 में दिनांक 8-2-84 को प्रत्यावर्तित 82-83 में निलम्बित समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
10--श्री एस0 एस0 सक्सेना . .	लो0से0आ0से अनुपयुक्त पाये जाने पर प्रत्यावर्तित, 80-81 में निलम्बित, 81-82, 82-83 की प्रविष्टियां प्रतिकूल, शेष प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।

11--श्री दिलावर सिंह	वि0 का0 में 2-8-83 को प्रत्यावर्तित 2-8-82 को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि 82-83 पूरे वर्ष निलम्बित रहे। शेष प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं। समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित।
12--श्री एच0 पी0 गुप्ता	80-81 की प्रविष्टि प्रतिकूल है। स्थाई न होने से पात्र नहीं है। समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित।
13--श्री जी0 सी0 खरे	22-3-84 के आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित 80-81, 81-82 की प्रविष्टियां प्रतिकूल 82-83 एवं 83-84 की प्रविष्टि प्रतिकूल चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया गया।
14--श्री प्रदीप कुमार	14-1-87 को वि0 का0 में प्रत्यावर्तित 80-81 में वि0 का0 7-10-83 की प्रतिकूल प्रविष्टि 85-86 में निलम्बित 18 मार्च, 1987 के आदेश द्वारा 3 वर्ष के लिए प्रत्यावर्तित 86-87 की प्रविष्टि प्रतिकूल चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
15--श्री बी0 एम0 मिश्रा	82-83-में जांच लम्बित चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
16--श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर	अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में वि0 का0 चल रही है। (लिफाफा बन्द)
17--श्री राम प्रसाद राय	वि0 का0 में दो वेतन वृद्धियां रोकी गयी तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी 82-83 की प्रविष्टि प्रतिकूल है। 83-84 में निलम्बित 86-87 की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं। समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
18--श्री पी0 एन0 श्रीवास्तव	वि0 का0 में 13 दिसम्बर, 1982 के आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित व प्रतिकूल प्रविष्टि 82-83 से प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। (सम्पूर्ण प्रविष्टियां प्राप्त करके पुनः रखा जाय)
19--श्री शिवबरनलाल त्रिपाठी	आदेश दिनांक 2 अप्रैल, 85 के द्वारा प्रत्यावर्तित 80-81 प्रतिकूल प्रविष्टि अन्य विशेष प्रतिकूल प्रविष्टियां समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
20--श्री मजहर क्यूम	आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 84 के द्वारा प्रत्यावर्तित 1980-81, 81-82, 82-83 प्रतिकूल प्रविष्टियां एवं निलम्बित।
21--श्री वासदेव शर्मा	आदेश दिनांक 12 अप्रैल, 84 के द्वारा वि0का0 में प्रत्यावर्तित 81-82 प्रतिकूल प्रविष्टि समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
22--श्री हृदय शंकर लाल	80-81 (23-7-80, 13-11-80 तक निलम्बित रहे) 81-82 में अल्प अवधि के लिए निलम्बित रहे। 86-87 की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा अनुपयुक्त।

23--श्री ओ0 पी0 सिंह	. . लखनऊ, फैजाबाद से सम्बन्धित मामले में वि0 का0 चल रही है। 84-85 में आरोपित किये जाने का उल्लेख है। समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
24--श्री वीरेन्द्र शर्मा	. . 12-9-83 को वि0का0 में प्रत्यावर्तित 80-81 से 83-84 तक प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। 86-87 की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
25--श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र	. . 80-81 निलम्बित रहे। 85-86 की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है (वर्ष 85-86 की प्रविष्टि प्रस्तुत की जाये।)
26--श्री एस0 एस0 सब्जवारी	. . 80-81 से 87 तक प्रविष्टि उपलब्ध नहीं 81-82 की प्रविष्टि ठीक नहीं चरित्र पंजिका पूर्ण कर रखी जाये।
27--श्री लाल सिंह (अनु0 जा0)	. . निलम्बित है वि0का0 चल रही है। 80-81, 81-82, 82-83 में वि0 का0 का उल्लेख है। 1-4-84 से 2-7-84 तक निलम्बित समिति द्वारा अनुपयुक्त पाये गये।
28--श्री अमर सिंह . .	. . 18-10-86 से निलम्बित चल रहे हैं 81-82 एवं 83-84 में प्रतिकूल प्रविष्टि 16-11-83 को प्रतिकूल प्रविष्टि 84-85 प्रतिकूल 86-87 प्रतिकूल समिति द्वारा अनुपयुक्त।
29--श्री श्योराम सिंह	. . स्थगन के फलस्वरूप व0 हा0 नि0 82-83. एवं 83-84 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है 85-86 एवं 86-87 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है 82-83 83-84, 86-87 की प्रविष्टियां प्रस्तुत करें।
30--श्री एम0 रहमान	. . स्थगन आदेश से वि0हा0नि0 है इनके विरुद्ध वि0का0 चल रही है। 84-85 प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है। शेष प्रविष्टियों के साथ रखे।
31--श्री जे0 सी0 श्रीवास्तव	. . 80-81 से लेकर 86-87 की प्रविष्टियां अच्छी व सन्तोषजनक है। समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित।
32--श्री के0 डी0 शर्मा	. . 80-81 एवं 84-85, 86-87 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है चरित्र पंजिका पूर्ण कर रखें।
33--श्री फारूक अहमद	. . 85-86, 86-87 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है और 84-85 एवं 85-86 की प्रविष्टियां भी उपलब्ध नहीं है। चरित्र पंजिका पूर्ण कर रखें।
34--श्री बाबूराम पासी (अनु0जा0)	निलम्बित वि0का0 चल रही है 80-81 की प्रविष्टि उपलब्ध नहीं, 82-83, 83-84 की प्रविष्टियां प्रतिकूल, 85-86, 86-87 उपलब्ध नहीं है। स्थाई न होने से पात्र नहीं है। अनुपयुक्त पाये गये।

35--श्री सुरेन्द्र नारायण	..	सं0खा0नि0 कानपुर द्वारा इनकी सेवायें समाप्त की गयी जिसके विरुद्ध इनके प्रत्यावेदन पर खाद्यायुक्त के आदेश के विरुद्ध शासन में अपील की शासन ने खाद्यायुक्त के आदेशों को निरस्त कर सं0खा0नि0 कानपुर के आदेशों और स्थगित कर इनके मामले में पुनः निर्णय लेने का निदेश दिया है। पत्रावली देखकर निर्णय लेना चाहे स्थाई न होने से पात्रता की परिधि में नहीं आते हैं।
36--श्री एम0एम0 लाल गुप्ता	..	80-81 उपलब्ध नहीं 86-87 का प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है चरित्र पंजिका रखें।
37--श्री गजानन्द गुप्ता	..	84-85 से लेकर 86-87 की प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं है। चरित्र पंजिका पूर्ण कर रखें।
38--श्री उमाकान्त दीक्षित	..	सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं है अस्थाई होने से पात्र नहीं है। अनुपयुक्त पाये गये।
39--श्री टी0पी0 लाल	..	खाद्यायुक्त के आदेश दिनांक 26-6-87 द्वारा वि0का0 में 5 वर्ष के लिए प्रत्यावर्तित अनुपयुक्त।
40--श्री एन0के0 अग्रवाल	..	लोक सेवा आयोग से अनुमोदित न होने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 30-6-81 के द्वारा हा0नि0 के पद पर प्रत्यावर्तित का न्यायालय के आदेश से व0हा0नि0 के पद पर कार्यरत है चरित्र पंजिका समस्त प्रविष्टियों के साथ प्रस्तुत की जाये।
41--श्री आर0एस0 कटियार	..	80-81 प्रतिकूल शेष प्रविष्टियां उपलब्ध नहीं सम्पूर्ण प्रविष्टियां प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।
42--श्री श्री शशी कान्त	..	खाद्यायुक्त के आदेश दिनांक 25-6-87 के द्वारा वि0कार्यवाही में 5 वर्ष के लिए प्रत्यावर्तित किये गये अनुपयुक्त।
43--श्री मेवालाल (अनु0जा0)	..	खाद्यायुक्त के आदेश दिनांक 27-2-87 के द्वारा विभागीय कार्यवाहीं में तीन वर्ष के लिए प्रत्यावर्तित किये गये अनुपयुक्त।

नत्थी 'ख'

(देखिए नत्थी क के अता 0 प्र 0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

क्रम-सं0	नहर का नाम	पुल की चैनेज		पुल टूटने का वर्ष
1	2	3		4
1	मेनपहा कैनाल	6.87 कि0मी0		1984
2	मेनपहा कैनाल	8.86 कि0मी0		1987
3	वायापहा नहर	9.6 कि0मी0		1983
4	दाया पहा नहर	5.22 कि0मी0		1982
5	दाया पहा नहर	5.80 कि0म0		1984
6	सहदौरा माइनर	8.10 कि0मी0		1985
7	बरा नहर	5.0 कि0मी0		1986
8	शावेपुर ब्रांच	6.9 कि0मी0		1985
9	दाया ओंगनपुर राजवहा	2-1-280	मील	1986
10	फरदिया माइनर	0-1-0	,,	1986
11	वाया ओंगनपुर राजवहा	0-0-0	,,	1986
12	किच्छानहर	7-1-240	,,	1988
13	किच्छा नहर	12-4-362	,,	1982
14	किच्छा नहर	10-2-80	,,	1980
15	किच्छा नहर	11-7-250	,,	1980
16	घौरा नहर	1-3-370	,,	1981
17	घौरा नहर	4-4-0	,,	1984
18	हसनपुर राजवहा	7-7-0	,,	1986
19	रिछौला नहर	1-0-15	,,	1984
20	रिछौला नहर	1-5-640	,,	1983
21	बहेड़ी राजवहा	0-6-63	,,	1985
22	सकरस माइनर	1-3-340	,,	1986
23	सकरस माइनर	1-6-236	,,	1985
24	भोगपुर माइनर	0-7-600	,,	1983
25	दमखोदा माइनर	1-0-585	,,	1982
26	घुरैनाताल माइनर	0-4-0	मील	1983
27	वैरमनगर राजवहा	2-7-300	,,	1984
28	वैरमनगर राजवहा	5-2-0	,,	1985
29	नन्दपुर माइनर	1-2-278	,,	1988
30	बरौर नहर	1-1-57	,,	1985
31	सियाठेरी माइनर	2-7-390	,,	1985
32	खमरिया माइनर	1-1-252	,,	1984
33	दौलतपुर राजवहा	4-5-0	,,	1988
34	दौलतपुर राजवहा	5-7-110	,,	1984
35	गुलरभोज माइनर	2-1-125	,,	1984
36	दायापहा नहर	6-5-238	,	1986

1	2	3		4
37	दायापहा नहर	13-4-500	मील	1985
38	दायापहा नहर	14-6-300	,,	1984
39	कुल्ली नहर	0-4-310	,,	1982
40	कुल्ली नहर	3-2-130	,,	1983
41	कुल्ली नहर	3-7-80	,,	1985
42	खमरिया माइनर	0-5-200	,,	1984
43	दलपतपुर राजवहा	13-7-325	,,	1988
44	चठिया माइनर	8-6-635	,,	1988
45	शाही राजवहा	1-0-470	,,	1987
46	शाही राजवहा	1-4-480	,,	1987
47	शाही राजवहा	3-3-585	,,	1988
48	अगरास राजवहा	9-2-407	,,	1987
49	केशरपुर माइनर	1-0-330	,,	1988
50	भोजीपुरा राजवहा	3-0-17	,,	1987
51	भोजीपुरा राजवहा	9-7-585	,,	1988
52	मुडिया माइनर	5-1-545	,,	1986
53	वाया चुरैली	2-4-35	,,	1987
54	वाया	8-2-350	,,	1986
55	दाया चुरैली	3-6-600	,,	1987
56	दाया चुरैली	7-5-360	,,	1984
57	बीरपुर माइनर	1-6-200	,,	1988
58	बीरपुर माइनर	2-4-485	,,	1987
59	बरेली राजवहा	14-5-225	,,	1986
60	बरेली राजवहा	13-1-320	,,	1988
61	बरेली राजवहा	14-7-300	,,	1985
62	बरेली राजवहा	20-4-285	,,	1980
63	किशनपुर माइनर	2-5-200	,,	1980
64	बहड़ी राजवहा	10-2-31	..	1981
65	फरीदपुर ब्रांच	3-6-226	,,	1979
66	कुम्हरा राजवहा	1-2-0	,,	1989
67	सरकडा माइनर	0-3-227	,,	1981
68	सरकडा माइनर	1-1-178	,,	1981
69	सुन्दरी माइनर	0-3-340	,,	1983
70	जासपुर माइनर	2-5-256	,,	1984
71	हरहरपुर माइनर	4-6-150	,,	1985

ह0 (एस0 पी0 वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
रुहिलखंड नहरखंड, बरेली

प्रति हस्ताक्षरित
(सत्यवीर सिंह)
वैयक्तिक सहायक (शारदा)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सि0वि0,

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 44 पर)

विधान सभा अतारांकित
प्रश्न सं0 16 का संलग्नक

माननीय सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल बदूद खां के पत्र संख्या 1112, दिनांक 6-10/13-10-88 द्वारा वांछित सूचना

क्रम-संख्या	बिन्दु	आख्या
1-	कि अधिकारी के विरुद्ध गलत काम करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी।	गलत काम करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को शासनादेश सं0 7502/85-23-सि-10-252 85, दिनांक 12-12-85 द्वारा निलम्बित किया गया तदोपरांत शासनादेश संख्या: 4831/87-23 सि-10-252/85, दिनांक 2-9-87 द्वारा दण्डित किया गया।
2-	कि वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87 व 87-88 में प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग अप्रैल से फरवरी तक व मार्च में मशीनों की मरम्मत व पुर्जों की खरीद के लिए अलग-अलग कितने रुपयों का पेमेन्ट किया गया। मार्च में इतनी अधिक राशि को पेमेन्ट करने का क्या औचित्य था।	

क्रम सं0	भुगतान अवधि का वर्ष व माह	भुगतान का विवरण	
		मशीनों की मरम्मत पर	पुर्जों की खरीद पर
	14/84 से 2/85	7,10,922.00	1,05,148.98
	23/85	15,99,645.82	4,56,254.62
	34/85 से 2/86	23,73,155.04	1,00,679.39
	43/86	2,32,129.00	30,026.38
	54/86 से 2/87	19,22,946.40	2,49,558.01
	63/87	4,63,299.00	51,686.20
	74/87 से 2/88	30,91,419.20	2,70,281.00
	83/88	10,43,280.00	2,17,881.31

किसी अवधि में किया गया भुगतान उस समय तक किये हुए कार्य के लिए प्राप्त धन एवं साख सीमा के अन्तर्गत किया जाता है मार्च 1985 में रु0-20,55,900-00 के भुगतान में विभिन्न वर्षों में कराये गये कार्यों की देनदारियां भी सम्मिलित हैं।

विवरण संलग्न है:--

3-कि इनमें कितने ठेकेदार प्रदेश के अन्दर के और कितने प्रदेश के बाहर के हैं। कितने ठेकेदार बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत हैं।

क्रम-सं0	वर्ष	प्रदेश के अन्दर के ठेकेदार	प्रदेश के बाहर के ठेकेदार	बिक्रीकर विभाग में पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	
				प्रदेश के अन्दर	प्रदेश के बाहर
1	2	3	4	5	6
1	1984-85 ..	57	14	18	3
2	1985-86 ..	46	9	5	1
3	1986-87 ..	35	6	7	1
4	1987-88 ..	36	5	12	3

4-कि इनमें कितने सिंचाई विभाग में पंजीकृत हैं। तथा कितने पंजीकृत नहीं थे।

सिंचाई विभाग में पंजीकृत/अपंजीकृत प्रतिष्ठानों/ ठेकेदारों का विवरण

क्रम सं0	वर्ष	सिंचाई विभाग में पंजीकृत	सिंचाई विभाग में अपंजीकृत
1-	1984-85 ..	--	71
2-	1985-86	--	55
3-	1986-87 ..	---	41
4-	1987-88	26	15

5--कि जो सामान ठेकेदारों से आया, क्या उसका इन्द्राज स्टाक रजिस्टर में हो गया और अधिकारी ने सत्यापन किया था। यदि हां, किस-किस तारीख में सत्यापन किया था।

प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों से जो सामान आया था उसका अवर अभियन्ताओं ने सत्यापन किया है और मापपुस्तिकाओं में मापी अंकित की है। खरीदा गया सामान स्टाक रजिस्टर में अंकित किया गया है। जिन तिथियों को आये सामान की मापी की गई है ,उनका विवरण संलग्न है (संलग्नक- 2)।

दर्शन सिंह,
मुख्य अभियन्ता (सरयू)

विधान परिषद् के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री खान अब्दुल बदूद खाँ सदस्य विधान परिषद् के तारांकित प्रश्न संख्या–27 के उत्तरालेख हेतु अनुपूरक सामग्री

संलग्नक

सरयू नहर खण्ड प्रथम मोतीपुर बहराइच द्वारा माह मार्च 1985 में मशीनों की मरम्मत एवं पुर्जों की खरीददारी आदि का भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है:--

1.00 वर्ष 1984- 85 में मशीनों की मरम्मत एवं पुर्जों की खरीददारी पर माह 3-85 में किया गया भुगतान का विवरण--

		रु0
(1)	त्रैमास 4/84 से 12/84 की देनदारियों का भुगतान–	
	(क) मशीनों की मरम्मत पर ..	3,59,954.00
	(ख) पुर्जों की खरीददारी पर ..	2 10 000.00
(2)	माह 1-85 से 3-85 तक मशीनों की मरम्मत एवं पुर्जों की खरीददारी का भुगतान–	
	(क) मशीनों की मरम्मत पर ..	6,33,093.00
	(ख) पुर्जों की खरीददारी पर ..	1,00,878.22

2.00 अवशेष देन-दारियों का भुगतान--

(1)	वर्ष 1983-84 की देन-दारियों का भुगतान–	
	(क) मशीनों की मरम्मत पर ..	2,25,613. 60
	(ख) पुर्जों की खरीददारी पर ..	1,45,376.40
(2)	विघटित खण्ड सरयू नहर खंड- 2 नानपारा की पुरानी अवशेष देन-दारियों का भुगतान–	
	(क) मशीनों की मरम्मत पर ..	3,80,985.22
	योग ..	20,55,900.44

क्रय किये गये मशीनों के पुर्जों के सत्यापन तिथि का विवरण जिनका भुगतान वर्ष 1984--85 में किया गया है।

संलग्नक--2

क्रम-सं0 संख्या	माप पुस्तिका सं0	सत्यापन की तिथि	
1	2	3	4
1	33/एल ..	.. 7-6-84 से	7-6-84 तक
2	110 ..	.. 21-3-83 से	21-8-83 तक
3	47 एल ..	.. 8-3-84 से	29-3-84 तक
4	40/एम ..	.. 3-2-84 से	18-3-85 तक
5	30/एल ..	.. 6-4-84 से	6-6-84 तक
6	55/एम ..	.. 23-7-84 से	23-7-84 तक
7	48/एम ..	.. 23-4-84 से	23-5-84 तक
8	39/एल ..	.. 3-1-85 से	9-1-85 तक
9	8/एम ..	.. 1-6-83 से	9-3-85 तक
10	2	.. 1-11-83 से	30-3-85 तक
11	44/एल ..	.. 1-4-84 से	2-5-84 तक
12	57/एस ..	.. 24-3-84 से	23-2-85 तक
13	46/एल ..	.. 3-3-85	6-3-85 तक
14	72	.. 12-1-83 से	12-3-85 तक
15	50	.. 11-3-84 से	11-3-85 तक
16	9/11 ..	.. 8-1-83 से	26-3-84 तक
17	50/एस ..	.. 18-3-84 से	18-8-85 तक
18	45/एम ..	.. 16-1-84 से	26-3-84 तक
19	35/एम ..	.. 9-1-85 से	31-3-85 तक
20	87/एम ..	.. 24-4-83 से	24-8-83 तक
21	97	.. 11-7-83 से	27-10-83 तक
22	29	.. 23-7-83 से	23-10-83 तक
23	99	.. 9-12-82 से	9-5-83 तक
24	92	.. 30-9-83 से	31-10-83 तक
25	120	.. 22-7-83 से	22-8-83 तक
26	112	.. 13-12-82 से	22-10-83 तक
27	103	.. 23-8-83 से	23-8-83 तक
28	106	.. 2-7-83 से	2-9-83 तक
29	12/एल ..	.. 15-3-85 से	31-3-85 तक
30	41/एस ..	.. 19-3-85 से	31-3-85 तक
31	100 ..	.. 22-3-85 से	31-3-85 तक

ह0/
अधिशासी अभियन्ता,
सरयू नहर खंड प्रथम मोतीपुर, बहराइच

क्रय किये गये मशीनों के पुर्जों के सत्यापन तिथि का विवरण जिनका भुगतान वर्ष 1985-86 में किया गया है

क्रम-संख्या	माप पुस्तिका सं0		सत्यापन तिथि	
1	2		3	4
1	33/एम	.. ..	4-4-85 से	3-6-85 तक
2	44/एम	.. ..	24-3-83 से	29-7-85 तक
3	82 एम	.. ..	24-8-85 से	28-8-85 तक
4	55 एस	.. ..	10-8-85 से	10-8-85 तक
5	57/एम	.. ..	19-1-86 से	19-1-86 तक
6	98/एम	.. ..	12-12-93 से	12-12-83 तक
7	34/एम	.. ..	14-9-85 से	14-9-85 तक
8	16/एस	.. ..	22-7-85 से	22-7-85 तक
9	53/एस	.. ..	5-11-85 से	28-11-85 तक
10	71/एम	.. ..	3-2-86 से	31-3-85 तक

ह0-(अस्पष्ट)

अधिशासी अभियन्ता,

सरयू नहर खंड प्रथम, मोतीपुर, बहराइच।

क्रय किये गये मशीनों के पुर्जों के सत्यापन तिथि का विवरण जिनका भुगतान वर्ष 1986-87 में किया गया है

क्रंम-सख्या	माप पुस्तिका सं0		सत्यापन तिथि	
1	2		3	4
1	11/एम	.. ..	23-1-86 से	23-2-86 तक
2	75/एस	.. ..	25-4-86 से	25-7-86 तक
3	96/एम	.. ..	14-4-86 से	8-7-86 तक
4	65/एम	.. ..	24-5-86 से	26-5-86 तक
5	365/एम	.. ..	1-4-84 से	31-3-87 तक
6	33/एल	.. ..	11-4-84 से	30-3-87 तक
7	42 एल	.. ..	25-12-84 से	30-3-85 तक
8	77/एल	.. ..	17-4-86 से	17-6-86 तक
9	57/एम	.. ..	19-8-86 से	18-1-87 तक
10	86/एल	.. ..	23-9-86 से	5-3-87 तक
11	62/एम	.. ..	2-12-86 से	2-2-87 तक
12	64/एल	.. ..	3-12-86 से	17-12-86 तक
13	83/एल	.. ..	21-8-86 से	21-10-86 तक
14	87/एल	.. ..	15-2-87 से	31-3-87 तक
15	46/एल	.. ..	27-1-87 से	30-3-87 तक

ह0-(अस्पष्ट)

अधिशासी अभियन्ता,

सरयू नहर खण्ड प्रथम, मोतीपुर, बहराइच।

क्रय किये गये मशीनों के पुर्जों के सत्यापन तिथि का विवरण जिनका भुगतान वर्ष 1987-88 में किया गया है

क्रम-संख्या	माप पुस्तिका सं0	सत्यापन तिथि	
1	2	3	4
1	46/एल	13-2-87 से	24-2-88 तक
2	87/एल	28-3-87 से	15-5-88 तक
3	57/एस	13-1-87 से	25-7-87 तक
4	64/एम	10-1-87 से	2-3-87 तक
5	87/एम	4-4-87 से	4-6 87 तक
6	71/एस	25-4-87 से	31-3-88 तक
7	68/एस	12-12-86 से	22-12-86 तक
8	86/एल	5-3-87 से	11-9-87 तक
9	85/एल	23-3-87 से	27-2-88 तक
10	243/एस	26-5-87 से	25-7-87 तक
11	94/241 एस	25-9-87 से	28-9-87 तक
12	41/एल	10-3-88 से	10-3-88 तक
13	75/एस	5-1-86 से	28-3-88 तक

ह0-(अस्पष्ट)
अधिशासी अभियन्ता,
सरयू नहर खंड प्रथम, मोतीपुर, बहराइच।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

संलग्नक-1

इलाहाबाद शहर के उन स्थानों का विवरण जहां वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु ट्रांसफार्मर लगाये गये (क्षमता बढ़ाने के मामलों सहित)।

वर्ष 1985-86

1-मनमोहन पार्क कटरा 2-नैनी आक्सिजन औद्योगिक क्षेत्र के पास 3-नैनी ग्लास वर्क्स के पास 4-विशम्भरपुर 5-गोविन्दपुर कालोनी 6-पुलिस लाइन 7-करामत की चौकी 8-बागम्बरी गद्दी 9-एल0आई0सी0 कालोनी 10-चील्ड्रेन पार्क 11-सेतु निगम फाफामऊ 12-काटजू मार्ग 13-पुराना दरियाबाद 14-पी0ए0सी0 घुमनगंज 15-जी0टी0 बी नगर करेली 16-किदवई नगर अल्लापुर 17-मुइर रोड (सी0एस0पी0 सिंह मार्ग) 18-हयूम पाइप एम0 जी0 मार्ग के पास 19-हसन मंजिल अतरसुइया 20-मित्र प्रकाशन 21-पुरा मुफ्ती गांव 22-नेतानगर नलकूप संख्या-2 23-अनुद्दीनपुर 24-कटघर रोड 25-नया पुरा 26-त्रिवेणी विद्युत औद्योगिक क्षेत्र नैनी 27-हरिजनआश्रम 28-ढाबाकोल्ड स्टोरेज 29-कच्ची सड़क कैदगंज 30-नया माल गोदाम 31-नया दरियाबाद 32-अतरसुइया 33-नेतानगर 34-दरभंगा कालोनी 35-शास्त्रीनगर 36-नेहरूनगर मीरापुर 37-जलनिगम नलकूप कर्नलगंज 38-मुबारक पुर कोटवा 39-करैली आवासीय योजना 40-डा0 सूर चौराहा टैगोर टाउन 41-जगराम चौराहा नया कटरा 42-मालवीय मार्ग 43-नैनीबाजार 44-मटियारा रोड-लेबर चौराहा के पास 45-जार्ज टाउन-प्रीति नर्सिंग होम के पास 46-कर्नलगंज-स्टेट बैंक के पास 47-हाइडिल 48-अल्कापुरी।

वर्ष 1986-87--

1-नेतानगर नलकूप सं0-2 2-गीता निकेतन 3-करामत की चौकी 4-अनुद्दीनपुर 5-बी0 ब्लाक करेली 6-डंडीग्राम 7-अद्दाला 8-हसन मंजिल 8-नैनी 9-त्रिवेणी नगर 10-शंकरलाल मार्गव मार्ग-1 11-आर्य कन्या पाठशाला 12-गाजीगंज मंडी (मुठियागंज) 13-ताजी चौराहा अल्लीपुर 14 माधवापुर 15-मेहदौरी 16-बाल चिकित्सालय 17-गोविन्दपुर 18-भारत स्काउट गाइड ममफोर्डगंज 19-अपट्रान चौराहा तेलियरगंज 20-हासिमपुर मार्ग 21-पुलिस लाइन 22-सी0 बाई0 चिन्तामणी रोड-पन्नालाल रोड चौराहा 23-टैगोर टाउन उपकेन्द्र 24-एस0सी0बासू रोड जी0टी0 रोड चौरहा 25-भारती भवन 26-कल्याणीदेवी पार्क केपास 27-मुइराबाद 28-नाथ एण्ड उप केन्द्र 29-कमला नेहरू रोड-प्रयाग संगीत समिति के पास 30-स्टेट बैंक करेली 31-सर्वोदय नगर अल्ला पुर 32-बैराहना 33-त्रिवेणी नगर कच्ची सड़क चौराहा कैदगंज 34-रामप्रिय मार्ग 35-दुर्गापूजा गोविन्दपुर 36-पटेलनगर मीरापुर 37-जवाहरलाल नेहरू मार्ग सोहबतिया बाग डाकखाने के पास।

वर्ष 1987-88--

1-अरैल चौराहा 2-जमुना बैंक रोड 3-नुरुल्ला रोड-जी0टी0 रोड चौराहा 4-दाराशाह अजमल 5-नुरुल्ला रोड-गुड़िया तालाब के निकट 6-फोर्ट रोड-तिकोना 7-नयापुरवा 8-कमला नेहरू अस्पताल 9-पी0ए0सी0 नैनी 10-मोहतिसिमगंज 11-त्रिवेणी विद्युत उद्योग नैनी 12-चकिया नीम 13-लोक नाथ 14-मुदेरा चुगी 15-मिशन रोड निकट खचारी 16-आनन्द भवन गेट 17-चक भटई 18-सराय गढ़ी 19-बलरामपुर हाउस 20-पावर हाउस 33/0.4 के0वी0 21-केसरी मतारी 22-गुड़िया तालाब 23-पुलिस बूथ लूथरगंज 24-ए ब्लाक करैली 25-अरैल चौराहा 26-बबलुआ घाट 27-सेन्ट्रल जेल नैनी 28-राजरूपपुर 29-लक्ष्मी अतिथि गृह 30-गुजराती मोहल्ला 31-शिव नगर अल्ला पुर 32-कालोमाई का स्थान/ककराहा रोड 33-नया बैरहना 34-आजाद स्क्वायर 35-शंकर लाल भार्गव रोड-11 36-हासिमपुर रोड 37-निराला रोड दारागंज 38-चड़ढा रोड निकट बच्चाजी की कोठी 39-लूथर रोड ईदगाह चौराहा निकट सेवा समिति विद्या मंदिर 40-नरैनी बिद्या आश्रम 41-नुरुल्ला रोड जी0डी0 रोड चौराहा 42-मुडेरा सुलेम सराय 43-मजार गोविन्दपुर

44-पानी की टंकी, गोविन्दपुर 45-सेन्टपाल चर्च 46-गल्ला बाजार 47-रसूलाबाद नल कूप एम0 आई0जी0 कालोनी 48-पश्चिम खसरू बाग रोड।

वर्ष 1988-89--

1--मोती पार्क 2-विजयपुर का हाता 3-दरयाबाद 4-जोगी घाट 5-बक्शी खुर्द दारागंज 6-तिलक नगर अल्लापुर 7-शिव कट्टी नियर नार्मल स्कूल 8-सुलेम सराय निकट नादिर पहलवान का अखाड़ा 9-महेवा रीवां रोड नैनी 10-मोती पार्क 11-इन्दलपुर नलकूप संख्या-1 12-महदौरी गांव 13-राजा पुर मोइर रोड 14-रानी मंडी 15-खोया मंडी 16-निवादा-सी0एस0पी0 मार्ग 17-विश्व विद्यालय मार्ग 18-सदर बाजार 19-बड़ा बघारा 20-जीरो रोड निकट बस स्टैन्ड 21-खलियाना मंडी 22-पुरा मनोहर दास 23-मिर्जा गालिब रोड 24-हथया चौराहा 25-लकीरेन्ज सिविल लाइन्स 26-ध्रुव रेडियो कटरा 27-औद्योगिक क्षेत्र नैनी 28-हिन्दुस्तान केबिल औद्योगिक क्षेत्र, नैनी 29-प्रिंटिंग प्रस औद्योगिक कालोनी नैनी 30-कल्चरल स्कूल नैनी 31-स्वराज नगर 32-से मुलई का पुरा 33-शरारा गाग निकट विशम्भर सिनेमा 34-नेता का चौराहा अल्लापुर 35-गोविन्दपुर बाजार 36-तिलक नगर लगड़ा पान वाले की गली 37-हमीदिया कालेज दोंदीपुर 38-लोहिया पान्डे का हाता 39-करेला बाग कालोनी 40-मलक राज रामबाग 41-शौकतअली रोड 42-चकिया नोम 43-जोगी घाट दरियाबाद 44-औद्योगिक क्षेत्र नैनी 45-गोविन्दपुर मजार 46-छोटा बघारा 47-मुलई का पुरा 48-स्वराज नगर 49-राम बगिया 50-सलोरी निकट पुलिया 51-सादियाबाद 52-जीटी रोड निकट बेनी गंज 53-संगम रोड निकट मराला गेट 54-राजरूप पुर क्षेत्र 55-जान्सटनगंज निकट सपना शू हाउस 56-बेनी गंज।

संलग्नक--2

इलाहाबाद शहर के उन स्थानों का विवरण जहां वर्ष 1989--90 में ट्रांसफार्मर लगाये जाने तथा वर्तमान ट्रांसफार्मरों की क्षमता का विस्तार प्रस्तावित है।

1---डा0 प्रमिला चौराहा करेली
2---करेला बाग कालोनी
3---राजेन्द्र नगर
4---अहिराना
5---मलाक--राज
6---काजीपुर रोड
7---पुरुषोत्तमनगर मुसावली टोला
8---लोकनाथ
9---डा0 पाण्डेय
10---फकीरा चौराहा
11---माधवापुर-11
12---पावर हाउस पर नया उपकेन्द्र
13---गुरुनानक नगर
14---जैरामपुर उपकेन्द्र, राजरूपपुर
15---डाकखाना राजरूपपुर-।।
16---मीरापुर पार्क
17---हलवाई चौराहा
18---गायत्री नगर
19---निकट पुलिस स्टेशन मालवीय रोड, जार्ज टाउन
20---आबू बकरपुर-ए0डी0ए0 चौराहा
21---नेवादा, अशोक नगर
22---पुरा मुफ्ती
23---चिल्ड्रन पार्क
24---प्रीति नर्सिंग होम
25---कोटला ग्राम
26---ककराहा घाट
27---सदियापुर
28---आजाद स्क्वायर
29---गीता निकेतन
30---नरैनी आश्रम
31---शास्त्री नगर
32---पीली कोठी

नत्थी 'ड'

(देखिए अता0प्र0सं0 83 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 73 पर)

संलग्नक

सीमेन्ट एवं लोहे की प्राप्ति एवं निर्गत मात्रा का माह वार विवरण

माह	प्राप्ति (खण्ड में) सीमेन्ट (बोरी में)	लोहा (मी0 टन में)	निर्गत (पम्प ह।उस पर) सीमेन्ट (बोरी में)	लोहा मी0 टन में)	अभ्युक्ति
अप्रैल, 1988	--	--	2021	45.707	अधिक निर्गत पूर्व के स्टाक] से किया गया।
मई, 1988	140	22.80	4050	38.269	
जून, 1988	18,060	55.00	2350	21.566	
जूलाई, 1988	--	--	(-) 2994	--	
अगस्त, 1988	9.592	--	--	4.590	
सितम्बर, 1988	--	--	1203	--	
अक्टूबर, 1988	3,750	--	1000	15.325	
नवम्बर, 1988	41,750	--	1450	6.789	
दिसम्बर, 1988	--	--	2330	14.844	
जनवरी, 1989	--	--	(-) 1264	11.202	
फरवरी, 1989	--	33.40	2101	32.175	
मार्च, 1989	4,750	--	807	6.192	
योग . .	78,042	111.20	13,054	196.659	

नत्थी "च"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में बन्धककृत परिसम्पत्तियों का विवरण।

(क) विद्युत गृह

क्रम सं0	वर्ष	विद्युत गृह का नाम
1	1965-66	हरदुआगंज: 3×30 मे. वा. (2) माताटीला जल विद्युत
2	1966-67	ढकरानी, ढालीपुर एवं डाक पत्थर (जल विद्युत)
3	1967-68	पनकी ग्रीड उपकेन्द्र
4	1969-70	पनकी: 2×32
5	1972-73	ओबरा (जल विद्युत) ओबरा: 5×50
6	1974-75	रिहंद (जल विद्युत) 6-50
7	1975-76	हरदुआगंज: 2×50, 2-55
8	1976-77	ओबरा: 1×100
9	1977-78	ओबरा 2×100
10	1978-79	पनकी: 1×110
11	1979-80	ओबरा: 1×200
12	1980-81	पनकी 1×110
13	1981-82	हरदुआ गंज: 2×60, 2×55
14	1982-83	ओबरा: 1×200
15	1983-84	ओबरा: 1×200
16	1984-85	ओबरा. 1×200
17	1985-86	ओबरा: 1×200
18	1988-89	परीक्षा: 2×110

ख--पारेषण लाइन

क्रम सं0	वर्ष		पारेषण लाइन का नाम
1	1965-66	132 के0वी0	झांसी--उरई--कानपुर
		66 के0वी0	माताटीला--झांसी
		66 के0वी0	झांसी--मऊरानीपुर
		132 के0वी0	ढकरानी--देहरादून
2	1970-71	220 के0वी0	हरदुआगंज-मुरादनगर
		220 के0वी0	कानपुर--मैनपुरी
		220 के0वी0	मैनपुरी--हरदुआगंज
		220 के0वी0	ओबरा-मिर्जापुर
		220 के0वी0	ओबरा-मुगलसराय
		220 के0वी0	इलाहाबाद--कानपुर
3	1971-72	220 के0वी0	मिर्जापुर-इलाहाबाद
		132 के0वी0	पिपरी--ओबरा
		132 के0वी0	पिपरी राबर्टसगंज
		132 के0वी0	राबर्टसगंज--शाहपुरी
		132 के0वी0	मुगलसराय--मऊ
		132 के0वी0	मऊ--गोरखपुर
		132 के0वी0	राबर्टसगंज--मिर्जापुर
		132 के0वी0	मऊ--आजमगढ़
		132 के0वी0	मऊ-बलिया
		132 के0वी0	इलाहाबाद-सिराथू
		132 के0वी0	कानपुर--मलवां
		132 के0वी0	शाहजहांपुर--बरेली
		132 के0वी0	मैनपुरी--कन्नौज
		132 के0वी0	लखनऊ-शाहजहांपुर
		132 के0वी0	लखनऊ--कानपुर
		132 के0वी0	इलाहाबाद-गोण्डा
		132 के0वी0	सुल्तानपुर-टाण्डा
		132 के0वी0	सुल्तानपुर-रायबरेली
		132 के0वी0	इलाहाबाद-झूंसी
		132 के0वी0	वाराणसी-जौनपुर
		132 के0वी0	गोरखपुर--बस्ती
		132 के0वी0	गोरखपुर--कसया
		132 के0वी0	शाहूपुरी--वाराणसी
		132 के0वी0	मिर्जापुर--जिगना
		132 के0वी0	शाहूपुरी-चुनार
4	1972-73	132 के0वी0	बरेली--खटीमा
		132 के0वी0	बरेली-मुरादाबाद
		132 के0वी0	मुरादाबाद--नेहतोर
		132 के0वी0	मुरादाबाद--गजरोला
		132 के0वी0	रुड़की-सहारनपुर
		132 के0वी0	मुरादनगर--हापुड़

क्रम सं0	वर्ष		पारेषण लाइन का नाम
		132 के0वी0	हरदुआगंज-बुल दशहर
		132 के0वी0	बुलन्दशहर-जहांगीराबाद
		132 के0वी0	हरदुआगंज-हाथरस
		132 के0वी0	हाथरस-आगरा
		132 के0वी0	मैनपुरी-एटा
		132 के0वी0	मैनपुरी-इटावा
		132 के0वी0	मैनपुरी-शिकोहाबाद
		132 के0वी0	गाजियाबाद-मुरादनगर
		132 के0वी0	मुरादनगर-मेरठ
		132 के0वी0	शामली-बड़ौत
		132 के0वी0	लखनऊ-बाराबंकी
		132 के0वी0	रेवारोड-इलाहाबाद टाउन
		66 के0वी0	चन्दौसी-बदायूं
		66 के0वी0	माताटीला-झांसी
		66 के0वी0	निरगजनी-मुजफ्फरनगर
		66 के0वी0	मुजफ्फरनगर-शामली
		66 के0वी0	मुरादाबाद-शम्भल
		66 के0वी0	झांसी-मऊरानीपुर
		66 के0वी0	मऊरानीपुर-महोबा
		66 के0वी0	महोबा-बांदा
		66 के0वी0	शाहजहांपुर-जलालाबाद
		66 के0वी0	शाहजहांपुर-पुआयां
		66 के0वी0	शाहजहांपुर-मिरानपुर
		66 के0वी0	सीतापुर-बिसवां
		66 के0वी0	सीतापुर-हरगांव
		66 के0वी0	सीतापुर-मिसरिख
		66 के0वी0	रामपुर-बाजपुर
		66 के0वी0	माताटीला-ललितपुर
5	1977-78	220 के0वी0	लखनऊ-कानपुर
6	1980-81	132 के0वी0	लखनऊ-सण्डीला-हरदोई
7	1981-82	400 के0वी0	सुल्तानपुर-लखनऊ
8	1982-83	220 के0वी0	लखनऊ-सीतापुर
9	1983-84	132 के0वी0	लखनऊ-सीतापुर-टेपिंग
10	1984-85	132 के0वी0	सरोजनीनगर-उन्नाव (लखनऊ)
11	1985-86	132 के0वी0	सरोजनीनगर टिकैतराय (लखनऊ)
12	1986-87	400 के0वी0	ओबरा-कानपुर
		400 के0वी0	सुल्तानपुर-आजमगढ़
		400 के0वी0	ओबरा-सुल्तानपुर
		400 के0वी0	आनपारा-आजमगढ़
		400 के0वी0	ऋषीकेश-मुरादनगर
		400 के0वी0	ऋषीकश-मुरादाबाद
		400 के0वी0	पनकी-मुरादनगर
		33 के0वी0	सरोजनीनगर-अशोकमार्ग (लखनऊ)

क्रम सं0	वर्ष		पारेषण लाइन का नाम
13	1987-88	220 के0 वी0	मेरठ-मुरादाबाद
		220 के0 वी0	हरदुआगंज-आगरा
		220 के0 वी0	सीतापुर-शाहजहांपुर
		220 के0 वी0	मुरादाबाद-नेहतौर
		220 के0 वी0	सुल्तानपुर-गोण्डा
		220 के0 वी0	मैनपुरी-आगरा
		220 के0 वी0	गोरखपुर-बस्ती
		220 के0 वी0	ऋषिकेश-कोटेरीवाली
		220 के0 वी0	सुल्तानपुर-टाण्डा
		220 के0 वी0	टाण्डा-बस्ती
		220 के0 वी0	शामली-मुरादाबाद
		220 के0 वी0	सुल्तानपुर-फूलपुर
		220 के0 वी0	परीक्षा-मैनपुरी
		220 के0 वी0	ऊंचाहार (रायबरेली) लखनऊ
		33 के0 वी0	डालीगंज-अलीगंज (लखनऊ)
14	1988-89	33 के0 वी0	सरोजनीनगर-आलमबाग (लखनऊ)

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 98 पर)

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	माह	कुल सिंचित क्षेत्र हे0 में	की गई सिंचाई ग्रामवार सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में		
				ग्राम	सिंचाई माह अप्रैल, मई 89	सिंचाई माह जून 89
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हबीवपुर	अप्रैल	4.84	हवीवपुर	2.42	0.80	2.02
		मई	1.20	रोटीगांव	2.42	0.40	0.80
		जून	2.82				
2	रोटीगांव ..	अप्रैल	2.82	रोटीगांव	2.42	2.02	2.42
		मई	2.42	शाहनिजामुद्दीन-	0.40	0.40	0.40
		जून	2.82	पुर			
3	विरौली ..	अप्रैल	4.04	विरौली	3.64	1.21	2.83
		मई	2.31				
		जून	3.00	मलौली	0.40	0.10	0.17
4	विकौली ..	अप्रैल	3.63	विकौली	2.83	1.21	2.02
		मई	1.31				
		जून	2.12	चोखण्डा	0.80	0.10	0.10
5	अडौरा ..	अप्रैल	1.21	अडौरा	---	0.80	0.10
		मई	1.60				
		जून	0.20	बसन्तपुर	1.21	0.80	0.10
6	कासिमपुर ..	अप्रैल	7.27	टड़वा	4.85	0.40	4.04
	उत्तर	मई	0.80		2.42	0.40	1.21
		जून	5.25	जिगनी			
7	कासिमपुर ..	अप्रैल	4.03	वीकापुर	2.42	---	2.02
	दक्षिण	मई	0.10	कुडिलवा	1.21	0.10	2.02
		जून	3.73	टिकरा	0.40	--	1.61
8	दुनौली ..	अप्रैल	12.11	दुनौली	7.28	2.02	0.40
		मई	4.85	अलीपुर	2.02	2.83	--
		जून	0.60	मेडिया	1.61	--	0.10
				पुलौली	0.80	---	--
				मिनहुआ	0.40	---	0.10
9	मिटौरा ..	अप्रैल	3.63	मिटौरा	3.23	2.02	2.83
		मई	2.22				
		जून	2.95	संतोषपुर	0.40	0.20	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8
10	विबियापुर	अप्रैल	0.80	विवियापुर	0.40	2.02	0.80
		मई	2.12				
		जून	0.90	फिरोजपुर	0.40	0.10	0.10
11	रुदौली	अप्रैल	0.10	निरोजपुर	0.10	2.02	1.61
		मई	2.02	बघैरी			
		जून	1.61				
12	नवगवां	अप्रैल	0.80	नवगवां	0.80	0.10	0.10
		मई	0.10				
		जून	0.10				

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर)

कर्मचारी/अधिकारी का नाम व पद	कितनी बार स्थानान्तरण हुआ	कितनी बार निरस्त हुआ	कार्यमुक्त हुए या नहीं	कार्यभार ग्रहण किया या नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी सर्वश्री--					
1--अवधेश राय, अवर अभियन्ता ..	1	30-4-89 तक स्थगित	30-4-89 से कार्यमुक्त मान लिया गया है।	..	
2--दयाशंकर, अवर अभियन्ता (यां0)	1	15-10-88 तक स्थगित	नहीं (प्रतिस्थानी यांत्रिक अवर अभि0 न मिलने के कारण)		
3--अरविन्द कुमार जैन, स0अ0 .. (अधि0अभि0 के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप)	1	..	दि0 2-9-88 को कार्यमुक्त	..	
4--कामेश्वर उपाध्याय, स0अ0 ..	1	एक बार	नहीं।	..	इनके स्थानांतरण आदेश प्राप्त होने पर श्री सत्यशील विसेन, स0अ0 ने दि0 25-7-88 को कार्यभार एज्यूम कर लिया परन्तु स्थानांतरण आदेश निरस्त हो जाने पर श्री उपाध्याय ने दि0 1-11-88 को पुन. कार्यभार ग्रहण कर लिया।

1	2	3	4	5	6
6--हीरा राम, भंडारपाल ..	1	31-8-89 तक स्थगित	नहीं (कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही की जा रही है)॥		
6--सुरेश सिंह, प्रारूपकार ..	1	..	नहीं, उच्च न्यायालय क .. निर्णय के अनुसार प्र0 अ0सि0वि0, द्वारा स्थ संशोधित होना है।		
7--आर0 के0 सिंह, अवर अभि0 ..	1	..	दि0 19-9-89 को .. कार्यमुक्त		
8--जी0 के0 भास्कर, अवर अभि0	1	..	दि0 31-8-88 को कार्यमुक्त। ..		
पद स्थापित अधिकारी/कर्मचारी					
1--इन्द्रासन राम, अधि0अ0भे0 ..	1	..	..	हां	श्री विश्वेन्द्र मिश्र के स्थान पर पर 21-6-88 को।
2 कृष्ण चन्द्र, स0अ0 ..	1	..	..	नहीं	इनके आदेश संशोधित होकर अन्य खण्ड में हो जाने के कारण।
3--अभिराज प्रसाद, प्रारूपकार ..	1	..	..	हां, 15-6-88 को	
4--बिपिन बिहारी मिश्र, अवर अभियन्ता ..	1	..	..	हां, 25-1-89 को	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5--सत्य शील सिंह विसेन स0अ0	..	2	(प्र0अभि0द्वारा अधी0अभि0द्वारा)	--

इन्होंने प्र0 अभि0 के आदेश पर 25--7-88* आदेश निरस्त हो हो जाने से इनको श्री अरविन्द कुमार जैन के पदोन्नति रिक्त पद पर पदस्थापित कर दिया गया प्र0 अभि0 द्वारा श्री जैन के स्थान पर श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव को पद-स्थापन कर दिये जाने से श्री विसेन को गण्डक नहर निर्माण मण्डल-- 3 गो0 में सम्बद्ध कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

*कार्यभार ग्रहण किया था परन्तु श्री कामेश्वर उपाध्याहें के

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0--283 वि0 सभा (453)--1989--813 1